

C O N T E N T S

**Sixteenth Series, Vol. XVIII, Ninth Session, 2016/1938 (Saka)
No. 10, Friday, July 29, 2016/ Shravana 07, 1938 (Saka)**

<u>S U B J E C T</u>	<u>P A G E S</u>
ORAL ANSWERS TO QUESTIONS	
*Starred Question Nos. 181 to 185	6-57
WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS	
Starred Question Nos. 186 to 200	58-111
Unstarred Question Nos. 2071 to 2300	112-659

* The sign + marked above the name of a Member indicates that the Question was actually asked on the floor of the House by that Member.

PAPERS LAID ON THE TABLE	661-679
MESSAGES FROM RAJYA SABHA	680
NOMINATIONS TO COMMITTEE	
Joint Committee on Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement (Second Amendment) Bill, 2015	681-682
STATEMENT BY MINISTER	
Status of implementation of the recommendations contained in the 11th Report of the Standing Committee on Finance on Demands for Grants (2015-16), pertaining to the Department of Revenue, Ministry of Finance	
Shri Arun Jaitley	683
BUSINESS OF THE HOUSE	684-689
SUBMISSION BY MEMBER	
Re: Reported attack and hurling of abuse on two Muslim women in Madhya Pradesh for allegedly carrying beef	690-693
ANNOUNCEMENT BY THE CHAIR	734
RESOLUTION RE: APPROVAL OF FIRST REPORT OF RAILWAY CONVENTION COMMITTEE	735-760
Shri Suresh Prabhu	735-736
Shri K.H. Muniyappa	738-746
Shri Ganesh Singh	749-754
Shri K. Ashok Kumar	755-760

**MOTION RE: 22ND to 24TH REPORTS OF COMMITTEE
ON PRIVATE MEMBERS' BILLS AND RESOLUTIONS** 761

PRIVATE MEMBERS' RESOLUTION

**Steps to ensure welfare of Employees Provident
Fund Pensioners**

Prof. Saugata Roy	762-768
Shri Ramesh Bidhuri	770-776
Shri Jagdambika Pal	777-791
Shri Sankar Prasad Datta	791-803
Shri Nishikant Dubey	804-818

ANNEXURE – I

Member-wise Index to Starred Questions	820
Member-wise Index to Unstarred Questions	821-827

ANNEXURE – II

Ministry-wise Index to Starred Questions	828
Ministry-wise Index to Unstarred Questions	829-830

OFFICERS OF LOK SABHA

THE SPEAKER

Shrimati Sumitra Mahajan

THE DEPUTY SPEAKER

Dr. M. Thambidurai

PANEL OF CHAIRPERSONS

Shri Arjun Charan Sethi

Shri Hukmdeo Narayan Yadav

Shri Anandrao Adsul

Shri Pralhad Joshi

Dr. Ratna De (Nag)

Shri Ramen Deka

Shri Konakalla Narayana Rao

Shri Hukum Singh

Shri K.H. Muniyappa

Dr. P. Venugopal

SECRETARY GENERAL

Shri Anoop Mishra

LOK SABHA DEBATES

LOK SABHA

Friday, July 29, 2016/Shravana 07, 1938 (Saka)

The Lok Sabha met at Eleven of the Clock

[HON. SPEAKER *in the Chair*]

श्री कांति लाल भूरिया (रतलाम) : मंदसौर रेलवे स्टेशन पर महिलाओं को रोककर मारपीट की गई।... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : अभी नहीं।

... (व्यवधान)

HON. SPEAKER: Question no. 181, Shri Kalyan Banerjee.

... (*Interruptions*)

HON. SPEAKER: No Adjournment Motion can be allowed during the Question Hour.

... (*Interruptions*)

11.01 hours**ORAL ANSWERS TO QUESTIONS**

HON. SPEAKER: Shri Kalyan Banerjee.

(Q. 181)

SHRI KALYAN BANERJEE : Madam, as reported on 31st May, 2016, 130 tonnes of anti-tank mines blew up at the Army's ammunition depot at Pulgaon near Wardha, Maharashtra, killing 19 people including two Army officers....

(Interruptions)

HON. SPEAKER: Only Shri Kalyan Banerjee's speech will go on record.

... *(Interruptions)*... *

SHRI KALYAN BANERJEE: The Central Ammunition Depot, Pulgaon, which is located about 100 kilometres from Nagpur, is spread over an area of more than 7,000 acres, and stores a variety of ammunition and explosives in a large number of sheds. CAD comes directly under the Army Headquarters and is responsible for the all-India supply of ammunition and explosives, after receiving them from the Ordnance factories and other sources.... *(Interruptions)* CAD then supplies these items to various ammunition depots and Field Ammunition Depots for replenishing their stocks. Five villages around CAD were evacuated immediately after the fire had taken place. It is also reported that the hon. Defence Minister had visited the spot also.

Madam, I want to know from the hon. Minister through you whether any full-fledged inquiry has been made by the highest level of Army Officers to know the cause of such fire. If so, what is the fate of this inquiry report? I would also like to know whether any reason has been identified and accountability has been fixed or not.

* Not recorded.

SHRI MANOHAR PARRIKAR: Madam, as given in the reply, the Court of Inquiry has been constituted. A detailed review or deliberation has been carried out by them. They have given their recommendations and based on their recommendations, we have already taken actions which are quoted in the reply itself, wherein 125 various instructions have been issued.

SHRI KALYAN BANERJEE: Madam, in his reply, the hon. Defence Minister has just referred about the recommendations. My question was not related to the recommendations. I would like to know as to what were the reasons of such fire. My question was whether you have identified the persons responsible for such fire or not. But you are referring to the recommendations.

Madam, my second supplementary question is that the hon. Defence Minister has said that during the last three years only one incident has taken place. But on the basis of the reports which are available with me, there were other incidents before the incident of August 31st, 2016. On 8th December, 2015, five persons were injured when a fire broke out during a regular exercise in Vishakapatnam.

So many incidents had taken place earlier also. I can give you the dates. On March 26, 2010, Panagarh, West Bengal, a major fire broke out at the Panagarh depot. No casualties were reported but the depot suffered huge losses.

On December 4, 2008, Bhuj, Gujarat, two army men were killed in the blaze at the Bhuj depot after a bomb exploded during the routine inspection of old and outdated ammunition.

On August 12, 2007, two army men and one civilian were killed and over 40 others injured in a major blaze at the Ordnance Depot in south Kashmir. On April 29, 2001, a huge fire broke out in the ammunition dump of the Army's Mamoon Cantonment near Pathankot in Gurdaspur district. There were no casualties. On 2nd May, 2000, three civilians were killed due to surface splinters in the nearby villages after fire erupted at the ordnance depot. These repetitive fire disasters in the ordnance factories show slackness and carelessness of the

Government to look into the matter for more than one decade. Do these repetitive fire disasters at the Indian Ordnance Depots happen only because of laxity of the Central Government and deviation from the Standard Operating Procedures in installation? Or is there any sabotage or not? That is my question.

SHRI MANOHAR PARRIKAR: First of all, the replies say that it is for the last three years. Apart from the fire accident in the Central Ammunition Depot, Pulgaon, Maharashtra which occurred on 31st May, 2016, no other fire accident had taken place in any ordnance depot of the Indian Army during the last three years. It is only about the Army. What has been quoted is for the last decade. There were incidences during 2007 and 2010. But this is for the last three years only. ... (*Interruptions*)

SHRI KALYAN BANERJEE: A fire accident occurred in Visakhapatnam in 2015. ... (*Interruptions*)

SHRI MANOHAR PARRIKAR: It is related to the Navy. I am replying in regard to the Army. ... (*Interruptions*)

SHRI KALYAN BANERJEE: I am asking a question to the Defence Minister.... (*Interruptions*)

SHRI MANOHAR PARRIKAR: The reply and the Question very clearly mentions about the Indian Army because this is regarding the Pulgaon Depot which belongs to the Indian Army Central Depot. There were small incidents which happened in various installations. These were accidental. The one, which you referred to happened basically while they were disposing of a particular ammunition. It had resulted in one casualty but it happened in the Navy. The most probable cause of the fire, as brought by the Court of Inquiry, was excessive exudation, that is, bleeding of TNT reacting with the metallic container leading to self-ignition of segregated mines held in the Store House 192. Basically, it is a real accident and there is no sabotage angle which had been brought out. They have checked up every aspect of sabotage.

श्री थुपस्तान चेवांग : अध्यक्ष महोदया, मैं रक्षा मंत्री जी के संज्ञान में एक बात लाना चाहता हूँ कि पिछले साल दिवाली के मौके पर नुब्रा वेली के आर्मी एम्युनेशन डिपो में एक वाकया हुआ था, जिसकी वजह से तीन गांव—खाल्सर, तिरित और साठी के गांव वासियों को इवेक्यूएट करना पड़ा था। वे तीन-चार दिनों तक वापिस नहीं आ पाये।

अध्यक्ष महोदया, मैं रक्षा मंत्री जी से कहना चाहता हूँ कि लदाख में एम्युनिशन डिपो के लिए जमीन की कमी नहीं है। अगर वहां एम्युनिशन डिपो के लिए सही जगह सलैक्ट की जाये, तो उससे गांव वालों को कोई खतरा नहीं हो सकता। क्या वहां ऐसी जगह उपलब्ध है, जहां एम्युनिशन डिपो भी सुरक्षित रहे और स्थानीय लोग भी सुरक्षित रहें?

मैं मंत्री जी से पूछना चाहता हूँ कि क्या आप इस बारे में जानकारी लेंगे और उन एम्युनिशन डिपोज को उचित स्थान पर हस्तांतरण करने का निर्णय लेंगे?

श्री मनोहर पर्रिकर : यह निर्णय वहां एग्जामिनेशन करने के बाद ही हो सकता है। अगर ऑनरेबल एम.पी. के पास कोई सॉल्यूशन है, तो वह हमें दे दें। मैं उसकी स्टडी करके निर्णय ले लूंगा।

SHRI ADHALRAO PATIL SHIVAJIRAO: Thank you Madam. The hon. Minister has stated in his reply that storage of ammunition is inherently a risky proposition, that too, in a thickly populated urban area and it is more dangerous to the public. WHO have been staying in the vicinity of ammunition storage depots and ammunition factories.

For example, there are more than 80,000-90,000 properties, houses, Government projects, SEZs and MIDCs in the vicinity of the Ammunition Factory at Khadki as well as Dehu Ordnance Depot at Dehu. These people have been staying there for more than 50-60 years. However, the Government, the Ministry of Defence has identified the Outer Safety Distance (OSD) much later, that is, very recently, about 10 years ago. So, I would like to know this from the hon. Minister. If there are more than one lakh properties or there are three lakh population which lives there and there are two important magazine depots and ammunition factories, is the Government considering shifting the magazine depots? In this case, it is a storage depot, and I am not talking about the

manufacturing depots. The storage depots were discussed, and the Government, at that point of time, maybe, 10-15 years ago, was considering that proposal.

I would also like to know this from the hon. Minister. Since the population, the number of people living there, is much more than three lakhs, can you scientifically reduce the distance? It is because there are many options available worldwide to reduce the Outer Safety Distance to see the security of the people living around is ensured by using the latest techniques. Is the Government thinking of reducing the OSD of these two ordnance depots?

SHRI MANOHAR PARRIKAR: Madam, most of the ordnance depots are storage facilities which were created many years ago when there was no population around. I myself am aware of Dehu Road and I used to travel on that road about 30 years back and there was hardly any population around that ordnance depot. Of course, as the demand for land increased and as more and more people settled, this 'red zone', as they call it, is causing problem in many areas. So, we are trying to find out 3-4 solutions to the issue. First, improve the storage facility, go for upgraded storage facilities and go for underground so that the risk itself reduces and better storage improvement takes place but that requires a lot of money. Second, we are also considering the distances parameter, which is decided by an expert committee. The committee is taking a review of the situation based on the international norms. The current distances are based on a century old norm. They are already quite advanced in their studies, and they are in the process of considering recasting the distances required. And, the third one is measuring the distance, not from outer boundary of the property but from outer boundary of the storage facility. These are the three aspects which are at various levels of consideration, and very soon some decision, which would probably reduce some hardship to the people, would be taken.

DR. P. VENUGOPAL : Respected Madam Speaker, it is very astonishing that despite warning by the Comptroller and Auditor General of India, 1,20,805 anti-tank rejected mines worth Rs.47.29 crore due to manufacturing defects were

stored in the 16 ammunition depots across the country. The Government has not taken any action on it, which resulted into such a tragedy at Pulgaon. Therefore, I would like to know from the hon. Minister the steps taken by the Government to comply with the C&AG report to prevent such recurrence in future.

SHRI MANOHAR PARRIKAR: Madam Speaker, we have already taken a decision that disposal of all the defective segregated mines which are found defective from the year 2009—they were oozing out TNT and, therefore, they could not be used and were segregated and kept aside—will be held at various locations. This work will be undertaken by the Army Headquarters. This has already begun and the Army has started disposing of the old defective mines. The Ordnance Factory Board will replace or repair, wherever possible, all the defective mines as early as possible within possibly three months.

A Standard Operating Procedure (SOP) for disposal of defective ammunition in a fixed timeframe, fixing up of responsibility for defects and regularisation of laws is under formulation, which will be issued very soon. In fact, we are trying to ensure that no defective material is supplied to the Armed Forces from ordnance factories. At present, many schemes for this are under implementation.

(Q. 182)

श्री अनन्तकुमार हेगड़े: माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से यह पूछना चाहता हूँ कि जो मेरा प्रश्न एफ.डी.आई. और डॉमैस्टिक इन्वेस्टमेंट को लेकर था, सरकार का जो उत्तर है, इससे बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा है कि इतने पीछे लगने के बावजूद भी एफ.डी.आई. कम होता जा रहा है। वर्ष 2012-13 में चार प्रतिशत, 2013-14 में 4.8 प्रतिशत, वर्ष 2014-15 में 3.7 प्रतिशत एफ.डी.आई. कम हुआ है। इसलिए अगर अपने देश की अभिवृद्धि में हमें लगे रहना हो तो डॉमैस्टिक इन्वेस्टमेंट पर हमें ध्यान देना ही होगा।

मेरा सवाल यह है कि जो डॉमैस्टिक इन्वेस्टमेंट है, सरकार की दृष्टि से वैल्युएबल्स स्टॉक्स एंड दूसरी अन्य स्मॉल सेविंग्स हैं और ये जो वैल्युएबल्स और स्टॉक्स है, जो पैसे वाले लोग होते हैं, इनमें उन लोगों का पैसा लगा होता है। जो स्मॉल सेविंग्स है, यह अपने देश की अभिवृद्धि में आनी चाहिए। एफ.डी.आई. में इन्वेस्टमेंट का लाभांश हमें विदेशियों को देना होता है, लेकिन घरेलू निवेश का जो लाभ होता है, वह देशवासियों को मिलता है। यह स्मॉल सेविंग्स, यानी जो छोटी बचत करने वाले लोग हैं, इन लोगों की जो बचत है, वह देश की अभिवृद्धि में आ जाए। अगर हम आंकड़े देखते हैं तो स्मॉल सेविंग्स का जो इंटरैस्ट रेट है और जो इंप्लेशन रेट है, अगर ये देखेंगे तो नैगेटिव महसूस होता है। इसलिए छोटी बचत को बढ़ावा देने के लिए सरकार के पास क्या योजनाएं हैं और यदि कोई हैं तो कृपया जानकारी दी जाए?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल) : माननीय अध्यक्ष जी, माननीय सदस्य ने जो प्रश्न पूछा है, वह डॉमैस्टिक कैपिटल इन्वेस्टमेंट से संबंधित है। मैं माननीय सदस्य को बताना चाहता हूँ कि डॉमैस्टिक कैपिटल इन्वेस्टमेंट अर्थात् इन्वेस्टमेंट इन इकोनॉमी जिसे ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन कहते हैं, उसका एक अंग ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन होता है। मैं माननीय सदस्य को बताना चाहता हूँ कि अगर आप आंकड़े देखेंगे, जैसे माननीय सदस्य ने तीन वर्षों के आंकड़े का जिक्र किया है, हमारा ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन पिछले तीन सालों में बढ़ा है। अगर आप वर्ष 2012-13 की बात करें तो 33,21,413 करोड़ रुपये है, अगर आप वर्ष 2013-14 की बात करें तो 35,64,320 करोड़ है और अगर आप वर्ष 2014-15 की बात करें तो 38,44,366 करोड़ है। अगर वर्ष 2015-2016 की बात करें तो वह 39,72,401 करोड़ रुपये है, अर्थात् 40 लाख करोड़ रुपये के आसपास हम हैं। It is an increasing trend. यह जो ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन है, इसमें इंक्रीजिंग होना इकोनॉमी के लिए मजबूती प्रदान करने के संकेत हैं।

माननीय सदस्य ने जो प्रश्न किया है कि एफ.डी.आई में प्रतिशत कम है, इसके बारे में मैं माननीय सदस्य को बताना चाहता हूँ कि इसमें भी इन्होंने तीन साल के आंकड़े पूछे थे। यह ग्रॉस सेविंग्स

से लिंकड है। जब देश के लोग सेविंग करते हैं और फिर भी इन्वेस्टमेंट में कुछ कमी रह जाती है तो उस कमी को दूर करने के लिए Net Capital Inflow from rest of the world. लिया जाता है। FDI is one of its components. टोटल एफ.डी.आई. ही नहीं है। एक एफ.डी.आई. है, दूसरा पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट है और तीसरा एक्सटर्नल कॉमर्शियल बोरोइंग है। इसको देखते हुए अगर आप देखेंगे कि वर्ष 2012-13 में जहां हमारी ग्रॉस सेविंग्स 87.6 प्रतिशत थीं, गैप 12.4 प्रतिशत का था। हमने उसको वर्ष 2013-14 में कम किया है और यह 95.2 या 4 प्रतिशत गैप कम किया है। वर्ष 2014-15 में गैप और कम कर दिया गया है। हमारा गैप 3.4 प्रतिशत ही रह गया है। यह जो डिफ्रिजिंग ट्रेंड है, यह भी इकोनॉमी को मजबूती प्रदान करता है।

श्री अरुण जेटली : अध्यक्ष महोदया, मैं एक स्पष्टीकरण हेगड़े जी को दे दूँ।

आपने जिस आंकड़े को एफ.डी.आई. माना है, वह एफ.डी.आई. नहीं है, वह नेट कैपिटल इन्फ्लो प्रॉम द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड है। पूरे विश्व से कितना कैपिटल इन्फ्लो देश के अंदर आया, उस कैपिटल इन्फ्लो में एफ.डी.आई. एक कम्पोनेंट है। पिछले दो वर्षों में जो एफ.डी.आई. कम्पोनेंट है, वह 53 प्रतिशत इंक्रीज हुआ है। It is the highest record. उसके अलावा इसके दूसरे कम्पोनेंट्स हैं - पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, एक्सटर्नल कॉमर्शियल बोरोइंग्स, बोरोइंग्स प्रॉम मल्टीलेटरल एजेंसीज, जब हमें देश में पूंजी की कमी महसूस होती है तो बाकी लोगों से उधार लेना पड़ता है, आज उधार लेने की आवश्यकता नहीं पड़ी, इसलिए वह संख्या कम हुई है, एफ.डी.आई. की संख्या बढ़ी है, इसलिए नेट कैपिटल इन्फ्लो कम है, क्योंकि उसमें हम जो उधार लेते थे, वह कम हुआ है, एफ.डी.आई. कम्पोनेंट बढ़ा है।

श्री अनन्तकुमार हेगड़े : अध्यक्ष महोदया, सरकार का जो बयान है, मैं उसकी सराहना करता हूँ, लेकिन मेरा दूसरा प्रश्न यह है, मंत्री जी ने कहा कि 53 प्रतिशत एफ.डी.आई. बढ़ा है। क्या हम पिछले तीन सालों से एफ.डी.आई. की जो रिटर्न्स होती हैं, हम टेकनोलॉजी फी, लाभांश या ब्रांड रॉयल्टी, इसके जरिए उसका भुगतान करते हैं। पिछले तीन सालों में जो एफ.डी.आई. आया है, उसकी टेकनोलॉजी फीस हो, रॉयल्टी हो या लाभांश हो, कितनी धन राशि विदेशियों को पहुंची है? क्या सरकार इसका उत्तर दे सकती है?

श्री अरुण जेटली : माननीय अध्यक्ष जी, जो व्यक्ति निवेश करता है, चाहे वह स्थानीय निवेश करे या विदेशी निवेश करे, उस निवेश का जो उसका लाभांश होगा, चाहे वह डिविडेंड होगा या उसको कोई अन्य चार्ज मिलने होंगे, वह कोई भी निवेशक लेता है। यह स्पष्ट रहे कि जब कोई भी व्यावसायिक निवेश करता है तो वह चैरिटी के लिए निवेश नहीं करता है, उसका उद्देश्य होता है कि उसमें से उसको गेन

होगा। उसे गेन नहीं होगा तो वह आपके देश में निवेश नहीं करेगा, वह कहीं और निवेश करेगा। अगर डोमेस्टिक इंडस्ट्री को भी उसका लाभ नहीं होगा तो वह फिर डोमेस्टिक इन्वेस्ट न करके किसी और देश में जा कर इन्वेस्ट करेगा।

आज की जो परिस्थिति है, इसको इस दृष्टि से देखिए कि डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट, जो प्राइवेट सैक्टर का होना चाहिए था, पिछले तीन-चार वर्षों में उस तरह का नहीं है, जो होना चाहिए था। प्राइवेट सैक्टर थोड़ा स्ट्रेसड है और इसलिए अर्थव्यवस्था को आगे चलाने के लिए जो निवेश की आवश्यकता है, उसके जो दो मेन इंजन्स हैं, एक पब्लिक इन्वेस्टमेंट है, जो सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर पर और अन्य तरीको से खर्चा कर रही है, जिसके आधार पर इकोनॉमी तेजी से चल रही है और दूसरा, जो फॉरेन सोर्सज आते हैं। वे जो इन्वेस्ट करेंगे तो स्वाभाविक है कि अगर प्रॉफिट होगा तो उनको भी डिविडेंड मिलेगा, स्वाभाविक है कि कोई टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करेगा तो उसको भी लाभ मिलेगा। मुझे लगता है कोई इन्वेस्टर डोमेस्टिक हो या विदेशी हो, वह उसमें डिविडेन्ड या चार्ज की अपेक्षा करे तो यह बिजनेस नियमों के विरुद्ध नहीं है और देश के कानून के विरुद्ध भी नहीं है। अगर हम कहेंगे कि कोई प्रॉफिट ले ही नहीं सकता है तो फिर इस देश में कोई निवेश ही नहीं करेगा।

SHRIMATI R. VANAROJA: Respected Madam Speaker, thank you for allowing me to ask this supplementary question.

The Foreign Direct Investment has been showing a declining trend as far as FDI investment in India is concerned. We were placed at seventh place way back in 2014. But at present it is far below in ranking. This is as per reports appearing in many leading newspapers.

I would like to know from the hon. Minister as to what steps have been taken by the Government to make India the most favourable destination for FDI, as is being claimed by the Government.

श्री अर्जुन राम मेघवाल : अध्यक्ष महोदया, माननीय मंत्री जी ने एफ.डी.आई. के बारे में जवाब दिया है, मेरे ख्याल से उससे माननीय सदस्य को संतोष हो गया होगा।

माननीय सदस्या ने प्रश्न किया है कि डोमेस्टिक कैपिटल इन्वेस्टमेंट को बढ़ाने के लिए सरकार क्या प्रयास कर रही है, जिससे ग्रास कैपिटल फॉर्मेशन ज्यादा बढ़े। इसके लिए मेक इन इंडिया प्रोग्राम है। स्किल इंडिया प्रोग्राम है।

प्रो. सौगत राय: आप एफ.डी.आई. के बारे में बताएं।

श्री अर्जुन राम मेघवाल : मैं वह भी बताने जा रहा हूँ। डिजिटल इंडिया प्रोग्राम है, स्टार्ट-अप इंडिया प्रोग्राम है, स्टैंड-अप इंडिया प्रोग्राम है।... (व्यवधान) आप शांत रहिए, मैं जिक्र कर रहा हूँ। सौगत राय जी, वर्ष 2012-13 में 87.6 परसेंट ग्रास सेविंग थी और शार्ट फॉल 12.4 परसेंट था। वह किससे पूरा करोगे? वह एफ.डी.आई. से करोगे, पोर्टफोलियो इनवेस्टमेंट से करोगे और एक्सटर्नल कमर्शियल बौरोइंग से करोगे। देश में इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में अगर एफ.डी.आई. आता है, तो देश तरक्की करेगा, देश में इनवेस्टमेंट आएगी और देश में रोजगार के अवसर पैदा होंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी का जो नारा है कि हम उत्तम भारत और समृद्ध भारत बनाना चाहते हैं, इससे उस नारे की, उस परिकल्पना की पूर्ति होगी।

SHRI ARUN JAITLEY: Madam, the hon. Member has asked what steps the Government has taken. Obviously, the first step in order to ensure that FDI comes into the country is that you have to open up various sectors for FDI. This has been a continuous process. It was started in 1991 and has been continuing. So, we have also opened up several sectors additionally.

In addition to opening up those sectors, there were several conditionalities in relation to each of those sectors. Those conditionalities have also been smoothened.

After you open the sectors, the investors then want an easy entry into the business. The time lag between deciding to invest and the actual commencement of the business has to be narrowed down. India's rating in terms of ease of doing business was quite low as far as global rankings are concerned. Over the last two years, we have taken a series of several steps so that we have eased the whole process of doing business in India, but this is still a work in progress and it has to continue.

Investors then expect stability of the taxation regime – a reasonable and competitive taxation regime – so that there is no element of unpredictability in that.

Thereafter, you have to ensure that the system itself is more transparent. Therefore, various decisions with regard to transparency of resources etc. have been taken. Each of the steps which we have taken in the last two years are all

intended in the direction of making sure that both foreign and domestic investors find India a better place to do business in.

(Q. 183)

श्री लल्लू सिंह: अध्यक्ष महोदया, मैं पिछले दो वर्षों के आंकड़े देख रहा था, जिसमें केंद्र की तरफ से इन रोगों की रोकथाम के लिए, जो राशि राज्यों को आबंटित की गई है, राज्यों द्वारा उस राशि का आधा पैसा ही विषाणुजनित रोगों की रोकथाम हेतु खर्च किया गया है और शेष राशि हर वर्ष केंद्र सरकार को वापिस कर दी जाती है, जबकि सच्चाई यह है कि विषाणुजनित रोगों और रोगियों की संख्या में प्रतिवर्ष वृद्धि हो रही है।

मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि क्या सरकार इस प्रकार का कोई तंत्र विकसित करेगी, जिससे कि केंद्र द्वारा जारी धनराशि का शत-प्रतिशत उपयोग करना राज्य सरकारों के लिए बाध्यकारी हो, क्योंकि धनराशि पूरी तरह से खर्च न होने से रोगों पर अंकुश नहीं लगता है और रोगियों की संख्या भी बढ़ती रहती है?

श्री जगत प्रकाश नड्डा : महोदया, जहां तक केंद्र के फंड्स को आबंटित करने का सवाल है, वह हम राज्य की जनसंख्या और नागरिकों की हैल्थ की कंडीशंस को देखकर एलोकेट करते हैं। जहां तक वैक्टर बोर्न डिजीजेज़ का सवाल है, जहां इसका ज्यादा से ज्यादा प्रभाव पड़ता है, उस दृष्टि से भी राशि एलोकेट की जाती है। हमारी कोशिश रहती है कि हम उन्हें टेक्नीकल सपोर्ट, फाइनेंशियल सपोर्ट, उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग आदि चीजों के लिए धनराशि दें और टूल्स के लिए, किट्स के लिए, टैस्टिंग के लिए, उनकी लैब्स की स्ट्रेंथनिंग के लिए हम धनराशि दें। हम समय-समय पर उसका रिव्यू करते रहते हैं और हम प्रदेश सरकारों पर इस बात के लिए बार-बार जोर देते हैं कि वे इस धन का पूरा सदुपयोग करें और अपनी कैपेसिटी बिल्डिंग बढ़ाएं, ताकि इन रोगों की रोकथाम करने में मदद मिल सके।

श्री लल्लू सिंह: माननीय अध्यक्ष महोदया, पूर्वांचल के गोरखपुर जनपद में अभी हाल ही में माननीय प्रधानमंत्री जी और स्वास्थ्य मंत्री जी ने एम्स का शिलान्यास किया है, इसके लिए मैं माननीय प्रधानमंत्री जी तथा स्वास्थ्य मंत्री जी को पूर्वांचल की जनता की तरफ से हार्दिक बधाई देता हूँ। मुझे विश्वास है कि इस एम्स के निर्माण से पूर्वांचल के गरीब, किसान, मजदूर और झुग्गी-झोपड़ियों में रहने वाले इंसानों को सस्ती और अच्छी चिकित्सा प्राप्त होगी।

प्रभु श्रीराम की जन्मभूमि अयोध्या और अयोध्या की राजधानी रही फैजाबाद तथा उसके आसपास के 10-12 जिलों में पिछले कुछ वर्षों से कैंसर के रोगियों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। मेरा मंत्री जी से सवाल है कि क्या सरकार को फैजाबाद में कैंसर शोध संस्थान एवं चिकित्सालय खोलने का कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है? यदि हाँ, तो सरकार उसकी स्वीकृति कब तक देगी?

श्री जगत प्रकाश नड्डा : माननीय अध्यक्ष जी, फैज़ाबाद के लिए ऐसा कोई प्रस्ताव है, इसका जवाब मैं तुरंत तो नहीं दे सकता हूँ, लेकिन ऑल इंडिया मेडिकल साइंसेज़, गोरखपुर में कैंसर यूनिट का प्रावधान है और इस प्रकार से व्यवस्था की जाएगी, ताकि सारे रीजन को वह फीड कर सकें और हेल्थ केयर दे सकें। जहाँ तक प्रस्ताव की बात है, तो इसकी जानकारी लेकर मैं सदस्य महोदय को इससे अवगत कराऊँगा।

HON. SPEAKER: Shri Kesineni Srinivas – not present.

डॉ. किरिट पी. सोलंकी: माननीय अध्यक्ष महोदया, आपने मुझे vector-borne diseases पर बोलने की अनुमति दी है। जहाँ तक इन डिज़ीज़ का सवाल है, मलेरिया हमारे लिए सबसे बड़ी चिन्ता का विषय है। मलेरिया में जो vives मलेरिया होता है, वह मच्छरों की वजह से होता है, जिसे vives malaria falciparum कहते हैं, it is quite fatal also. मुझे स्मरण है कि 70 के दशक में भारत सरकार ने malaria eradication programme चलाया था। मगर उस प्रोग्राम में कुछ कमियों की वजह से जिस तरह से हमने स्मॉल पॉक्स और मिज़ल्स में सक्सेस पायी है, ऐसी मलेरिया इरेडिकेशन में सक्सेस हमने नहीं पायी है। आज पूरे देश में मलेरिया बहुत ही प्रिवैलेंट है।

मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से निवेदन करता हूँ कि मंत्री जी ने National Framework for Elimination of Malaria 11 फरवरी, 2016 को लांच किया है तथा अपने जवाब में बताया है कि आपने दो राज्यों- मध्य प्रदेश और ओडिशा में पीपीपी मॉडल के तौर पर एक मिशन लांच किया है। मेरा आपसे अनुरोध है कि क्या सरकार पूरे Pan-India में, क्योंकि आप मलेरिया एक राज्य से एलिमिनेट करेंगे, तो it will spread to another state.

माननीय अध्यक्ष : आप अपना प्रश्न पूछिए।

डॉ. किरिट पी. सोलंकी: इसलिए आप पूरे देश में पहले की कमियों को दूर करके preventive aspect और curative aspect को जोड़कर क्या एक मिशन लांच करेंगे?

श्री जगत प्रकाश नड्डा : अध्यक्ष जी, हमने जहाँ National Framework for Elimination of Malaria कार्यक्रम को लांच किया है, वहीं जो डॉयग्नोस्टिक फैसिलिटीज़ हैं, उनको भी हमने बढ़ाया है। हमारे जो सर्विलेंस हॉस्पिटल्स हैं, वे 110 से बढ़कर 527 हो गये हैं। उसी तरह से 15 रेफरल लेबोरेट्रीज़ डेवलप की गयी हैं। सेन्ट्रल साइट्स को 51 से 121 कर दिया गया है। इस तरह से हमने डिटेक्शन बढ़ाया है। यदि आंकड़े देखें, तो हमारे ध्यान में आएगा कि मलेरिया के डिटेक्शन की संख्या बढ़ी है, लेकिन डेथ्स की संख्या घटी है। अभी हमने यह किया है और आगे भी इसी तरह से करेंगे।

एक कार्यक्रम, जो बहुत दिनों से बंद था, जो long-lasting insecticidal nets होते थे, को देने का प्रावधान था। अभी हमने नॉर्थ-ईस्टर्न स्टेट्स में 72.5 लाख नेट्स बांटे हैं। ये नॉर्थ-ईस्ट के सेवन स्टेट्स के लिए थे। उसी तरह से ओडिशा के लिए 50 लाख long-lasting insecticidal nets अंडर पाइपलाइन हैं और 35 लाख नेट्स झारखण्ड स्टेट के लिए दिये गये हैं, 32 लाख नेट्स छत्तीसगढ़ स्टेट के लिए दिये गये हैं। इस तरह से हमारा प्रयास है कि हम लांग लास्टिंग नेट्स दें, ताकि इससे भी मलेरिया के मासक्यूटोज़ को कंट्रोल किया जा सके।

माननीय अध्यक्ष : यह प्रश्न हेल्थ से संबंधित है, इस पर बहुत-से सदस्य प्रश्न पूछना चाहते हैं, यदि बिना भाषण के शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो मैं इसकी अनुमति दे सकूंगी।

DR. KULMANI SAMAL: Madam, the reply tabled by the hon. Minister mentions that for prevention and control of vector borne diseases the Central Government does not provide funds to the urban local bodies directly. I fail to understand the justification for this policy. A lot of people are dying due to this disease. The State Governments are having many health-related challenges to attend to and the Central Government should not restrict itself to issuing advisories. My question is, would the Central Government consider starting a Central sector scheme to provide funds to the urban local bodies directly?

श्री जगत प्रकाश नड्डा : महोदया, जहां तक वैक्टर बॉर्न डिज़ीज़िस का सवाल है, इसमें हेल्थ तो रेसिड्यूल पार्ट में आता है। जब व्यक्ति उस बीमारी से ग्रसित हो जाता है, तो उसके बाद वह हेल्थ डिपार्टमेंट के पास आता है। इसमें बहुत से स्टेक होल्डर्स हैं, जिन्हें हमें साथ में लेकर चलना होता है। राज्य सरकार, म्यूनिसिपैलिटी, अर्बन लोकल बॉडीज़ के माध्यम से इस काम को करना होता है। मैं ध्यान में लाना चाहता हूं कि यह फंड हम खर्च नहीं करते हैं, लेकिन 14वें फाइनेंस कमीशन ने इसके लिए 69,715 करोड़ रुपए अर्बन के लिए रखा है और 1,80,262 करोड़ रुपए रूरल बॉडीज़ के लिए रखा है, पंचायतों के लिए स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत रखा है, The Heads under which this is given is basic services like water supply, sanitation, septic management, sewage and solid waste management. इन सभी हेड्स के तहत लोकल बॉडीज़ को 14वें फाइनेंस कमीशन ने 69,715 करोड़ रुपए अर्बन के लिए और 1,80,262 करोड़ रुपए रूरल बॉडीज़ के लिए दिए हैं। So, this fund directly goes to the panchayats and urban bodies, and they have to make a micro plan

accordingly for septic management, for waste management, etc., so that the burden of the disease reduces.

DR. MRIGANKA MAHATO: Madam Speaker, vector borne diseases cause a great deal of morbidity and mortality in rural India. It had been found that at Primary Health Centre level which covers most of the village panchayats, there is no minimum infrastructure like laboratory facilities or lab technicians. Would the Central Government in coherence with State Governments take up this matter as a challenge to improve the situation further, with regular monitoring and vigilance in this matter?

SHRI JAGAT PRAKASH NADDA: Madam, we have taken it as a challenge. As I said, we have been able to arrest malaria. We have been able to curtail and bring down kala azar incidents a lot and filaria also reduced. We are trying to do our best, but it is the State Governments who have to take the initiative. If they come out with a programme, the Central Government is always there to help them. We give them technical support and we give them the capacity-building support.

श्री राजीव सातव : अध्यक्ष महोदया, मैं आपसे यहां से सवाल पूछने की अनुमति चाहता हूं।

महोदया, जैसे मंत्री जी ने आंकड़े दिए हैं, डेंगू से होने वाली मृत्यु की दर पिछले दो साल से बढ़ी है। पिछले साल 137 लोगों की डेंगू से जान गई थी और उससे पिछले साल 220 लोगों की जान गई थी। जैसे महाराष्ट्र, पंजाब, दिल्ली आदि कई राज्यों में डेंगू की सबसे ज्यादा कैजुअल्टीज़ हो रही हैं।

मेरा आपके माध्यम से सरकार से आग्रह है कि जिन राज्यों में डेंगू बीमारी का ज्यादा प्रकोप है, क्या केंद्र सरकार उनके लिए ज्यादा आर्थिक सहायता और टेक्नीकल सहायता देने के बारे में कोई विशेष बात सोच रही है?

श्री जगत प्रकाश नड्डा : अध्यक्ष महोदया, डेंगू के लिए जनवरी, 2016 से लेकर अभी तक हम लोगों ने लगभग 10 एडवाज़री दी हैं, तीन विडियो कांफ्रेंसिंग ग्यारह राज्यों के साथ की हैं, जहां इसका सबसे ज्यादा प्रभाव होता है। मैंने स्वयं एक विडियो कांफ्रेंसिंग मंत्रियों और अंडर सेक्रेटरीज़ के साथ की है। हमारे सेक्रेटरी ने, वैक्टर बोर्न डीसिज़ के हैड ने उनसे मुलाकात की। We have made all types of arrangements as far as the kits are concerned and constantly we are asking them to let us know if they have any problems. We have given them the training also. We have also seen

to it that further training is given at the grassroots level by their people. So, we have trained the master trainers and the master trainers have been training them also.

As far as the financial support goes, all types of financial supports are there. We are vigilant in this regard. डेंगू को दूर करने में अर्बन बॉडीज़ का भी इनवाल्वमेंट है। हमने अर्बन बॉडीज़ को कहा है कि आप वेक्टर बॉर्न डिजीज़ के बारे में जानकारियां दें। हम लोगों ने एक ऐप 'act against dengue' निकाला है। हम उस ऐप पर भी सारी सूचनाएं दे रहे हैं। हम कोशिश यह कर रहे हैं कि केन्द्र सरकार की ओर से राज्य सरकार को हर तरीके का लॉजिस्टिक सपोर्ट दिया जाए।

SHRIMATI KOTHAPALLI GEETHA: Madam Speaker, I thank the hon. Minister for his detailed reply. These vector borne diseases are more prevalent in the rural areas and tribal areas than in the urban areas. Even today the basic challenge in those areas is the diagnosis facilities which are yet to be streamlined. The Central Government has launched the National Vector-Borne Diseases Programme in 2015 under Rural Health Mission. I would like to know from the hon. Minister if that programme, which has already been launched, has made any progress to create proper diagnostic and treatment facilities in the rural areas and the tribal areas. Many people are dying in the tribal areas because of these diseases. What are the steps taken by the Central Government in this regard with the involvement of the State Governments?

श्री जगत प्रकाश नड्डा : मैडम, एन.एच.एम. में लार्जर इकोनोमिक एक्शन ग्रुप और इकोनोमिक एक्शन ग्रुप और इसी तरीके से हिली स्टेट्स के लिए अलग-अलग प्रोग्राम्स हैं। Weightage has been given in finances as far as NHM is concerned. As far as the diagnosis part is concerned, I said that in 2007 there were 110 sentinel services and now we have got 527 sentinel services. We have got 15 apex referral laboratories and at the same time sentinel sites have been increased from 51 to 121. Wherever the States have been asking for capacity building, funds are being given and the States are accordingly responding.

श्री रत्न लाल कटारिया: महोदया, मैं आपके माध्यम से आदरणीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूँ कि मलेरिया और डेंगू जैसी बीमारियों से मिलते-जुलते हैपिटाइटिस-बी और हेपिटाइटिस सी के सारे देश के अंदर साठ लाख से अधिक मामले पाये जाते हैं। कल वर्ल्ड हैपिटाइटिस डे मनाया गया था। क्या भारत सरकार हिंदुस्तान से हैपिटाइटिस की बीमारी को दूर करने के लिए इस वर्ष को थीम वर्ष के रूप में मनाने जा रही है और हैपिटाइटिस-बी और सी को रोकने के लिए सरकार ने क्या-क्या कदम उठाये हैं, यह मैं आदरणीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ?

श्री जगत प्रकाश नड्डा : मैडम, हैपिटाइटिस-बी और सी के लिए अवेयरनेस का प्रोग्राम चल रहा है और उसमें जो भी सपोर्ट की जरूरत है, वह हम देंगे। मैं एक निवेदन जरूर करूंगा कि जो डिस्ट्रिक्ट्स लैवल विजिलेंस व हैल्थ कमेटीज बनी हैं, उसके सभी माननीय सदस्य चेयरपर्सन हैं। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि ये सारे हैल्थ इश्यूज अपने-अपने जिले में उठायें...(व्यवधान) कमेटीज बन गई हैं, उसके बारे में स्पेसिफाइड डेट्स भी दे दी गई हैं। आप उसकी मीटिंग बुलाएं और मीटिंग बुलाकर वहां की सारी चीजों on all issues related to health and NHM, it is your responsibility. Members of Parliament have been given this power. They are the Chairmen of the District level Vigilance Committees. They have to see whether in their Districts all types of activities are going on or not.

(Q.184)

SHRIMATI P.K. SHREEMATHI TEACHER: Madam Speaker, first of all I want to congratulate the hon. Minister for taking the initiative for starting 150 One Stop Centres in our country.

The Central Government and the State Governments are the authorities to make sure that no rapist will go unpunished in our country. We want to ensure that the punishment meted out is severe enough and swift enough. Is the Government kind enough to start a fast-track court in each State and see that all the processes take place in that court and punishment is given within one month?

SHRIMATI MANEKA SANJAY GANDHI: Madam Speaker, this question is so far out of the ambit of the asked question and it does not really fall under me. I do not have the authority to ask for fast-track courts or to change the law in any way.

SHRIMATI P.K. SHREEMATHI TEACHER : Hon. Speaker Madam, I asked this question because a sum of Rs. 3,000 crore is lying idle with the Government. I do not want to criticize the hon. Minister because most of the money is pending with other Departments and not with the Ministry of Women and Child Development, even though the hon. Supreme Court criticized it severely. My question is whether the hon. Minister and the Government is ready to utilize the sanctioned money and whether we can start one-stop centre in each district.

THE MINISTER OF URBAN DEVELOPMENT, MINISTER OF HOUSING AND URBAN POVERTY ALLEVIATION AND MINISTER OF INFORMATION AND BROADCASTING (SHRI M. VENKAIAH NAIDU): It is from Madam through Madam to Madam.

HON. SPEAKER: The question is also about women.

SHRIMATI MANEKA SANJAY GANDHI: Hon. Speaker Madam, the idea is really to start one One Stop centre in every district. In the first phase, we were allowed 36 centres and we received 33 requests from the State Governments. We sent them the money and 17 One Stop Centres have been built. We did a survey on those 17 centres and we found that they are truly helping thousands of women.

So, we entered into phase two and now we have 150 centres which will be ready by April. If that goes well, we aim for 660 or more, if necessary.

There is no unspent money. If the hon. Member is referring to Nirbhaya Fund which comes under us, it is being used for a variety of schemes all of which are going towards defence of women. Regarding the hon. Member's request on Fast Track Courts, I can only request the hon. Law Minister and his Ministry and see where it goes.

HON. SPEAKER: All supplementary are from men now.

श्री भैरों प्रसाद मिश्र: अध्यक्ष महोदया, मैं सरकार को बधाई देना चाहता हूँ कि विशेषकर जो हिंसा से प्रभावित महिलाएं हैं, उनके लिए "वन स्टॉप सेंटर" स्कीम लॉन्च की है। उसमें उत्तर प्रदेश से जो प्रस्ताव आए हैं, उनमें मेरे क्षेत्र बांदा का भी एक है। माननीय मंत्री जी ने जवाब में बताया है कि वहां पर वह प्रचालित है, लेकिन उसका विवरण अभी प्राप्त नहीं हुआ है। मैं कहना चाहता हूँ कि अभी तक वह ठीक से प्रचालित ही नहीं हो पाया है और वहां पर अभी कोई भी व्यवस्था नहीं है। मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि वे राज्य सरकार से बातचीत कर उसको शुरू करवाएं। उत्तर प्रदेश वैसे भी बहुत बड़ा प्रदेश है, जहां पर एक सेंटर से कोई काम चलने वाला नहीं है। ऐसे कम से कम चार-पांच सेंटर उत्तर प्रदेश में होने चाहिए, क्योंकि उसकी आबादी और क्षेत्रफल बहुत बड़ा है। लेकिन फिर भी मेरे क्षेत्र बांदा में खुला है, मुझे इसका गर्व है और मैं सरकार को इसके लिए बधाई भी देना चाहता हूँ कि जो प्रस्ताव आया है, उसमें कम से कम बांदा में एक सेंटर खुलने का काम हुआ है। वहां अभी ठीक से उसकी व्यवस्था नहीं हो पाई है। माननीय मंत्री जी, उसके ठीक से क्रियान्वयन के लिए क्या प्रयास करेंगे कि जिससे उसका लाभ, जो हमारी सरकार की मंशा है, उसका लाभ महिलाओं को मिल सके? उसके लिए क्या प्रयास करने का काम करेंगे?

श्रीमती मेनका संजय गांधी : अध्यक्ष महोदया, उत्तर प्रदेश में 15 जिलों के लिए यह नियुक्त हुआ है, जिसमें से बांदा के लिए हम लोगों ने पहले से पैसा भेज दिया है। The amount of money that is sent is Rs. 81.10 lakh for building it and Rs. 43 lakhs for running it. The point is that the State Government has to run it. We can only give the money. If the State Government is not sending the money and not running it, we will take it up with the State Government, because I am personally, and my Ministry is totally committed to providing this infrastructure for women.

SHRI NINONG ERING: Thank you, Speaker Madam.

I am grateful to the hon. Minister Madam that out of the Nirbhaya Fund that was allocated these One Stop Centres have started to function; not only in the main cities but all through the country it is being implemented. I would like to put a very small question. I come from the North-East. You would see that there is a lot of discrimination in all the cities whether it is Mumbai, Bangalore, or Chandigarh. There all these One Stop Centres especially for ladies. We have just seen in the recent incident where three Sikkim girls were raped by the owner and the case has been taken up and also the case of Monica Khangembam who had been discriminated in the airport. These kind of issues are there. So, in these cities can we not have a special for the North-East where these complaints can be looked into? I would also support Madam's case regarding the fast-track courts because our children study here for three years and go back; after that they do not go into cases again. So, I think, you should fast-track courts also.

SHRIMATI MANEKA SANJAY GANDHI: I think, the first suggestion is a good one but I do not know whether it is practical. We already have for instance in Delhi a Delhi Women's Cell; we have a National Commission for Women. Both take in cases from everybody whether they are from the North-East or South or Delhi itself.

Regarding putting up centres, we have taken up a list of how many of our Centres that are working are actually catering to women. While Raipur is doing the best Meghalaya where we put up our first Centre has got nothing, no one. So, it is up to the States in the North-East how well they do it. For Sikkim, we want one; one for Mizoram; two for Manipur; one for Arunachal; one for Meghalaya; and one for Nagaland. The point is you have to make them work. It has been almost a year since Meghalaya Centre started but the fact that not a single woman has entered the place means either you have a wonderful track record where crime against women is concerned or it is not working.

DR. RATNA DE (NAG) : I would like to know whether the Ministry has constituted any committee or panel to ensure proper and effective monitoring of

the implementation of the Verma Committee recommendations regarding women's safety.

HON. SPEAKER: There is a Women's Empowerment Committee itself.

SHRIMATI MANEKA SANJAY GANDHI: It actually does not come under this Question at all but we have put up a committee to ensure that some of the points made by the Verma Committee are looked into.

(Q. 185)

श्री अनूप मिश्रा: महोदया, आज स्वास्थ्य पर बहुत सारी चर्चा हुई है, लेकिन एक मूल बात जिसके लिए राज्य तकलीफ में आते हैं, जब राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन शुरू हुआ तो राज्य का हिस्सा 15 प्रतिशत होता था, फिर वह 25 प्रतिशत हुआ और अब राज्य की भागीदारी 40 प्रतिशत हो गई है।

मैं माननीय मंत्री जी से सिर्फ इतना जानना चाहता हूँ कि भविष्य में यह कहीं बराबरी पर तो नहीं आ जाएगा या प्रदेश ज्यादा देने लगेंगे और केन्द्र कम देने लगेगा। क्या ऐसा कोई प्लान तो भविष्य में नहीं है?

श्री जगत प्रकाश नड्डा : महोदया, जब 14वें वित्त आयोग की रिपोर्ट आई, जिसमें डेवोल्यूशन ऑफ फंड्स 32 से 42 परसेंट हुआ, उसी समय मुख्यमंत्रियों की एक कमेटी बनी थी और उसमें यह तय हुआ था कि सेन्ट्रली स्पान्सर्ड स्कीम्स की दृष्टि से किस तरीके का विभाजन होगा। उसी में यह 60:40 हुआ है और उसके तहत ही यह किया जा रहा है।

श्री अनूप मिश्रा: महोदया, देश में मातृ-शिशु मृत्यु दर के बढ़ते हुए प्रभाव को देखते हुए तय हुआ था कि मैटरनिटी विंग और तेजी से, और अच्छे, और अल्ट्रा मॉडर्न बनाए जाएंगे और उनके ओ.टी. ठीक किए जाएंगे। क्या राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत अलग से जो एक्शन प्लान राज्य केन्द्र सरकार को भेजते हैं, केन्द्र सरकार इस मातृ शिशु मृत्यु दर को कम करने के लिए अलग से कोई राशि का प्रावधान प्रदेश के राज्यों को करेगी? दूसरी बात यह है कि जो जिला चिकित्सालय हैं जो पहले के बने हुए हैं और जहाँ बैड संख्या भी कम हैं, लेकिन जनसंख्या के अनुपात में उनकी कैपेसिटी बढ़ानी है, उसके लिए क्या अलग से कोई प्रावधान करेंगे?

श्री जे.पी.नड्डा : मैडम, पाँच कंपोनेन्ट एन.एच.एम. के तहत हैं। जहाँ तक एन.एच.एम. के तहत इन्होंने मदर एंड चाइल्ड के बारे में कहा, Reproductive, Maternal, New-born Child, Adolescent Health (RMNCAH), जिसको कहते हैं कि taking care of the mother right from the day she gets pregnant till delivery and after that the child for two years for immunization programme. After that giving them Iron and Folic Acid. उसके साथ-साथ जब तक वह एडोलसेंट नहीं होता है, यह केयर का सिस्टम हम लोगों ने आर.एम.एन.सी.एच. में दिया है। इसके साथ-साथ डिलीवरी के लिए माताओं को डिलीवरी इंस्टीट्यूशंस में ले जाना, उनको वापस छोड़ना, बीच में कोई कांफ्लिकेशंस हों तो उनको भी देखना, इन सबके लिए एन.एच.एम. में फंडज़ की व्यवस्था की गई है। एक पीआईपी होता है, जिसमें प्रदेश सरकार अपने-अपने प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन प्लान

बनाती है। उस पीआईपी में अपनी हैल्थ फैसिलिटीज़ को कैसे सुदृढ़ करना है, कैसे कैपेसिटी बिल्डिंग करनी है, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट करना है, उनकी सैलेरीज़ को देने का, ये सारे कंपोनेन्ट्स फ्लैक्सिबल पूल में हैं। जो-जो स्टेट्स इसमें जिस-जिस तरीके से पैसा मांगते हैं, हम उनको उस तरीके से पैसा देते हैं।

माननीय अध्यक्ष : श्री शरद त्रिपाठी।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : आपने पूछ लिया है। आप बाद में पूछिये।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : शरद त्रिपाठी जी, आपकी सीट कहाँ है?

श्री शरद त्रिपाठी: माननीय अध्यक्ष जी, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं इसी सीट से बोलने की अनुमति चाहूँगा। हमारी सीट खंभे के बगल में है। मैं पहले भी अनुरोध कर चुका हूँ।

माननीय अध्यक्ष : खम्मा तो उधर वाला है।

श्री शरद त्रिपाठी : जी हाँ, वहाँ भी दूसरी सीट से ही बोलना पड़ता है।

माननीय अध्यक्ष : इतना लंबा कूद गए हनुमान जी जैसे।

श्री शरद त्रिपाठी : आपकी विशेष कृपा चाहता हूँ। कृपया यहाँ से बोलने की अनुमति दीजिए।

माननीय अध्यक्ष : जी बोलिए, मगर बहुत लंबी कूद हो गई।

श्री शरद त्रिपाठी: माननीय अध्यक्ष जी, बहुत बहुत धन्यवाद। कई दिन से मेरा स्टार्ड क्वेश्चन आ रहा था, आज आपने मौका दिया, उसके लिए विशेष धन्यवाद।

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि माननीय प्रधान मंत्री जी के कुशल निर्देशन में हमारे माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी ने बहुत विस्तृत आँकड़े उपलब्ध कराए हैं कि ग्राम स्वास्थ्य, स्वच्छता एवं पोषण समिति से लेकर पूरे देश के स्वास्थ्य को ठीक करने के लिए भारत सरकार ने अब तक कितना धन उपलब्ध कराया है। मैं आपके माध्यम से कहना चाहूँगा कि देश का सबसे बड़ा प्रदेश उत्तर प्रदेश है, जहाँ सबसे अधिक आबादी रहती है। वहाँ पर स्वास्थ्य विभाग द्वारा सबसे अधिक पैसा माननीय मंत्री जी ने भेजा है। मैं जानना चाहूँगा कि अब तक केन्द्र ने उत्तर प्रदेश सरकार को कितना पैसा भेजा है और उत्तर प्रदेश सरकार ने उसका अब तक कितना उपयोग किया तथा जो स्वास्थ्य समिति की नियमित बैठकें होनी चाहिए, उनकी बैठक क्या नियमित रूप से हो रही है या नहीं और उसमें सांसदों को विशेष रूप से बुलाया जा रहा है या नहीं?

श्री जगत प्रकाश नड्डा : मैं इस प्रश्न के माध्यम से आप सबको बताना चाहूँगा कि इसका नोटिफिकेशन जारी हुआ है, आप सबको मिला है, उसको आपको देखना होगा। **Madam, 645 District level Vigilance and Monitoring Committees are constituted.** हमने डेट्स भी स्पैसिफाई कर दी हैं। अब कोई डिप्टी कमिश्नर या सीएमओ यह नहीं कह सकता है कि मैं उसमें उपलब्ध नहीं हूँ। जो फर्स्ट क्वार्टर है, उसके लिए **the last Saturday of May is the day** जिस दिन डिस्ट्रिक्ट विजिलेंस मॉनीटरिंग कमेटी बैठेगी। जो सैकेंड क्वार्टर है, उसके लिए **first Saturday of August** है। **This is coming on 6th of August.** अभी जो यह 6 अगस्त को है, उस दिन डिस्ट्रिक्ट लैवल की मॉनीटरिंग कमेटी होगी, जिसके चेयरपरसन आप सब माननीय सदस्य हैं। ... (व्यवधान) **I will answer.** ... (व्यवधान)

जो थर्ड क्वार्टर है, वह फर्स्ट सैटर्डे ऑफ नवंबर है। जो फोर्थ क्वार्टर है, वह फर्स्ट सैटर्डे ऑफ फेब्रुअरी है। ये डेट्स स्पैसिफाई कर दी गई हैं और यदि **Member of Parliament is not available on that day, on his instruction the date can be shifted,** जो सूटेबल डेट मैम्बर ऑफ पार्लियामेंट को होगी। इतनी बड़ी ताकत विजिलेंस कमेटी की दृष्टि से, हेल्थ की दृष्टि से हम लोगों ने उसे दी है। हम लोगों ने यह भी कहा है कि **funds will be released accordingly when these committee meetings take place regularly.** So, we are also trying to see to it, कि आपके साथ वे जवाबदेह बनें और उस कमेटी के माध्यम से चलें।

12.00 hours

जहां तक उत्तर प्रदेश का सवाल है, हम लोगों ने फंड्स तो सबको दिये हैं। माननीय सदस्य ने आज तक के आंकड़ों के बारे में पूछा है। आज तक के आंकड़े मेरे पास नहीं हैं, लेकिन अगर आप हम से इस साल का पूछेंगे तो लगभग 1,431 करोड़ रुपए उत्तर प्रदेश के द्वारा खर्च करने बाकी हैं, यानी उत्तर प्रदेश के 1,431 करोड़ रुपए अनस्पेन्ट है, जिसे उन्हें स्पेन्ट करना चाहिए। हम चाहते हैं कि वे इसे जल्दी से जल्दी स्पेन्ट करें, ताकि उनका जो और पैसा है, वह हम उन्हें दे सकें।

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, मुझे कई सारे स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएँ प्राप्त हुई हैं।

ये मामले महत्वपूर्ण हैं, परन्तु इनके लिए सभा की कार्यवाही में व्यवधान डालना आवश्यक नहीं है और मैंने स्थगन प्रस्ताव की अनुमति प्रदान नहीं की है। बाद में ज़ीरो आवर में इसे उठाने दूंगी।

...(व्यवधान)

12.02 hours**PAPERS LAID ON THE TABLE**

HON. SPEAKER: Now, Papers to be laid on the Table.

THE MINISTER OF FINANCE AND MINISTER OF CORPORATE AFFAIRS

(SHRI ARUN JAITLEY): I beg to lay on the Table:-

(1) A copy each of the following Notifications (Hindi and English versions) under sub-section (2) of Section 462 of the Companies Act, 2013:-

- (i) Draft Notification No. F. No. 3/1/2015-CL.I providing exemptions/modifications under Section 462(1) of the Companies Act, 2013 to Specified IFSC Unlisted Public Companies which is licensed to operate by the Reserve Bank of India or the Securities and Exchange Board of India or the Insurance Regulatory and Development Authority of India from the International Financial Services Centre located in an approved multi-services Special Economic Zone set-up under the SEZ Act, 2005 read with SEZ Rules, 2006 (herein after referred to as “Specified IFSC Public Company”).
- (ii) Draft Notification No. F. No. 3/1/2015-CL.I providing exemptions/modifications under Section 462(1) of the Companies Act, 2013 to Specified IFSC Private Companies which is licensed to operate by the Reserve Bank of India or the Securities and Exchange Board of India or the Insurance Regulatory and Development Authority of India from the International Financial Services Centre located in an approved multi-services Special Economic Zone set-up under the SEZ Act, 2005 read with SEZ Rules, 2006 (herein after referred to as “Specified IFSC Private Company”).

[Placed in Library, See No. LT 4957/16/16]

(2) A copy each of the following Notifications (Hindi and English versions) under Section 40 of the Company Secretaries Act, 1980:-

- (i) Notification No. ICSI No. 1 of February, 2016 published in Gazette of India dated 5th February, 2016 establishing the Disciplinary Directorate in the Institute of Company Secretaries of India headed by Ms. Meenakshi Gupta, Joint Secretary, designated as the Director (Discipline) *w.e.f.* 4th February, 2016 in place of Shri Ashok Kumar Dixit.
- (ii) Notification No. ICSI No. 1 of April, 2016 published in Gazette of India dated 5th April, 2016 establishing the Disciplinary Directorate, mentioned therein, in the Institute of Company Secretaries of India headed by Mrs. Meenakshi Gupta, Joint Secretary, who has been designated as Director (Discipline) by the Council of the Institute as notified in Notification No. ICSI No. 1 of February, 2016 dated 4th February, 2016 for making investigations in respect of any information or complaint received by it.
- (iii) G.S.R.539(E) published in Gazette of India dated 23rd May, 2016, making certain amendments in the Notification No. G.S.R.490(E) dated 13th July, 2007.

[Placed in Library, See No. LT 4958/16/16]

(3) A copy each of the following Notifications (Hindi and English versions) under Section 30B of the Chartered Accountants Act, 1949:-

- (i) S.O.1634(E) published in Gazette of India dated 4th May, 2016 establishing a Tribunal consisting of the persons, mentioned therein, to decide disputes arising under Section 10A of the Act in the matter of election to the Council of the Institute of Chartered Accountants of India held in December, 2015.

- (ii) S.O.1940(E) published in Gazette of India dated 2nd June, 2016, making certain amendments in the Notification No. S.O.1634(E) dated 4th May, 2016.

[Placed in Library, See No. LT 4959/16/16]

(4) A copy each of the following Notifications (Hindi and English versions) under Section 40 of the Cost and Works Accountants Act, 1959:-

- (i) G.S.R.541(E) published in Gazette of India dated 24th May, 2016, making certain amendments in the Notification No. G.S.R.1693(E) dated 3rd October, 2007.
- (ii) G.S.R.498(E) published in Gazette of India dated 11th May, 2016, making certain amendments in the Notification No. G.S.R.787(E) dated 15th October, 2015.

[Placed in Library, See No. LT 4960/16/16]

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF AYURVEDA, YOGA AND NATUROPATHY, UNANI, SIDDHA AND HOMOEOPATHY (AYUSH) (SHRI SHRIPAD YESSO NAIK): I beg to lay on the Table a copy of the Establishment of New Medical College (Opening of New or Higher Course of Study or Training and Increase of Admission Capacity by a Medical College) Amendment Regulations, 2016 (Hindi and English versions) published in Notification No. F. No. 12-6/2001-CCH(Pt.-II) in weekly Gazette of India dated 13th May, 2016 under sub-section (2) of Section 33 of the Homoeopathy Central Council Act, 1973.

[Placed in Library, See No. LT 4961/16/16]

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI SANTOSH KUMAR GANGWAR): I beg to lay on the Table:-

- (1) A copy each of the following Notifications (Hindi and English versions) under sub-section (2) of section 38 of the Central Excise Act, 1944:-

- (i) G.S.R.443(E) published in Gazette of India dated 26th April, 2016 together with an explanatory memorandum making certain amendments in the Notification No. 12/2012-C.E., dated 17th March, 2012.
- (ii) G.S.R.488(E) published in Gazette of India dated 5th May, 2016 together with an explanatory memorandum making certain amendments in the Notification No. 1/2011-C.E., dated 1st March, 2011.
- (iii) G.S.R.489(E) published in Gazette of India dated 5th May, 2016 together with an explanatory memorandum making certain amendments in the Notification No. 2/2011-C.E., dated 1st March, 2011.
- (iv) G.S.R.490(E) published in Gazette of India dated 5th May, 2016 together with an explanatory memorandum making certain amendments in the Notification No. 12/2012-C.E., dated 17th March, 2012.
- (v) G.S.R.491(E) published in Gazette of India dated 5th May, 2016 together with an explanatory memorandum making certain amendments in the Notification No. 49/2008-C.E.(N.T.), dated 24th December, 2008.
- (vi) G.S.R.492(E) published in Gazette of India dated 5th May, 2016 together with an explanatory memorandum making certain amendments in four notifications, mentioned therein.
- (vii) The CENVAT Credit (Sixth Amendment) Rules, 2016 published in Notification No. G.S.R.512(E) published in Gazette of India dated 14th May, 2016 together with an explanatory memorandum.
- (viii) G.S.R.525(E) published in Gazette of India dated 17th May, 2016 together with an explanatory memorandum making certain amendments in the Notification No. 12/2012-C.E., dated 17th March, 2012.
- (ix) The CENVAT Credit (Seventh Amendment) Rules, 2016 published in Notification No. G.S.R.555(E) published in Gazette of India dated 26th May, 2016 together with an explanatory memorandum.

- (x) G.S.R.599(E) published in Gazette of India dated 14th June, 2016 together with an explanatory memorandum making certain amendments in the Notification No. 214/86-C.E., dated 25th March, 1986.
- (xi) G.S.R.600(E) published in Gazette of India dated 14th June, 2016 together with an explanatory memorandum making certain amendments in the Notification No. 67/95-C.E., dated 16th March, 1995.
- (xii) G.S.R.679(E) published in Gazette of India dated 11th July, 2016 together with an explanatory memorandum making certain amendments in the Notification No. 12/2012-C.E., dated 17th March, 2012.

[Placed in Library, See No. LT 4962/16/16]

(2) A copy each of the following Notifications (Hindi and English versions) under Section 159 of the Customs Act, 1962:-

- (i) G.S.R.444(E) published in Gazette of India dated 26th April, 2016, together with an explanatory memorandum making certain amendments in the Notification No. 12/2012-Cus., dated 17th March, 2012.
- (ii) G.S.R.485(E) published in Gazette of India dated 5th May, 2016, together with an explanatory memorandum making certain amendments in the Notification No. 12/2012-Cus., dated 17th March, 2012.
- (iii) G.S.R.486(E) published in Gazette of India dated 5th May, 2016, together with an explanatory memorandum making certain amendments in the Notification No. 21/2012-Cus., dated 17th March, 2012.
- (iv) G.S.R.487(E) published in Gazette of India dated 5th May, 2016, together with an explanatory memorandum making certain amendments in the Notification No. 24/2005-Cus., dated 1st March, 2005.
- (v) G.S.R.526(E) published in Gazette of India dated 17th May, 2016, together with an explanatory memorandum making certain amendments in the Notification No. 39/96-Cus., dated 23rd July, 1996.

- (vi) G.S.R.535(E) published in Gazette of India dated 19th May, 2016, together with an explanatory memorandum making certain amendments in the Notification No. 96/2008-Cus., dated 13th August, 2008.
- (vii) G.S.R.548(E) published in Gazette of India dated 26th May, 2016, together with an explanatory memorandum making certain amendments in the Notification No. 27/2011-Cus., dated 1st March, 2011.
- (viii) G.S.R.607(E) published in Gazette of India dated 16th June, 2016, together with an explanatory memorandum making certain amendments in the Notification No. 27/2011-Cus., dated 1st March, 2011.
- (ix) G.S.R.611(E) published in Gazette of India dated 17th June, 2016, together with an explanatory memorandum making certain amendments in the Notification No. 12/2012-Cus., dated 17th March, 2012.
- (x) G.S.R.615(E) published in Gazette of India dated 21st June, 2016, together with an explanatory memorandum making certain amendments in the Notification No. 96/2008-Cus., dated 13th August, 2008.
- (xi) G.S.R.616(E) published in Gazette of India dated 21st June, 2016, together with an explanatory memorandum making certain amendments in the Notification No. 53/2011-Cus., dated 1st July, 2011.
- (xii) G.S.R.671(E) published in Gazette of India dated 6th July, 2016, together with an explanatory memorandum making certain amendments in the Notification No. 27/2011-Cus., dated 1st March, 2011.
- (xiii) G.S.R.678(E) published in Gazette of India dated 11th July, 2016, together with an explanatory memorandum making certain amendments in the Notification No. 12/2012-Cus., dated 17th March, 2012.

[Placed in Library, See No. LT 4963/16/16]

(3) A copy each of the following Notifications (Hindi and English versions) under sub-section (4) of section 94 of the Finance Act, 1994:-

- (i) G.S.R.538(E) published in Gazette of India dated 20th May, 2016, together with an explanatory memorandum making certain amendments in Notification No. 25/2012-Service Tax dated 20th June, 2012.
- (ii) G.S.R.550(E) published in Gazette of India dated 26th May, 2016, together with an explanatory memorandum making certain amendments in Notification No. 30/2012-Service Tax dated 20th June, 2012.
- (iii) G.S.R.551(E) published in Gazette of India dated 26th May, 2016, together with an explanatory memorandum seeking to exempt such taxable services from whole of Krishi Kalyan Cess leviable thereon which are either exempt from the whole of service tax or otherwise not leviable to service tax and to provide that abatements shall be applicable for computing Krishi Kalyan Cess.
- (iv) G.S.R.552(E) published in Gazette of India dated 26th May, 2016, together with an explanatory memorandum making certain amendments in Notification No. 39/2012-Service Tax dated 20th June, 2012.
- (v) G.S.R.553(E) published in Gazette of India dated 26th May, 2016, together with an explanatory memorandum making certain amendments in Notification No. 12/2013-Service Tax dated 1st July, 2013.
- (vi) The Service Tax (Third Amendment) Rules, 2016 published in Notification No. G.S.R.554(E) published in Gazette of India dated 26th May, 2016, together with an explanatory memorandum.
- (vii) G.S.R.575(E) published in Gazette of India dated 6th June, 2016, together with an explanatory memorandum making certain amendments in Notification No. 25/2012-Service Tax dated 20th June, 2012.
- (viii) The Service Tax (Fourth Amendment) Rules, 2016 published in Notification No. G.S.R.576(E) published in Gazette of India dated 6th June, 2016, together with an explanatory memorandum.

- (ix) G.S.R.577(E) published in Gazette of India dated 6th June, 2016, together with an explanatory memorandum making certain amendments in Notification No. 30/2012-Service Tax dated 20th June, 2012.
- (x) G.S.R.623(E) published in Gazette of India dated 23rd June, 2016, together with an explanatory memorandum seeking to exempt taxable services from the whole of Krishi Kalyan Cess leviable thereon with respect to which the invoice for the service has been issued on or before 31st May, 2016 subject to the condition that the provision of the service has been completed on or before 31st May, 2016.
- (xi) G.S.R.624(E) published in Gazette of India dated 23rd June, 2016, together with an explanatory memorandum seeking to exempt service tax on taxable services by way of transportation of goods by as vessel from outside India upto customs station in India with respect to which the invoice for the service has been issued on or before 31st May, 2016 subject to the condition of production of customs certified copy of the import manifest or import report required to be delivered under section 30 of the Customs Act, 1962.
- (xii) G.S.R.510(E) published in Gazette of India dated 14th May, 2016, together with an explanatory memorandum directing that any reference to 'Clean Energy Cess', in the rules, notifications, instructions, decisions, or orders, made or issued under the Finance Act, 2010 shall be construed as references to 'Clean Environment Cess'.

[Placed in Library, See No. LT 4964/16/16]

- (4) A copy each of the following Notifications (Hindi and English versions) under sub-section (7) of Section 9A of the Customs Tariff Act, 1975:-
 - (i) G.S.R.696(E) published in Gazette of India dated 14th July, 2016, together with an explanatory memorandum making certain amendments in Notification No. 23/2012-Customs (ADD) dated 4th May, 2012.

- (ii) G.S.R.697(E) published in Gazette of India dated 14th July, 2016, together with an explanatory memorandum making certain amendments in Notification No. 6/2016-Customs (ADD) dated 8th March, 2016.
- (iii) G.S.R.698(E) published in Gazette of India dated 14th July, 2016, together with an explanatory memorandum seeking to levy definitive anti-dumping duty on imports of 'Plain Medium Density Fibre Board having thickness of 6mm and above' originating in or exported from Indonesia and Vietnam, for a period of five years.
- (iv) G.S.R.442(E) published in Gazette of India dated 26th April, 2016, together with an explanatory memorandum seeking to levy definitive anti-dumping duty on imports of Synchronous Digital Hierarchy Transmission Equipment, originating in, or exported from the People's Republic of China and Israel, for a period of five years from the date of imposition i.e. 26th April, 2016 pursuant to the final findings of investigations conducted by the Directorate General of Anti- dumping and Allied Duties.
- (v) G.S.R.477(E) published in Gazette of India dated 2nd May, 2016, together with an explanatory memorandum seeking to levy definitive anti-dumping duty on imports of Measuring Tapes, originating in, or exported from Chinese Taipei, Malaysia, Thailand and Vietnam for a period of five years from the date of imposition, that is, 2nd May, 2016 pursuant to the final findings of investigations conducted by the Directorate General of Anti-dumping and Allied Duties.
- (vi) G.S.R.509(E) published in Gazette of India dated 13th May, 2016, together with an explanatory memorandum seeking to levy definitive anti-dumping duty on imports of Digital Versatile Discs-Recordable (DVD-R), originating in, or exported from Vietnam and Thailand, for a period of five years from the date of imposition, that is, 13th May, 2016 pursuant to the final findings of investigations conducted by the Directorate General of Anti-dumping and Allied Duties.

- (vii) G.S.R.527(E) published in Gazette of India dated 17th May, 2016, together with an explanatory memorandum seeking to impose provisional anti-dumping duty on the imports of "Seamless tubes, pipes & hollow profiles of iron, alloy or non-alloy steel (other than cast iron and stainless steel), whether hot finished or cold drawn or cold rolled of an external diameter not exceeding 355.6 mm or 14 "OD", originating in or exported from the People's Republic of China, for a period of six months in the manner prescribed, pursuant to the preliminary findings of the Designated Authority, Director General of Anti-Dumping & Allied Duties.
- (viii) G.S.R.534(E) published in Gazette of India dated 19th May, 2016, together with an explanatory memorandum together with an explanatory memorandum making certain amendments in Notification No. 40/2012-Customs (ADD) dated 30th August, 2012.
- (ix) G.S.R.557(E) published in Gazette of India dated 27th May, 2016, together with an explanatory memorandum seeking to impose anti-dumping duty on 'Coumarin' of all types, originating in or exported from People's Republic of China, for a period of five years (unless revoked, superseded or amended earlier).
- (x) G.S.R.565(E) published in Gazette of India dated 31st May, 2016, together with an explanatory memorandum seeking to impose anti-dumping duty on 'Dichloromethane (Methylene Chloride)' of all types, originating in or exported from People's Republic of China or Russia, for a period of five years (unless revoked, superseded or amended earlier), from the date of imposition of the provisional anti-dumping duty i.e. from the 08th December, 2015.
- (xi) G.S.R.566(E) published in Gazette of India dated 31st May, 2016, together with an explanatory memorandum seeking to impose definitive anti-dumping duty on "Methyl Acetoacetate", originating in or exported from

USA and China PR, for a period of five years (unless revoked, superseded or amended earlier).

- (xii) G.S.R.574(E) published in Gazette of India dated 6th June, 2016, together with an explanatory memorandum seeking to impose definitive anti-dumping duty on Polytetrafluoroethylene (PTFE)", originating in or exported from Russia, for a period of five years (unless, revoked, superseded or amended earlier), pursuant to the final findings of sunset review investigations conducted by the Directorate General' of Anti-dumping .and Allied Duties.
- (xiii) G.S.R.581(E) published in Gazette of India dated 7th June, 2016, together with an explanatory memorandum seeking to prescribe for finalization of provisional assessments of all imports of Vitrified/Porcelain tiles, produced by M/s Foshan Sanshui Romantic Ceramics Co Limited, China PR (Producer-1), and Heyuan Romantic Ceramics Company Limited, China PR (Producer-2) and exported by Foshan Beyond Import and Export Company Limited, China PR (Shipper) and Thai Impex Malaysia SDN BHD, Malaysia (Exporter) to India, which have been subjected to provisional assessment pursuant to the Notification No. 35/2012-Customs (ADD), dated the 10th July, 2012. This finalization is consequent to final findings of new shipper review vide notification No. 15/25/2011- DGAD, dated 28th March, 2016 by the Directorate General of Anti-dumping and Allied Duties and is to be done as per the rate prescribed by the Notification No. 82/2008- Customs, dated the 27th June, 2008.
- (xiv) G.S.R.582(E) published in Gazette of India dated 7th June, 2016, together with an explanatory memorandum seeking to rescind Notification No. 35/2012-Cus.(ADD), dated 10th July, 2012.
- (xv) G.S.R.596(E) published in Gazette of India dated 13th June, 2016, together with an explanatory memorandum seeking to extend the levy of anti-dumping duty on imports of Pentaerythritol, originating in, or exported

from the People's Republic of China for a further period of one year i.e. upto and inclusive of 13th June, 2017, pending outcome of sunset review investigations being conducted by the Directorate General of Anti-dumping and Allied Duties.

- (xvi) G.S.R.622(E) published in Gazette of India dated 23rd June, 2016, together with an explanatory memorandum seeking to impose definitive anti-dumping duty on "Poly Vinyl Chloride (PVC) Paste Resin" originating in or exported from Korea RP, Taiwan, China PR, Malaysia, Thailand and European Union for a period of five years.
- (xvii) G.S.R.664(E) published in Gazette of India dated 5th July, 2016, together with an explanatory memorandum seeking to impose definitive anti-dumping duty on Purified Terephthalic Acid, including its variants Medium Quality Terephthalic Acid (MTA) and Qualified Terephthalic Acid (QTA), originating in or exported from People's Republic of China, Iran, Indonesia, Malaysia and Taiwan, pursuant to Final Findings in anti-dumping investigations conducted by the Directorate General of Anti-dumping and Allied duties, for a period of five years from the date of imposition of provisional anti- dumping duty i.e. 10th December, 2015 (except for the period from 10th June 2016 to 4th July, 2016).
- (xviii) G.S.R.685(E) published in Gazette of India dated 5th July, 2016, together with an explanatory memorandum seeking to amend notification No.7/2016-Customs (ADD) dated 8th March, 2016.
- (xix) G.S.R.675(E) published in Gazette of India dated 11th July, 2016, together with an explanatory memorandum seeking to impose definitive anti-dumping duty on 1,1,1,2- Tetrafluoroethane or R -134a originating in or exported from People's Republic of China pursuant to Final Findings in anti-dumping investigations conducted by the Directorate General of Anti-dumping and Allied duties, for a period of five years..

(xx) G.S.R.676(E) published in Gazette of India dated 11th July, 2016, together with an explanatory memorandum making certain amendments in Notification No. 61/2011-Cus., dated 15th July, 2011.

[Placed in Library, See No. LT 4965/16/16]

(5) A copy of Notification No. G.S.R.630(E) (Hindi and English versions) published in Gazette of India dated 24th June, 2016, together with an explanatory memorandum making certain amendments in Notification No. 110/2015-Cus.,(N.T.) dated 16th November, 2015 under Section 159 of the Customs Act, 1962, Section 38 of the Central Excise Act, 1944 and Section 94 of the Finance Act, 1994.

[Placed in Library, See No. LT 4966/16/16]

(6) A copy of Notification No. G.S.R.511(E) (Hindi and English versions) published in Gazette of India dated 14th May, 2016, together with an explanatory memorandum making certain amendments in Notification No. 1/2016-Infrastructure Cess dated 1st March, 2016 under Section 5A of the Central Excise Act, 1944 read with sub-clause (3) of clause 159 the Finance Bill, 2016.

[Placed in Library, See No. LT 4967/16/16]

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE AND
MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS (SHRI
ARJUN RAM MEGHWAL): I beg to lay on the Table:-

- (1) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Indian Institute of Corporate Affairs, Gurgaon, for the year 2014-2015, alongwith Audited Accounts.

- (ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Indian Institute of Corporate Affairs, Gurgaon, for the year 2014-2015.
- (2) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (1) above.

[Placed in Library, See No. LT 4968/16/16]

- (3) A copy of the Statement (Hindi and English versions) of the Market Borrowings by Central Government during 2015-2016.

[Placed in Library, See No. LT 4969/16/16]

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF DEFENCE (DR. SUBHASH RAMRAO BHAMRE): I beg to lay on the Table a copy of the Memorandum of Understanding (Hindi and English versions) between the Bharat Dynamics Limited and the Department of Defence Production, Ministry of Defence, for the year 2016-2017.

[Placed in Library, See No. LT 4970/16/16]

12.03 hours**MESSAGES FROM RAJYA SABHA**

SECRETARY GENERAL: Madam Speaker, I have to report the following messages received from the Secretary General of Rajya Sabha:-

- (i) “In accordance with the provisions of rule 127 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Rajya Sabha, I am directed to inform the Lok Sabha that the Rajya Sabha at its sitting held on the 28th July, 2016 agreed without any amendment to the Compensatory Afforestation Fund Bill, 2016 which was passed by the Lok Sabha at its sitting held on the 3rd May, 2016.”
 - (ii) In accordance with the provisions of rule 127 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Rajya Sabha, I am directed to inform the Lok Sabha that the Rajya Sabha at its sitting held on the 28th July, 2016 agreed without any amendment to the Lokpal and Lokayuktas (Amendment) Bill, 2016 which was passed by the Lok Sabha at its sitting held on the 27th July, 2016.”
-

12.03 ½ hours

NOMINATIONS TO COMMITTEE

Joint Committee on Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement (Second Amendment) Bill, 2015

श्री गणेश सिंह (सतना) : अध्यक्ष महोदया, मैं प्रस्ताव करता हूँ :

“कि यह सभा श्री संजय धोत्रे, श्री पंकज चौधरी और श्रीमती संतोष अहलावत को भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार (दूसरा संशोधन) विधेयक, 2015 संबंधी संयुक्त समिति के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिए, श्री एस.एस. अहलुवालिया, श्री पी.पी. चौधरी और श्रीमती कृष्णा राज, जिन्होंने मंत्रियों के रूप में अपनी नियुक्ति हो जाने पर संयुक्त समिति से त्यागपत्र दे दिया है, के स्थान पर नियुक्त करे।”

HON. SPEAKER: The question is:

“That this House do appoint Shri Sanjay Dhotre, Shri Pankaj Chaudhary and Shrimati Santosh Ahlawat to serve as members of the Joint Committee on The Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement (Second Amendment) Bill, 2015 *vice* Shri S.S. Ahluwalia, Shri P.P. Chaudhary and Shrimati Krishna Raj resigned from the Joint Committee on their appointment as Ministers.”

The motion was adopted.

श्री गणेश सिंह: अध्यक्ष महोदया, मैं प्रस्ताव करता हूँ :

“कि यह सभा राज्य सभा से सिफारिश करती है कि राज्य सभा भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार (दूसरा संशोधन) विधेयक, 2015 संबंधी संयुक्त समिति के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिए राज्य सभा के तीन सदस्यों को, राज्य सभा से सेवानिवृत्त श्री जयराम रमेश, श्री शरद यादव और श्री राजपाल सिंह सैनी के स्थान पर नियुक्त करने के लिए सहमत हों और संयुक्त समिति के लिए राज्य सभा द्वारा इस प्रकार नियुक्त सदस्यों के नाम इस सभा को सूचित करें।”

HON. SPEAKER: The question is:

“That this House do recommend to Rajya Sabha that Rajya Sabha do agree to appoint three members of Rajya Sabha to serve as members of the Joint Committee on The Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement (Second Amendment) Bill, 2015 *vice* Shri Jairam Ramesh, Shri Sharad Yadav and Shri Rajpal Singh Saini retired from Rajya Sabha and do communicate to this House the names of the members so appointed by Rajya Sabha to the Joint Committee.”

The motion was adopted.

12.04 hours**STATEMENT BY MINISTER**

Status of implementation of the recommendations contained in the 11th Report of the Standing Committee on Finance on Demands for Grants (2015-16), pertaining to the Department of Revenue, Ministry of Finance*

THE MINISTER OF FINANCE AND MINISTER OF CORPORATE AFFAIRS (SHRI ARUN JAITLEY): Sir, I beg to lay a statement regarding the status of implementation of the recommendations contained in the 11th Report of the Standing Committee on Finance on Demands for Grants (2015-16), pertaining to the Department of Revenue, Ministry of Finance.

* Laid on the Table and also placed in Library, See No. LT 4971/16/16.

12.04 ½ hours**BUSINESS OF THE HOUSE**

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF AGRICULTURE AND FARMERS WELFARE AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (SHRI S.S. AHLUWALIA): I beg to lay on the Table:-

*With your permission Madam, I rise to announce that Government Business during the week commencing Monday, the 1st of August, 2016 will consist of:-

1. Consideration of any items of Government Business carried over from today's order paper.
2. Consideration and passing of the following Bills: -
 - (a) The Citizenship (Amendment) Bill, 2016;
 - (b) The High Courts (Alteration of Names) Bill, 2016;
3. Consideration and agreeing to the amendments made by Rajya Sabha in the Enemy Property (Amendment and Validation) Bill, 2016, as passed by Lok Sabha and as reported by Select Committee of Rajya Sabha, after it is passed by Rajya Sabha.
4. Consideration and agreeing to the amendments made by Rajya Sabha in the Constitution (One Hundred and Twenty Second Amendment) Bill, 2014, as passed by Lok Sabha and as reported by Select Committee of Rajya Sabha, after it is passed by Rajya Sabha.
5. Consideration and passing of the Mental Health Care Bill, 2013, after it is passed by Rajya Sabha.
6. Discussion and voting on Supplementary Demands for Grants (General) for 2016-17.
7. Introduction, consideration and passing of the related Appropriation Bill.

* Laid on the Table.

DR. SHASHI THAROOR (THIRUVANANTHAPURAM): Sir, I hereby give notice of my intention to make a submission on Statement by Minister of State for Parliamentary Affairs regarding Government Business for the following week, commencing from 1st August, 2016, on the following matters, namely –

1. The urgent need for revision of the definition of “River Conservation Zones” under the draft notification under the Environment (Protection) Act, 1986 for the State of Kerala.
2. The need to address the rejection of Indian students’ visas on grounds that they could be involved in “the proliferation of weapons of mass destruction” which implies doubts about India’s exemplary record of Non-Proliferation.

डॉ. किरिट पी. सोलंकी (अहमदाबाद) : स्पीकर महोदया, मेरा आपसे निवेदन है कि अगले सप्ताह की कार्य सूची में निम्नलिखित विषयों का समावेश किया जाए :-

1. डॉ. भीमराव अंबेडकर फाउंडेशन, जो कि रानिप, अहमदाबाद में स्थित है, उसकी लाइब्रेरी और रिसर्च सेंटर के लिए यू.पी.ए. सरकार द्वारा घोषित धनराशि अभी तक आबंटित नहीं की गई है। उसको तत्काल आबंटित किया जाए, जिससे विद्यार्थियों को उसका पूरा लाभ मिल सके।
2. सोमनाथ और द्वारका को जोड़ते हुए छः लेन का राष्ट्रीय राजमार्ग बनाया जाए।

माननीय अध्यक्ष : श्री रवीन्द्र कुमार राय : उपस्थित नहीं।

डॉ. किरिट सोमैया।

DR. KIRIT SOMAIYA (MUMBAI NORTH EAST): Sir, I request you to include the following issues for discussion in the List of Business for next week –

1. Despite several meetings with the mobile operators, directions from TRAI to them, the issue of frequent call drops of cell companies has not been resolved. The mobile companies are least bothered to adhere to TRAI directives. Consumers are suffering. Harassment of double abnormal non-transparent billing, call drops and exploitation of consumers by these companies. Discussion is needed on the issue.
2. In the name of solar power project some influential people are indulging into land grabbing, money laundering activities. It is observed in Bikaner belt of Rajasthan and Kerala. Discussion is needed to pin down such type of activities and take action against the perpetrators of such scam.

श्रीमती रमा देवी (शिवहर): महोदया, अगले सप्ताह की कार्यवाही के दौरान मेरे निम्नलिखित विषयों को शामिल करने हेतु अनुमति प्रदान करने की कृपा करें :-

1. मेरे गृह राज्य बिहार में विशेषकर मेरे संसदीय क्षेत्र शिवहर में आंगनबाड़ी केन्द्रों एवं मध्यान्ह भोजन स्कूल के बच्चों को पोषाहार का वितरण विगत तीन माह से नहीं हो पा रहा है, जबकि केन्द्र सरकार ने बराबर धनराशि का वितरण किया है। बिहार में पोषाहार, मध्यान्ह भोजन एवं जनवितरण प्रणाली में कमीशन सिस्टम का रूप ले लिया है। केन्द्र की इन महत्वपूर्ण योजनाओं की सफलता के लिए इसकी सी.बी.आई. जांच किए जाने का कार्य।

2. मेरे गृह राज्य बिहार विशेषकर मेरे संसदीय क्षेत्र शिवहर में इस बार औसत से कम वर्षा हुई है जिसके कारण किसानों को अपने-अपने खेतों में पानी नहीं मिल पा रहा है। किसानों के खेत सूख रहे हैं। खेद के साथ सदन को सूचित करना पड़ रहा है कि बिहार सरकार ने अभी तक सूखे से प्रभावित बिहार के जिले को सूखाग्रस्त क्षेत्र घोषित नहीं किये जाने का कार्य।

श्री कौशलेन्द्र कुमार (नालंदा) : महोदया, लोक सभा के आगामी सप्ताह की कार्य-सूची में निम्नलिखित विषयों को जोड़ा जाये :-

1. मेरे संसदीय क्षेत्र नालंदा अन्तर्गत सकरी-नाटा नदी को जोड़ने का प्रस्ताव केन्द्र सरकार को भेजा गया था, जिसे ठुकरा दिया गया है। इस नदी के जुड़ने से नालंदा, शेखपुरा और नवादा की हजारों एकड़ जमीन में पटवन हो सकता है, जिससे किसानों की पैदावार पर असर पड़ सकता है। अतः सरकार की महत्वाकांक्षी रिवर-लैंक योजना के अन्तर्गत सकरी-नाटा नदी को जोड़ने की मैं केन्द्र सरकार से मांग करता हूँ।

2. बिहार में मछुआरा समुदाय अति पिछड़ा समुदाय में है, जिसे अनुसूचित जाति में जोड़े जाने का प्रस्ताव केन्द्र सरकार को भेजा गया है। मगर अभी तक इस प्रस्ताव की स्वीकृति नहीं मिली है। जबकि उन्हें अनुसूचित जाति में जोड़े जाने का वायदा माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा चुनाव के दौरान किया गया था। अतः मेरी केन्द्र सरकार से मांग है कि मछुआरा समुदाय को अनुसूचित जाति की श्रेणी में जोड़े जाने की स्वीकृति प्रदान किया जाये।

श्री पंकज चौधरी (महाराजगंज): महोदया, लोक सभा की अगले सप्ताह 1.8.16 से 5.8.16 की बैठकों में निम्न विषय को शामिल करने की कृपा करें।

पूरे देश में केन्द्र सरकार तथा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की जमीनें पड़ी हैं जिनका उपयोग नहीं हो रहा है। खाली पड़ी जमीनों पर अतिक्रमण हो रहा है। जमीन के अभाव में केन्द्र की अनेकों परियोजनाएं लम्बित हैं। ऐसी सभी जमीनों की जानकारी एकत्र करके उनका डेटा एक स्थान पर किया जाए और उनका उपयोग विभिन्न योजनाओं के लिए किया जाए।

श्री ओम बिरला (कोटा) : अध्यक्ष महोदया, मैं निम्नलिखित विषयों को अगले सप्ताह की कार्य सूची में सम्मिलित किए जाने के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत करना चाहता हूँ:-

1. राजस्थान के कोटा में भारत सरकार के उपक्रम इन्स्ट्रुमेंटेशन को रिवाइवल पैकेज प्रदान के आर्थिक संकट से उभारने की आवश्यकता।
2. पश्चिम मध्य रेलवे के कोटा मंडल के अप्रेंटिसशिप वर्कर्स को अन्य जोन के समान नियुक्ति प्रदान किए जाने की आवश्यकता।

SHRI K. ASHOK KUMAR (KRISHNAGIRI): Madam, the following item may be taken for discussion during the next week's business:

In my constituency, Krishnagiri, there are 15,000 persons living in 30 villages and surrounding village panchayats like Vadamangalam, Puliampatti, Dhamodarahalli, Kudimenahalli. These villagers do not get mobile network properly. The people of these villages are suffering so much to convey their messages with each other. They had contacted the BSNL authorities but no

fruitful action has been taken since then. So they are shifting their BSNL connections to private providers.

Hence, a mobile tower is very important in Pannandur to cover the four village panchayats.

प्रो. रविन्द्र विश्वनाथ गायकवाड़ (उस्मानाबाद) : अध्यक्ष महोदया, कृपया निम्नलिखित लोक महत्व के कार्यों को सदन की आगामी सप्ताह की कार्य सूची में जोड़ने का कष्ट करें:-

1. मेरे संसदीय क्षेत्र उस्मानाबाद में सभी जगहों पर डाकघरों की स्वयं की जगह उपलब्ध है। फिर भी किराए के भवनों में ही वर्षों से डाकघर अपना कार्य कर रहे हैं। मेरी सरकार से मांग है कि सभी डाकघरों की भूमि पर डाक भवन निर्माण करने हेतु सरकार निधि जारी करे क्योंकि डाकघर भवनों के निर्माण की अत्यंत आवश्यकता है।
 2. मेरे संसदीय क्षेत्र उस्मानाबाद में तालूका लोहारा में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की शाखा खोलने की नितांत आवश्यकता है। पर्याप्त बैंक व्यवहार के लिए आस-पास के गांवों से किसानों की यह मांग कई सालों से उठ रही है। लोहारा में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की शाखा खुलने से किसानों के लिए हितकारी होगा।
-

12.12 hours**SUBMISSION BY MEMBER****Re: Reported attack and hurling of abuse on two Muslim women in Madhya Pradesh for allegedly carrying beef**

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे (गुलबर्गा) : अध्यक्ष महोदया, मैं बहुत ही पोलाइटली बोलूंगा। आप बोल रही हैं कि मधुर भाषा में बोलिए। मुझे मधुर भाषा नहीं आती, लेकिन फ़ैक्ट्स ऐसे हैं जिससे सरकार थोड़ा गुस्से में आ सकती है। जब जनता को तकलीफ़ होती है तो सदन और इस देश की जनता के सामने बात रखना हमारा कर्तव्य होता है।

तीन दिन पहले की घटना है। मध्य प्रदेश के मंदसौर में बीफ के शक में दो मुस्लिम महिलाओं से मार-पीट करने की घटना सामने आई है। ... (व्यवधान) कथित तौर से यह गलत फैलाया गया कि मुस्लिम महिलाएं गाय का मांस लेकर जा रही थीं। बीजेपी के कार्यकर्ता गौ रक्षा के नाम पर दलित और मुसलमानों को निशाना बना रहे हैं। ... (व्यवधान) यह निशाना महिलाओं को बनाया गया है। इसे एनिमल हर्सबैंड्री डिपार्टमेंट को रैफर किया गया। वहां के डाक्टर ने कहा कि यह गौ मांस नहीं है, यह बफैलो मीट है। इसके बावजूद गौ रक्षा के नाम से महिलाओं को पुलिस के सामने पीटा गया। वहां पुलिस मौजूद रहने के बावजूद उन्हें पीटा गया। यहां तक कि उनसे यह बात भी कही गई, उन्हीं महिलाओं का स्टेटमेंट है। उन्होंने कहा - “We pleaded with them.” जब उनसे मार-पीट हो रही थी तो उन्होंने बहुत रिक्वेस्ट की कि हमने कुछ नहीं किया। यह बफैलो मीट है, ऐलाउड है। ... (व्यवधान) यह हमने खरीदा है और हमारे पास इसकी रसीद और परमीशन है। उन्होंने रसीद दिखाई। इन्होंने उस रसीद को फाड़ डाला और उन्हें मारने की कोशिश करते रहे। ... (व्यवधान) उन महिलाओं का कहना है कि “We pleaded with them that this *pada*, buffalo calf meat, and not cow meat but they did not listen and kept beating us.”, said the two women who were released on bail.

अगर गोरक्षक और बीजेपी और संघ परिवार के कार्यकर्ता ऐसा कहते हैं ... (व्यवधान) यह हुआ है ... (व्यवधान) इसकी आथरिटी किसने दी ... (व्यवधान) पुलिसिंग करने की आथरिटी किसने दी ... (व्यवधान) उन्होंने जो किया है ... (व्यवधान) जब भी गवर्नमेंट का सपोर्ट होता है ... (व्यवधान) और राज्य सरकार का भी सपोर्ट होता है उसी वक्त ऐसा काम हो सकता है ... (व्यवधान)

HON. SPEAKER: No allegations will go on record.

... (Interruptions) ... *

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे : मैडम, यह हर जगह हो रहा है ... (व्यवधान) गुजरात के दलितों के ऊपर हो रहा है ... (व्यवधान) आज यूपी में हुआ है ... (व्यवधान) पन्द्रह रुपये के लिए हसबैंड और वाइफ को मार दिया गया ... (व्यवधान) पन्द्रह रुपये के लिए उनकी जान ली गई ... (व्यवधान) ये घटनाएं रोज बढ़ती जा रही हैं ... (व्यवधान) मैं आपको बताना चाहता हूँ कि every 18 minutes a crime is committed against the dalits. Everyday three dalit women are raped; two dalits are murdered. Two dalits' houses are burnt in India. Eleven dalits are beaten. Every week 13 dalits are murdered. Five dalits' homes or possessions are burnt. Sikh dalits are kidnapped or abducted. मैं इसे आपके सामने लाना चाहता हूँ। ये मेरे आंकड़े नहीं हैं बल्कि नेशनल क्राइम रिकार्ड ब्यूरो का है ... (व्यवधान) उन्होंने कहा है कि अब तक 47,064 क्राइम हुए हैं ... (व्यवधान) यानि क्राइम बढ़ते जा रहा है, घट नहीं रहे हैं।

माननीय अध्यक्ष : यह सामाजिक बुराई है।

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे : मैडम, मुझे मालूम है, आप कहेंगे कि ये घटनाएं आज ही नहीं हो रही है यह बहुत दिन से चल रहा है ऐसा आप कहेंगे लेकिन आपके सत्ता में आने के बाद यह और * रहा है ... (व्यवधान) आपका * है, आपकी गवर्नमेंट का * है ... (व्यवधान) स्टेट में सभी जगह ऐसा हो रहा है ... (व्यवधान) इसलिए इनके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया गया ... (व्यवधान)।

HON. SPEAKER: No allegations will go on record.

... (Interruptions) ... *

माननीय अध्यक्ष : प्लीज बैठ जाइए, हर कोई नहीं बोलेगा, आप सहयोगी बनकर नाम लिख कर दे दीजिए।

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: श्री राजेश रंजन, श्री मोहम्मद बदरुद्दोजा खान, श्री शंकर प्रसाद दत्ता, डॉ. ममताज संघमिता, श्री पी. करुणाकरन, श्री पी.के.बिजू, श्री डी.के.सुरेश और डॉ. थोककचोम मेन्या को श्री मल्लिकार्जुन खड़गे द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

यह क्या हो रहा है? खड़गे जी, बैड़ जाइए, आपने अपनी बात रख दी।

... (व्यवधान)

* Not recorded.

माननीय अध्यक्ष : गृह मंत्री जी कुछ कहना चाहते हैं। आपको बैठ जाना चाहिए। मधुर आवाज बंद कर दीजिए। आपने अपनी बात रख दी, अब बैठ जाइए।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : ऐसा नहीं होता है कि रोज रोज वही बात उठाएं। यह जीरो ऑवर है, जीरो ऑवर में इतना नहीं होता।

...(व्यवधान)

HON. SPEAKER: I am sorry.

... (*Interruptions*)

माननीय अध्यक्ष : प्लीज बैठ जाइए, ऐसा नहीं होता है। सभी लोग बैठ जाइए, जब गृह मंत्री जी खड़े हैं और आपको जवाब दे रहे हैं।

...(व्यवधान)

HON. SPEAKER: Nothing will go on record.

... (*Interruptions*) ... *

HON. SPEAKER: Now, please listen to the Hon. Home Minister.

...(व्यवधान)

HON. SPEAKER: Only the statement of the hon. Home Minister will go on record. Nothing else will go on record. केवल गृह मंत्री जी का ही स्टेटमेंट रिकॉर्ड में जाएगा।

... (*Interruptions*) ... *

गृह मंत्री (श्री राजनाथ सिंह) : माननीय अध्यक्ष महोदया, खड़गे जी ने जिस प्रश्न को खड़ा किया है, मैं उसी मुद्दे के संबंध में रिस्पॉन्ड करने के लिए खड़ा हुआ हूँ। श्री खड़गे जी और पूरा सदन इस बात से अच्छी तरह परिचित है कि लॉ एंड ऑर्डर का जो यह इश्यू है, यह एक स्टेट सब्जेक्ट है।

अध्यक्ष महोदया, दूसरी चीज यह है कि जिस घटना का इन्होंने उल्लेख किया है, उस घटना के संबंध में हमारी मध्य प्रदेश सरकार ने त्वरित और प्रभावी कार्रवाई की है और पूरे मामले की जांच हो रही है। मैं सदन को विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि इसमें इंसाफ होगा, न्याय होगा और जो दोषी होंगे वे बख्शे नहीं जाएंगे।

* Not recorded.

12.22 hours

(S/Shri Kalyan Banerjee Mallikarjun kharge and some other hon. Members then left the House.)

श्री अश्विनी कुमार चौबे (बक्सर) : माननीय अध्यक्ष महोदया, प्रधान मंत्री, श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में केन्द्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजना “नमामि गंगे” का शुभारम्भ हाल ही में देशभर में सैकड़ों स्थानों पर भव्य कार्यक्रम आयोजित कर किया गया है। केन्द्र सरकार ने इसके लिए फिलहाल 20,000 करोड़ रुपए का बजट प्रावधान किया है, जिसमें से अभी शुरूआती दौर में 2,000 करोड़ रुपए की स्वीकृति प्रदान की गई है।

माननीय अध्यक्ष महोदया, मैं आपके माध्यम से इस बात को बताना चाहता हूँ कि बहुत सारी राज्य सरकारें इसमें बहुत कम रुचि ले रही हैं, जिससे कार्य में बाधाएं उत्पन्न हो रही हैं और अनापत्ति प्रमाणपत्र (एनओसी) देने में बिहार एवं उत्तर प्रदेश की सरकारें कुछ अपनी शर्तों पर रोड़े अटका रही हैं, जिससे अनावश्यक विलम्ब हो रहा है। इसके साथ ही साथ अनेक नगर निकायों के हस्तक्षेप से भी कार्य सुचारु रूप से प्रारम्भ नहीं हो पा रहा है, जिससे केन्द्र सरकार एवं हम सभी सांसदों का विरोधियों द्वारा बदनाम करने हेतु भ्रम फैलाया जा रहा है। इन राज्य सरकारों की नीयत ठीक प्रतीत नहीं हो रही है। केन्द्र सरकार की उदारता के बावजूद जगह-जगह, विशेषकर बिहार सरकार एवं वहां के जिला प्रशासन की उदासीनता एवं असहयोगात्मक रवैया “नमामि गंगे” के शुभारम्भ में स्पटतौर से परिलक्षित हुआ, जिससे भविष्य में काफी कठिनाई पैदा हो सकती है।

मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि “नमामि गंगे” के तहत प्रथम चरण में बक्सर के सिद्धनाथ घाट, लक्ष्मीनारायण समाधि घाट, चौसाघाट आदि का प्राक्कलन तैयार कर इन सबको जोड़ते हुए निर्माण कराया जाए। साथ ही बक्सर, हाजीपुर, सोनपुर, पटना, मोकामा, मुंगेर, सुलतानगंज, भागलपुर, कहलगांव, झारखंड के राजमहल और साहिबगंज आदि गंगा के किनारे विद्युत शवदाह गृह भी स्थापित किए जाएं।

अध्यक्ष महोदया, वर्तमान परिप्रेक्ष्य को ध्यान में रखते हुए केन्द्र सरकार “नमामि गंगे” परियोजना की सफलता हेतु अलग से केन्द्रीय नीति निर्धारण कर इसे चालू सत्र में ही एक नया अधिनियम बनाकर लाने का प्रयास करे, तभी समय पर कार्य अच्छी तरह सम्पन्न हो पाएगा तथा प्रधान मंत्री, श्री नरेन्द्र मोदी एवं केन्द्र सरकार का सपना साकार हो पाएगा।

अध्यक्ष महोदया, इसके अतिरिक्त जल-विषयक सूची को राज्यों से हटाकर केन्द्रीय सूची में डालने हेतु लोक सभा की प्राक्कलन समिति एवं अन्य संबंधित समितियों के प्रतिवेदनों पर शीघ्र गंभीरता पूर्वक चर्चा कर, उसे अमलीजामा पहनाने की आवश्यकता है। इस पर केन्द्र सरकार की स्पष्ट नीति घोषित होनी चाहिए, तभी गंगा एवं अन्य नदियों की अविरलता एवं निर्मलता बरकरार रह पाएगी।

अध्यक्ष महोदया, इसके अतिरिक्त जल-प्रदूषण रोक एवं प्रतिबंध अधिनियम, 1974 में आवश्यकतानुसार संशोधन करते हुए कड़ाई से राज्य सरकारों एवं अन्य स्तरों पर भी अनुपालन सुनिश्चित कराने हेतु कारगर कदम उठाए जाएं। धन्यवाद।

माननीय अध्यक्ष : जीरो आवर में लम्बे-चौड़े पेजेज नहीं पढ़ने हैं। मैं कितनी बार इस बात को बताऊं।

. . . (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : मैं, श्री भैरोंप्रसाद मिश्र, श्री बी. श्रीरामुलु, डॉ. मनोज राजोरिया एवं कुंवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल को माननीय सदस्य श्री अश्विनी कुमार चौबे द्वारा सदन में प्रस्तुत किए गए विषय से सम्बद्ध करने की अनुमति प्रदान करती हूं।

SHRI B. SRIRAMULU (BELLARY) : Madam Speaker, "The Supreme Court on Friday (7 August 2015) slammed railways for the unmanned railway crossings which take a heavy toll of human lives and asked the government why it was introducing new trains without first ensuring the safety of the people.

A social justice bench of Justices Madan B Lokur and U U Lalit said the Law enacted in 1989 for doing away with unmanned level crossings has not been implemented by the railways to give a road map for manning such crossings.

"Why do you bring more trains when you cannot protect the lives of people? Human life cannot be treated so cheaply. Safety is very important and you must take it seriously," the bench said".

Speaker Madam/Sir, this is the observation made by Honourable Supreme Court published in Times of India dated 8 August 2015.

On 24 August 2015 early hours, a granite loaded lorry rammed into 16594 Bangalore Purabhani (Nanded Express) at an unmanned Railway level crossing near Panagonda in Anantapur district in Andhra Pradesh (South Central Railway). The lorry rammed into HA 1 coach killing 6 people in the coach. 3 coaches were

off the rake. Mr. Venkatesh Naik who represented Raichur Lok Sabha Constituency for 4 times and also sitting MLA from Devadurga Assembly constituency who was travelling in this ill-fated train was crushed to death along with 5 other passengers.

Madam/Sir, there are 30,348 Railway Level Crossings in the country(as on today) in which 18, 785 are manned and 11,563 are unmanned that is responsible for 43 percent and 57 percent accidents respectively.

I suggest Railway Minister to man all unmanned rail level crossings on priority basis and also fix censors on the track to a length of 100 meters on both directions of Railway track in all level crossings both manned and unmanned by using solar energy.

Human life cannot be treated so cheaply. Safety is very important and I request you to take it seriously.

Thank you Madam for giving me this opportunity. Thank you.

माननीय अध्यक्ष : श्री भैरों प्रसाद मिश्र को श्री बी. श्रीरामलू द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

SHRI K. PARASURAMAN (THANJAVUR): Madam Speaker, I would like to request the hon. Minister of Human Resource Development to add regional languages, along with English and Hindi, in the medium of question papers of National Eligibility Test conducted by the University Grants Commission in case the centre of examination selected is in non-Hindi speaking States.

A large number of incumbents are appearing in NET every year in all parts of the country to become eligible to be appointed as Lecturers and also for getting Junior Fellowships. Generally, the incumbents complete their Masters Degree course in the regional language of their respective States. Now, the Union Public Service Commission is also conducting the Civil Services Examination in regional languages. Even though the candidates have adequate knowledge in their respective subject, they are unable to succeed in NET mainly because of medium

of question papers. This causes severe hardship to students of non-Hindi speaking States and makes them to feel that they are deprived of their rights of getting qualified for NET even though they are well versed in their subjects.

As far as education in Tamil Nadu is concerned, in order to develop infrastructure like providing adequate number of teachers and to improve the learning ability of students, the hon. Chief Minister of Tamil Nadu *Puratchi Thalaivi Amma* has allotted Rs. 84,568 crore during the last five years. During the current financial year, *Amma* has allotted Rs. 24,130 crore to the Department of School Education. I would like to point out that Tamil Nadu ranks first in the country in the field of higher education.

Therefore, I, once again, urge upon the Government of India to include all regional languages, including Tamil, in the medium of question papers of National Eligibility Test if the centre of examination selected by candidates is in their respective States.

श्री दिलीपकुमार मनसुखलाल गांधी (अहमदनगर): माननीय अध्यक्ष जी, अहमदनगर के साथ संरक्षित स्मारक है। शहर के बीचों-बीच घनी आबादी मौजूद है। पुरातत्व विभाग के संरक्षित वास्तु नियम, 2010 के तहत संरक्षित वास्तु के इर्द-गिर्द 300 मीटर तक कोई नया विकास कार्य, पुराने मकान की जगह नई कन्सट्रक्शन, नए मकान बनाने के लिए या अन्य विकास कार्य पर रोक लगाई गई है। संरक्षित वास्तु का महत्व अहम है, लेकिन घनी आबादी में शहरवासियों को सुविधाओं का लाभ लेना भी उनका नैसर्गिक हक है। उक्त नियम में परिवर्तन करने और शहरवासियों को सुविधा देने हेतु मैं लगातार 1999 से प्रयास कर रहा हूँ लेकिन अभी तक कुछ निर्णय नहीं हुआ है। आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट इस तरह का काम कर रहा है, जबकि अंग्रेजों के ज़माने में बनाए गए कानून में परिवर्तन करना है। एक छोटी सी चीज है, गांव एक किलोमीटर में है, जबकि 300 मीटर का बंधन है। ठीक है, आप वास्तु को सुरक्षित रखिए। अगर हम परमिशन मांगते हैं तो एक या डेढ़ साल में मिल जाती है। जब आप परमिशन दे सकते हैं तो यह हटाते क्यों नहीं हैं? एक तरफ आप परमिशन दे रहे हैं और दूसरी तरफ हटा नहीं रहे हैं।

मेरा सुझाव है कि आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट ने 300 मीटर की रेखा निश्चित की है, उसे हटाकर 50 मीटर किया जाए ताकि शहर में जरूरी सुधार किए जा सकें।

माननीय अध्यक्ष: श्री भैरों प्रसाद मिश्र, कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल, श्री निशिकान्त दुबे, डॉ. किरीट पी. सोलंकी और श्री शिव कुमार उदासि, को श्री दिलीपकुमार मनसुखलाल गांधी द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

श्री आलोक संजर (भोपाल) : माननीय अध्यक्ष जी, आज आपने मुझे भोपाल एम्स के बारे में बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। पूर्व प्रधानमंत्री माननीय अटल जी द्वारा जब एम्स खोलने की घोषणा की गई थी तब पूरे मध्य प्रदेश में खुशी की लहर थी। मैं उनके सपने को साकार करने के लिए भोपाल एम्स को, जैसे दिल्ली में स्थित एम्स है, उसी तरह से सुव्यवस्थित करने की आवश्यकता महसूस कर रहा हूँ। माननीय लालकृष्ण आडवाणी जी और माननीय सुषमा स्वराज जी ने इसकी आधारशिला रखी थी। मुझे दुःख है कि भोपाल एम्स दस वर्ष पिछड़ गया है। 13 साल बीत जाने के बाद भी भोपाल एम्स अधूरा है। जहाँ मरीजों को सस्ता, सुलभ और सहज इलाज मिले, इस ओर ध्यान दिया जाए, मैं इसकी आवश्यकता महसूस करता हूँ।

मैं आपके माध्यम से स्वास्थ्य मंत्री जी से अनुरोध करना चाहता हूँ कि भोपाल एम्स विगत कई महीनों से, बल्कि वर्ष भर हो गया है, डायरेक्टर विहीन एम्स को रायपुर डायरेक्टर मानिटर कर रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, यदि भोपाल 'एम्स' में विधिवत् रूप से फुल टाइमर डायरेक्टर की नियुक्ति हो जाती है, तो भोपाल 'एम्स' को न्याय मिलेगा। भोपाल समाचार पत्रों में भी भोपाल 'एम्स' की छवि धूमिल हो रही है। पिछले दिनों 'नवदुनिया' समाचार-पत्र ने हस्ताक्षर अभियान भी चलाया। मेरे पास सैंकड़ों नहीं, हजारों पोस्ट कार्ड्स भी आये हैं।

अध्यक्ष महोदय, मैं आग्रह करना चाहता हूँ कि भोपाल 'एम्स' में डाक्टरों की कमी है। जिसकी वजह से मरीजों को दी जा रही चिकित्सा उपचार की गुणवत्ता पर प्रभाव पड़ रहा है। विगत तीन वर्षों के दौरान अधिक संख्या में डाक्टर 'एम्स' छोड़कर जा रहे हैं। इसके क्या कारण है,, यह पता लगाया जाना भी नितान्त आवश्यक है।

अध्यक्ष महोदय, मैं सरकार से अनुरोध करना चाहता हूँ कि वह इस संबंध में अतिशीघ्र सुधारात्मक कदम उठाये। मरीजों को समय पर उपचार सुनिश्चित करने और बेहतर सुविधा देने हेतु डाक्टरों की खाली पदों को शीघ्र भरने की आवश्यकता है। अस्पतालों में बिस्तर बढ़ाये जाने की नयी फैकल्टी खोली जाये, जिससे क्षेत्र की जनता, मध्य प्रदेश को लाभ मिल सके। धन्यवाद।

माननीय अध्यक्ष: श्री भैरों प्रसाद मिश्र, कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चंदेल और श्री रोडमल नागर को श्री आलोक संजर द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

SHRI RADHESHYAM BISWAS (KARIMGANJ): Thank you, Madam Speaker, for allowing me to speak during 'Zero Hour'

The flood situation in Assam has worsened wherein 19 Districts with 16 lakh population have been affected. As per reports, at least, 17 people have been killed in these flash floods so far. Dhubri, Barpeta, Bongaigaon, Lakhimpur, Chirang, Baksha, Golaghat, Jorhat and Dhemaji Districts are badly affected. In view of the worsening situation in Assam, the Budget Session of Assam Assembly has been adjourned for four days. Also, a few days ago, devastating hailstorm and floods in three Districts of Barak Valley caused heavy damages taking lives of a few. So many people have lost their livelihood and the situation is deteriorating.

Madam, this has not happened only this year, but it has been happening every year. So, I would, therefore, urge upon the Government to form a special team of experts to find a solution to eliminate the main barrier against the all round development of Assam and the people's lives there.

HON. SPEAKER: Shri Naba Kumar Sarnia and Shri Bhairon Prasad Mishra are permitted to associate with the issue raised by Shri Radheshyam Biswas.

श्री धनंजय महाडीक (कोल्हापुर): अध्यक्ष महोदया, आपने मुझे एमपीलैड के महत्वपूर्ण विषय पर बोलने का मौका दिया, उसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। हमारी सरकार ने एमपीलैड खर्च करने में कुछ निर्बंध लगाये हैं। इस संबंध में एक नया जी.आर. निकला है। इसमें यह प्रावधान है कि अगर हमें किसी गांव में कोई कम्युनिटी हॉल या सांस्कृतिक भवन बनाना है, लेकिन वहां पांच-दस या बीस-पच्चीस साल पहले किसी एम.एल.ए. या किसी ने भी हॉल बनाया है, तो हम वहां दूसरा हॉल नहीं बना सकते। इस प्रावधान में सुधार लाने की जरूरत है, क्योंकि अभी पापुलेशन बढ़ रही है, कम्युनिटी बढ़ रही है। इस कारण वहां कई हॉल्स की जरूरत होती है। इसके लिए हमें मंजूरी मिलनी चाहिए।

दूसरा, सैंकिंड फ्लोर में भी हॉल बनाने के लिए निर्बंध लगाया हुआ है। यदि किसी छोटे से गांव में जगह नहीं है और वहां पहले से कोई हॉल बना हुआ है, तो वहां सैंकिंड फ्लोर पर हॉल बनाने की जरूरत होगी। इसके लिए भी हमें परमिशन मिलनी चाहिए।

अध्यक्ष महोदया, हमारा देश मंदिरों का देश है। मंदिरों को हॉल की जरूरत होगी या भाविकों की सुविधा के लिए कुछ करना होगा, तो उसमें भी मनाही है। अगर आप देखें तो मंदिरों की साफ-सफाई ठीक से होती है, क्योंकि वहां पूजा-अर्चना होती है। वहां कई सारे भाविक आते रहते हैं। उनकी सुविधा के लिए भी मंदिरों पर खर्च करने की अनुमति होनी चाहिए।

तीसरा, हमारे जो सरकारी आफिसेज हैं, वहां पर भी खर्चा करने के लिए निर्बंध है। जैसे जेल या कई गवर्नमेंट आफिसेज हैं, कोर्ट आफिसेज हैं, वहां लाइब्रेरी, किताबें आदि देने की आवश्यकता होती है, क्योंकि वहां फंड्स की कमी होती है। इसलिए वहां पर भी खर्च करने की जरूरत है।

अध्यक्ष महोदया, हमें कम्प्यूटर देने की अनुमति है, लेकिन ई-लर्निंग नहीं दे सकते। स्कूल के बच्चों को अच्छी शिक्षा के लिए ई-लर्निंग की जरूरत है। एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय और है। अगर हमारी कांस्टीट्यूंसी को देखें, तो इसमें छः विधान सभा क्षेत्र आते हैं। किसी के क्षेत्र में आठ विधान सभा आती हैं। हर एम.एल.ए. को दो करोड़ रुपये का फंड स्टेट गवर्नमेंट देती है।

अध्यक्ष महोदया, मेरी आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध है कि हमारा भी एमपीलैड कम से कम 20 करोड़ रुपये हो, ताकि गांव के अंदर रास्ते बनाने जरूरी हैं। ... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : अब आप अपनी बात समाप्त कीजिए।

श्री धनंजय महाडीक : अध्यक्ष महोदया, यह बहुत महत्वपूर्ण विषय है। गांव के अंदर अंदरूनी रास्ते बहुत जरूरी हैं। गटर्स, एस.टी.पी., ई.टी.पी. प्लांट्स होना जरूरी है। इन सबके लिए विधायक का फंड कम पड़ता है। अगर हम सांसद फंड से राशि देंगे, तो यह सब काम पूरा हो सकता है।

अध्यक्ष महोदया, मैं आपके माध्यम से अनुरोध करना चाहता हूं कि सरकार इन सबके लिए हमें 25 करोड़ रुपये के फंड की अनुमति दे। धन्यवाद।

माननीय अध्यक्ष : श्री शिवकुमार उदासि, श्री निशिकांत दुबे, श्री राजीव सातव, श्री रमेश बिधुड़ी, श्री भैरों प्रसाद मिश्र, कुंवर पुष्पेद्र सिंह चंदेल और श्री एच.सी. मीणा, को श्री धनंजय महाडीक द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

श्री विष्णु दयाल राम (पलामू) : अध्यक्ष महोदया, मैं आपके प्रति आभार प्रकट करता हूं कि आपने मुझे अपने संसदीय क्षेत्र से संबंधित एक महत्वपूर्ण मुद्दे को उठाने का अवसर दिया है।

महोदया, पलामू एवं गढ़वा जिले के अंतर्गत सोन नदी, उत्तरी कोयल एवं अमानत नदी से अत्यधिक कटाव हो रहा है। इससे न केवल कृषियोग्य भूमि बर्बाद हो रही है, बल्कि लोग पलायन करने के लिए

विवश हो रहे हैं, खासकर उत्तरी कोयल नदी के किनारे कागल गांव से सलखनी तक, उटारेरोड से मोहम्मदगंज तक, मोहम्मदगंज के भजनिया पंचायत में असीनगर का पूरा इलाका कटाव की चपेट में आ गया है। नदी का पानी कम होने पर खेतीयोग्य भूमि में बालू आ जाती है, जिससे वह खेती योग्यभूमि उपयोग में नहीं ला जा सकती। ऐसी परिस्थिति में यदि समय रहते कोई प्रभावकारी कदम नहीं उठाया गया तो बड़ी संख्या में लोगों को पलायन के लिए मजबूर होना पड़ेगा।

मेरा आपके माध्यम से माननीय जल संसाधन मंत्री, भारत सरकार से अनुरोध है कि इस आशय का प्रस्ताव राज्य सरकार से जल्द मंगवाकर, इस पर त्वरित कार्रवाई की जाए, जिससे इस क्षेत्र के लोगों का पलायन रुक सके और जनता को राहत मिल सके।

माननीय अध्यक्ष : श्री निशिकान्त दुबे एवं श्री भैरों प्रसाद मिश्र को श्री विष्णु दयाल राम द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

डॉ. नैपाल सिंह (रामपुर) : माननीय अध्यक्ष महोदया, मुझे बोलने के लिए अवसर देने के लिए मैं आपके प्रति आभार व्यक्त करता हूं। मैं उत्तर प्रदेश के रामपुर संसदीय क्षेत्र की कुछ समस्याएं आपके सामने रखूंगा।

महोदया, इस क्षेत्र में करीब 63 प्रतिशत पिछड़े वर्ग एवं अनुसूचित जाति के लोग हैं, इनके पास जमीन कम है। पिछले वर्ष मौसम के कारण उनकी जो फसल नष्ट हुई थी, अभी तक उसका मुआवजा इन लोगों को नहीं मिला है। मुआवजे का जिस तरह से राजनीतिकरण किया गया, मैं अगर यह कहूँ कि धर्म के आधार पर नहीं, अधर्म के आधार पर मुआवजा दिया गया है तो अनुचित नहीं होगा। वे छोटे-छोटे किसान हैं, आज दूसरी बरसात आ गयी, लेकिन उन लोगों को मुआवजा नहीं मिला है। केन्द्र सरकार ने जो मुआवजे की राशि दी थी, प्रदेश सरकार से जो मुआवजा मिलना था, वह वहां अभी तक नहीं मिला है। इस अधर्म में सबसे ज्यादा योगदान वहां के अधिकारियों का है, किसी व्यक्ति को दोगुना मुआवजा दिया है, किसी का रेट बदल दिया है, किसी को दिया ही नहीं। इस बारे में मैंने कई पत्र माननीय गृह मंत्री जी एवं कृषि मंत्री जी को लिखे हैं कि इस प्रकरण में जब मुआवजा बांटने के लिए केन्द्र की ओर से सहायता राशि जिले को गयी है तो उसके बारे में जांच कराई जाए और जो भी अधिकारी इन अनियमितताओं एवं भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, उन पर कार्रवाई हो। यही मेरी मांग है।

माननीय अध्यक्ष : कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल, श्री भैरों प्रसाद मिश्र एवं श्री रोड़मल नागर को डॉ. नैपाल सिंह द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

श्री निनांग इरिंग (अरुणाचल पूर्व) : अध्यक्ष महोदया, मैं आपके प्रति आभारी हूँ कि आपने मुझे शून्य काल में एक विशेष विषय पर बोलने का मौका दिया है। अरुणाचल प्रदेश और पूरा असम हर साल बाढ़ से

प्रभावित होता है। अब भी बाढ़ के कारण वह प्रभावित एरिया है। इस मुद्दे को मैंने कई बार उठाया है। जांग्मू हाइड्रो प्रोजेक्ट चाइना में शुरू हो गया है, उसके कारण सियांग नदी, जिसे असम में ब्रह्मपुत्र नाम दिया गया है, उसके ज़ाका एरिया में पर्यावरण और तिब्बत निवासी भी प्रभावित हो रहे हैं। वहां तिब्बत के लोग चिल्ला रहे हैं कि ये सभी डैम्स नहीं बनने चाहिए, क्योंकि डाउनस्ट्रीम, जिसमें अरुणाचल प्रदेश, असम एवं अन्य पूर्वोत्तर राज्य हैं, पर उनका असर होगा। हमारे देश और चीन के बीच जल सहयोग समझौता नहीं हुआ है। इसके लिए आप क्या प्रावधान कर रहे हैं, इसके बारे में सरकार क्या विशेष कदम ले रही है, मुझे इसकी भी जानकारी चाहिए। डांगू, जिक्सू, जीच्या आदि सभी एरियाज में भी ऐसे डैम्स बनने जा रहे हैं। सितम्बर, 2016 में सीटू की सम्मिट होगी और अक्टूबर, 2016 में ब्रिक्स की सम्मिट गोवा में होने जा रही है। इसलिए प्रधानमंत्री जी और विदेशमंत्री जी से मेरी ऐसी रिक्वेस्ट है, ताकि उत्तर पूर्वी राज्यों के बाढ़ प्रभावित इलाकों में जल की समस्या है, का समाधान हो सके, इसके बारे में उनके साथ एग्रीमेंट होना चाहिए। धन्यवाद।

माननीय अध्यक्ष: कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल, श्री नव कुमार सरनीया, श्री राजीव सातव एवं श्री जॉर्ज बेकर को श्री निनोंग इरिंग द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

श्री रमेश बिधूड़ी (दक्षिण दिल्ली) : मॅडम, आपने मुझे इस महत्वपूर्ण विषय पर बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ।

मॅडम, दिल्ली में लगभग पौने दो करोड़ की आबादी है। रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिसशनर डाक्टर्स यहां प्रैक्टिस करते हैं। वे बंगाल और नॉर्थ ईस्ट से वैद्य विशारद-वैद्य रत्न डिप्लोमा लेकर आते हैं। जब वे दिल्ली में प्रैक्टिस करते हैं तो दिल्ली मेडिकल एसोसिएशन एवं दिल्ली मेडिकल काउंसिल, सुप्रीम कोर्ट में एक पेटिशन आने के बाद, उनको अवैध घोषित कर देते हैं और उनको प्रैक्टिस नहीं करने दी जाती है। दिल्ली की पौने दो करोड़ की आबादी में लगभग सवा करोड़ लोग अनियमित कॉलोनीज, गांवों एवं झुग्गी बस्तियों में रहते हैं। वे डाक्टर्स 10 से 15 रुपये लेकर उनकी छोटी-मोटी बीमारियों, जैसे वायरल हो गया, बच्चे को ठोकर लग गयी, का इलाज करते हैं। वे लोग बड़े डाक्टर्स के पास नहीं जा सकते हैं क्योंकि उनकी कन्सल्टेशन फीस 500 रुपये होती है। बड़े-बड़े अस्पतालों की फीस होती है। सरकारी अस्पतालों में बोझ रहता है। 40 हजार डॉक्टर्स हैं। 10 हजार दिल्ली में प्रैक्टिस कर रहे हैं। उनकी रोजी-रोटी का सवाल है ही, लेकिन गरीब आदमी को सस्ती स्वास्थ्य सुविधाएं मिल जाएं तो उनके वहां रेड डालकर उन पर बैन लगाया जाता है। मेरा आपके माध्यम से निवेदन है कि उन आर.एम.पी. डॉक्टर्स की रोजी-रोटी की चिंता की जाए। 40 हजार का वह परिवार है। उसके साथ साथ जो एक करोड़ गरीब परिवार है, जो महंगी दवाइयों के कारण से इलाज कराने में सक्षम नहीं हैं, क्योंकि जो जज वगैरह होते हैं, ये जब इलाज कराने जाते हैं तो

ये 'एम्स' वगैरह में बड़े डॉक्टर्स के पास इलाज कराने जाते हैं। उनके प्रेशर में आकर उन्होंने उन गरीब लोगों के खिलाफ आदेश कर दिया। मोदी जी की सरकार गरीबों के लिए ही सारी योजनाएं- चाहे वह सुरक्षा बीमा हो या जीवन बीमा हो, चलाती है और गरीबों के उत्थान के लिए तथा गरीबों को अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं मिले, इसके लिए मोदी जी की सरकार प्रतिबद्ध है। इसलिए मेरा आपके माध्यम से निवेदन है कि ये जो डॉक्टर्स हैं, कांग्रेस के समय में भी हैल्थ मिनिस्टर एम.बी.बी.एस. थे और बीजेपी के समय में भी जो हैल्थ मिनिस्टर थे, वह दिल्ली के एम.बी.बी.एस. थे। ये भी एम.बी.बी.एस. डॉक्टर्स इसको परस्यू करते ही नहीं हैं, इसलिए वे गरीबों के बारे में सोचते ही नहीं हैं। इसलिए मेरा आपके माध्यम से निवेदन है कि डॉक्टर्स और गरीब लोगों के हितों को ध्यान में रखते हुए प्रैक्टिस करने की परमिशन दी जाए। यहां पर पार्लियामेंट में ऑर्डिनेंस लाया जाए कि जो सवा करोड़ गरीब लोग हैं, जो उन डॉक्टर्स से सस्ती दरों पर वायरल वगैरह का ले रहे हैं, उनकी तरफ ध्यान दिया जाए। धन्यवाद।

माननीय अध्यक्ष : ऐसे मत बोलिए कि एम.बी.बी.एस. गरीब का इलाज नहीं करते। ऐसे नहीं बोलते।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : श्री भैरों प्रसाद मिश्र, श्री रोडमल नागर और कुंवर पुष्पेन्द्र सिंह चंदेल को श्री रमेश बिधूड़ी जी द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

श्री थुपस्तान छेवांग (लद्दाख) : माननीय अध्यक्ष जी, माननीय प्रधान मंत्री जी के दिशानिर्देश में ग्रामीण विकास मंत्रालय ने देश में जितनी बसावट है, जिनका अभी तक सड़कों से नहीं जोड़ा जा सका है, सन् 2019 तक जोड़ने का उन्होंने बेड़ा उठाया है। यह बहुत ही चैलेंजिंग टॉस्क है, खास तौर से हिल्स स्टेट्स के लिए जहां की पोपुलेशन कम है और एरिया ज्यादा है, मैं मंत्रालय के संज्ञान में यह बात लाना चाहता हूं कि इस कार्य के लिए जो काम जमीनी सतह पर होना चाहिए था, वह होता नहीं दिख रहा है। मेरा यह संशय है कि यह काम समय पर नहीं होगा। विशेष तौर पर मैं जम्मू-कश्मीर सरकार का जिक्र करना चाहता हूं कि यह सड़क बनाने का काम है। सबसे पहले इसकी प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार करनी होती है और सबमिट करनी होती है। यह काम अभी तक वहां पर शुरू नहीं किया गया है जिसकी वजह से मुझे संशय है कि समय पर यह प्रोजेक्ट रिपोर्ट यहां पर नहीं आ पाएगी। मंत्रालय इसके लिए नियमित रूप से इसको रिव्यू करने का एक कार्यक्रम बनाए, ताकि स्टेट को मजबूर किया जाए कि समय पर वह प्रोजेक्ट रिपोर्ट सेन्टर के पास भेजे।

दूसरे, मैं लद्दाख क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता हूं और एरिया बहुत बड़ा है लेकिन पोपुलेशन बहुत कम है। इसलिए बसावट दूर दूर बिखरी हुई है। ग्रामीण मंत्रालय इस बात पर विचार कर रहा है कि नक्सल

इंफ्रैस्टेड एरिया और नॉर्थ-स्टेट के लिए बसावट के नियमों में फ्लैक्सिबिलिटी लाने पर विचार किया जा रहा है और 250 से घटाकर 150 पर नियम करने की बात चल रही है। मेरा मंत्रालय ने निवेदन है कि लद्दाख जैसा दूरदराज इलाका देश में कोई नहीं है। यह इलाका 6 महीने सड़क से कटा रहता है। जहां नक्सल एरियाज और नॉर्थ स्टेट के लिए बसावट के नियमों में छूट देने की बात चल रही है, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि लद्दाख एरिया के विय में भी नियम में छूट दी जाए और 150 वाली बसावट को भी सड़क से जोड़ा जाए ताकि वहां के लोग सड़कों से वंचित न रहें। धन्यवाद।

माननीय अध्यक्ष : श्री भैरों प्रसाद मिश्र और कुंवर पुष्पेन्द्र सिंह चंदेल को श्री थुपस्तान छेवांग जी द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

श्री सुभाष चन्द्र बहेड़िया-- अनुपस्थित।

श्री सुखबीर सिंह जौनापुरिया (टोंक -सवाई माधोपुर): माननीय अध्यक्ष जी, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। मेरे संसदीय क्षेत्र के जिला सवाई माधोपुर के तहसील गंगापुर सिटी के लगभग 30 गांवों की यह मांग है कि ग्राम कुशाय और ग्राम शहरौली में एक सरकारी बैंक खोला जाए। दोनों गांवों के बीच की दूरी लगभग 10 कि.मी. है और इन गांवों में लगभग 20000 की आबादी है। वहां पर किसी सरकारी बैंक या गैर-सरकारी बैंक की शाखा नहीं है जिसके कारण कुशाय और शहरौली के साथ साथ आसपास के सभी पेंशनभोगी और सभी विभागों के सरकारी कर्मचारी और गैर-सरकारी कर्मचारियों की तनखाह लेने के लिए गंगापुर सिटी जाना पड़ता है जिससे कि उनको समय के साथ साथ आर्थिक हानि भी होती है। इस विषय में मुझे लगभग 30 ग्राम पंचायतों ने आवेदन भी दिये हैं और सबने मांग भी दी है। राजस्थान प्रदेश के मुख्य मंत्री जी की एक बहुत ही लोकप्रिय योजना भामाशाह के नाम से अपने शासनकाल में शुरू की गई है। उसका ऑनलाइन पैसा बैंकों में आता है। अध्यक्ष महोदया, जब बुजुर्ग अपनी पेंशन लेने जाते हैं तो उन्हें अपने साथ किसी मोटरसाइकिल वाले को साथ ले जाना पड़ता है, वह भी उनसे 100 रुपये या 200 रुपये ले लेता है और उनको पूरे पैसे नहीं मिल पाते हैं।

मेरा आपके माध्यम से निवेदन है कि वहां पांच हजार लोगों की बड़ी आबादी है, एक क्षेत्र में ही नहीं बल्कि पूरे देश में बैंकिंग की समस्या हो रही है, सभी जगह बैंक की सुविधा हो जाये ताकि आम आदमी को बैंक की सुविधा मिल सके। धन्यवाद।

माननीय अध्यक्ष : श्री भैरों प्रसाद मिश्र को श्री सुखबीर सिंह जौनापुरिया द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

DR. BHAGIRATH PRASAD (BHIND): Respected Madam Speaker, in a Parliamentary democracy the Executive, Legislature and Judiciary function in a coordinated manner to ensure purposeful service to the people. Independence of judiciary is an essential feature of our Indian polity. Hence quality education, training and professional efficiency of a high order is required among judicial officers.

After Independence, a need was felt for the All India Services for maintaining unity, integrity and stability of the nation. Accordingly, a provision was made in Article 312 of the Constitution for creation of one or more All India Services common to the Union and the States. The Indian Administrative Service and the Indian Police Service are deemed to be constituted by the Parliament. After promulgation of the Constitution, a new All India Service namely the Indian Forest Service was created in 1966.

Similarly, Article 312 of the Constitution provides for the creation of an All India Judicial Service common to the Union and the States. I request the Parliament and the Government of India to create All India Judicial Service. The All India Judicial Service will become the feeder cadre for appointment of Judges of the Supreme Court and the High Court. The new system will ensure an experienced and impartial judiciary and will curb the controversial process of appointment of judges.

HON. SPEAKER: Shri Bhairon Prasad Mishra and Kunwar Pushpender Singh Chandel are permitted to associate with the issue raised by Dr. Bhagirath Prasad.

Shri Birendra Kumar Chaudhary – not present.

Shri N. K. Premachandran.

SHRI N.K. PREMACHANDRAN (KOLLAM): Madam Speaker, the Indian Rare Earths Limited (IRE), which is a Central Public Sector Undertaking has taken over the land for mining beach sand mineral. The land was taken over for mining with a specific condition that the land will be given back to the owners after mining. The IRE agreed for the rehabilitation also. The land comprised in

Puthenthura in Neendakara Village, Karithura and Kovilthottom in Chavara Village, Vellanathuruth in Alappattu village in Kollam District, Kerala was taken over by the IRE. It is pertinent to note that the Puthenthura School land also has been taken for mining. The mining process was completed a decade back. But the IRE failed to hand over the land to the owners and implement the rehabilitation scheme as per the agreed terms and conditions. The local people are put into untold hardship due to the violation of agreement conditions by the IRE. It is highly necessary to give back the land and implement the rehabilitation to safeguard the interest of the local people. It is learnt that the permission from the Government, that is, from the Union Cabinet is required for giving back the land and the matter is now pending before the Union Council of Ministers' agenda.

Hence, I urge upon the Government and the Department of Atomic Energy to initiate immediate action or issue necessary orders to give back the land and implement the rehabilitation.

डॉ. किरिट पी. सोलंकी (अहमदाबाद) : स्पीकर महोदया, गुजरात से पाकिस्तान की इंटरनेशनल बॉर्डर 512 किलोमीटर लंबी है, उसमें 340 किलोमीटर पक्के तारबंदी का निर्माण किया गया है। वहां कई जगह पर तारबंदी गिराई गई है, कई जगह पर जमीन धंसने से वह जर्जर हो गई है और इसकी वजह से उन रास्ते से पाकिस्तानी घुसपैठिए आते हैं। वे ड्रग्स भी लाते हैं और स्मगलिंग भी करते हैं। इसकी वजह से हमारे देश में आतंकवाद के खतरे को बढ़ावा मिलता है। हमारी गुजरात सरकार ने भी कई बार वहां तार और हाईड्रेन्सिटी सी.सी.टी.वी. कैमरा, जो रात में भी मॉनिटर कर सके, उसके लिए निवेदन किया है, अब मैं आपके माध्यम से भारत सरकार और गृह मंत्रालय से निवेदन करता हूँ कि वहां जल्द से जल्द नई तारबंदी की जाये और वहां हाई ड्रेन्सिटी वाले सी.सी.टी.वी. कैमरा, जो रात को भी चले, उसका प्रबंध किया जाये। धन्यवाद।

माननीय अध्यक्ष : श्री भैरों प्रसाद मिश्र, कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल, श्री हरीश मीना और श्री गजेन्द्र सिंह शेखावत को डॉ. किरिट पी. सोलंकी द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

श्री हुकुम सिंह (कौराना) : अध्यक्ष महोदया, मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय सदन में उठाना चाहता हूँ जो कि देश के मधुमक्खी पालकों से संबंधित है। भारतवर्ष का शहद कभी बहुत मशहूर हुआ करता था और

विदेशों में भी इसकी मांग होती थी। हमारे शहद को आर्गेनिक रूप में भी इस्तेमाल किया जाता था लेकिन आज के समय में शहद में इतनी मिलावट बढ़ गई है कि शहद ने अपनी सारी उपयोगिता खो दी है। राइस सिरप, कॉर्न सिरप आदि कई प्रकार के सिरप बाहर से आ रहे हैं और विशेष रूप से चीन से ऐसे सिरप आ रहे हैं। इन्होंने शहद का रूप धारण कर लिया है और इन्हें शहद में मिलाकर बाजार में बेचा जा रहा है। इस वजह से लोगों का स्वास्थ्य खराब हो रहा है। इसी तरह से देश में अच्छे-अच्छे ब्रांड्स द्वारा विज्ञापन करके शहद बेचा जा रहा है, परीक्षण में पता चला है कि वे भी मिलावटी हैं।

मेरा आपसे आग्रह है कि मेरे लोक सभा क्षेत्र कैराना में लगभग दस हजार मधुमक्खी पालक हैं। आज उनके जन-जीवन पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ रहा है। वे बेरोजगार हो रहे हैं। सरकार को तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए कि विदेशों से जो सिरप आ रहा है और हमारे यहां भी शहद में जो मिलावट हो रही है, इसे रोकने के लिए तुरंत कार्रवाई करे और इसे रोकने की कोशिश करे। खेती में भी मधुमक्खियों का बहुत महत्व है। इस मिलावट की वजह से मधुमक्खियां भी समाप्त होती जा रही हैं और शहद के रूप में हमारा जो बाजार था, वह भी समाप्त होता जा रहा है। मैं सरकार से मांग करता हूँ कि इस संबंध में तुरंत कार्रवाई करे।

माननीय अध्यक्ष: श्री राजेन्द्र अग्रवाल, श्री गजेन्द्र सिंह शेखावत, श्री भैरों प्रसाद मिश्र और कुंवर पुष्पेन्द्र सिंह चंदेल को श्री हुकुम सिंह द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

कुंवर भारतेन्द्र सिंह (बिजनौर): अध्यक्ष जी, पश्चिम उत्तर प्रदेश में जनसंख्या का घनत्व अत्याधिक है। बेरोजगारी और जनसंख्या वृद्धि के कारण युवाओं में बेबसी और अपराध बढ़ता जा रहा है। स्टार्ट-अप इंडिया प्रोग्राम लांच होने के बाद सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय द्वारा नए उद्यमियों के कौशल और तकनीकी क्षमता को बढ़ाने का कार्य द्रुत गति से चालू किया गया है।

माननीय महोदया, इस वर्ष नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन देश के विभिन्न राज्यों में नए इनक्यूबेशन सेंटर खोलने पर विचार कर रहा है। स्टार्ट-अप इंडिया प्रोग्राम में हाई टेक्नोलॉजी पर जोर को देखते हुए कॉरपोरेशन ने अपने इनक्यूबेशन सेंटर्स में रोबोटिक्स और आटोमेशन पर भी फोकस करना शुरू किया है। वैसे तो स्टार्ट-अप इंडिया में बड़े पैमाने पर स्किल डेवलपमेंट और आंत्रप्रेन्योरशिप की बात कही है, लेकिन छोटे उद्यमियों के लिए खास इनक्यूबेटर्स सेंटर्स खोलने पर भी विचार हो रहा है। इस समय देश के विभिन्न हिस्सों में 90 इनक्यूबेटर्स सेंटर हैं जिनमें से 85 पीपीपी मॉडल और पांच सरकारी संरक्षण में चल रहे हैं।

महोदया, मैं सदन के माध्यम से माननीय सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग मंत्री जी से अनुरोध करता हूँ कि एक इनक्यूबेशन सेंटर मेरे संसदीय क्षेत्र बिजनौर, उत्तर प्रदेश में भी खोला जाए जिससे मेरे संसदीय क्षेत्र एवं इसके आस-पास के छात्रों को अधिक से अधिक लाभ मिलेगा और उन्हें रोजगार के अच्छे अवसर प्राप्त होंगे। यह घनी आबादी के क्षेत्र में बढ़ती हुई बेरोजगारी और अपराध को कम करने में सार्थक सिद्ध होगा।

माननीय अध्यक्ष : कुंवर पुष्पेन्द्र सिंह चंदेल को कुंवर भारतेन्द्र सिंह द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

श्री बिष्णु पद राय (अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह) : अध्यक्ष महोदया, अंडमान निकोबार द्वीपसमूह में कांग्रेस ने बहुत साल राज किया। कांग्रेस सरकार कहती थी कि बैकवर्ड एरिया है, रिमोट एरिया है और वहां कोई काम नहीं किया था।... (व्यवधान) मैं अपनी बात कह रहा हूँ। मैं प्रूव कर दूंगा कि आपने वहां कोई काम नहीं किया है। "हर हर मोदी, घर घर मोदी" नारा दिया। मोदी जी की सरकार में नितिन गडकरी जी मंत्री बने। वर्ष 2004 में अटल बिहारी वाजपेयी सरकार ने अंडमान निकोबार को राष्ट्रीय राजमार्ग दिया। दस साल कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, लेकिन एक किलोमीटर भी राष्ट्रीय राजमार्ग नहीं बनाया गया। नितिन गडकरी जी चार जुलाई, 2016 को मंत्रालय में मीटिंग हुई थी, जिसमें सांसद तथा एडमिनिस्ट्रेशन के उच्च अधिकारी उपस्थित थे। सरकारी संस्था एन.एच.आई.डी.सी.एल. को काम दिया और राष्ट्रीय राजमार्ग का काम एक अक्टूबर, 2016 को शुरू होने जा रहा है। 333 किलोमीटर का रास्ता बनेगा। दो ब्रिज बनेंगे। केवल यही नहीं, बल्कि नई टेक्नोलोजी लेकर आए।... (व्यवधान) अध्यक्ष जी, मैं काला पानी क्षेत्र से हूँ। मुझे बोलने के लिए केवल एक मिनट का समय और दीजिए।... (व्यवधान) खड़गे जी, मैं प्रूव करूंगा कि कांग्रेस ने वहां कुछ नहीं किया है। नितिन गडकरी जी ने 46 करोड़ रुपए सीआरएफ फण्ड में दिए। इसके अलावा 21 ब्रिज अंडमान निकोबार को मिले हैं। 90 किलोमीटर स्टेट हाईवे को नेशनल हाईवे में परिवर्तित कर दिया गया है। स्टेट हाईवे को बनाने के लिए पैसा नहीं था, फंड नहीं था, कुछ भी किया नहीं था। पहली बार अंडमान में स्टेट हाईवे 90 किलोमीटर को नेशनल हाईवे में परिवर्तित करने का काम किया गया है। मेरे कांग्रेसी मित्रों आपने कुछ नहीं किया चाहे राहुल गांधी बोलो, चाहे नेहरू जी बोलो, सोनिया गांधी बोलो, मनमोहन सिंह जी बोलो, खड़गे जी बोलो, केवल कागजों में अंडमान की अचीवमेंट्स को दिखाया। भारत माता की जय। वन्दे मातरम।

माननीय अध्यक्ष : कुंवर पुष्पेन्द्र सिंह चंदेल को श्री बिष्णु पद राय द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

डॉ. वीरेन्द्र कुमार (टीकमगढ़) : माननीय अध्यक्ष महोदया, मैं एक अति महत्वपूर्ण लोक महत्व के विषय को आपके माध्यम से सदन में उठाना चाहता हूँ।

यह बारिश का समय है। इस मौसम में सड़कों पर बहुत बड़ी संख्या में गायें आ जाती हैं। इसका सबसे प्रमुख कारण यह है कि गांवों में जो गौचर की भूमि हुआ करती थी, उस भूमि पर अतिक्रमण हो गये। उस पर लोगों ने मकान बना लिये। इसके कारण गायें सड़कों पर आ जाती हैं। जब लोग सड़कों पर वाहन लेकर निकलते हैं, तो इससे गायें दुर्घटनाग्रस्त होती हैं और वाहन भी क्षतिग्रस्त होते हैं। सड़कों पर हाथी, घोड़े, खच्चर और अन्य किसी भी तरह के जानवर नहीं मिलते हैं, लेकिन गायें ही सड़कों पर मिलती हैं, लोग-बाग इनको सड़कों पर छोड़ देते हैं।

मेरा आपके माध्यम से अनुरोध है कि केन्द्र सरकार इस संबंध में पहल करे और देश भर में जो गौचर की भूमि है, उसे अतिक्रमण से मुक्त कराकर वहाँ पर गौशालाओं का निर्माण कराया जाए ताकि गायें आवारा तरीके से न घूम सकें और उनके साथ दुर्घटनाएँ न होने पाएँ।

माननीय अध्यक्ष : सर्वश्री गजेन्द्र सिंह शेखावत तथा भैरो प्रसाद मिश्र तथा डॉ. वीरेन्द्र कुमार द्वारा उठाये गये विषय से संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

PROF. K.V. THOMAS (ERNAKULAM): Thank you, hon. Madam, for allowing me to speak on a matter of urgent public importance.

Madam, India is one of the biggest importers of both crude and refined palm oil and other edible oils. We are trying to promote palm tree cultivation as well as improve our refining capacity. But, the major palm oil producing countries like Malaysia and Indonesia are increasing the export duty of crude palm oil and decreasing the export duty of refined palm oil. This will badly affect both our palm tree cultivators and edible oil refining capacity of the country. It will also cause the price in rise of edible oil.

The Government of India should take adequate steps by increasing the import duty of refined oil and decreasing the import duty of crude palm oil.

श्री आर.के.सिंह (आरा) : मैडम, अभी कश्मीर में एक आतंकवादी जिन्दा पकड़ा गया है। यह हम लोगों के लिए एक बहुत अच्छी बात है। जब उसका इंटरोगेशन हुआ, तो पता चला कि वह पाकिस्तान के रायविन्द का रहने वाला है, पाकिस्तानी है। उसको प्रशिक्षण दिया गया, हथियारों से लैस किया गया और उसको वहाँ की सेना की मदद से कश्मीर में आतंकवाद फैलाने के लिए भेजा गया।

इसके पहले भी जो आतंकवादी जिन्दा पकड़े गये थे, जिन्होंने सीआरपीएफ के बस पर हमला किया था, वे भी पाकिस्तानी थे। पाकिस्तान अपने लोगों को आतंकवाद का प्रशिक्षण देकर यहाँ भेजा रहा है और इसमें वहाँ की सेना involved है।

मुझे सरकार से दो बातें कहनी हैं। एक बात यह है कि यह स्पष्ट है कि पाकिस्तान की सेना आतंकवाद में involved है, इसलिए पाकिस्तान से वार्ता करने का कोई तुक नहीं है। हम लोगों ने वार्ता करने का प्रयास किया, उसके बदले में पठानकोट में आतंकवादी हमला हुआ और कश्मीर में आतंकवाद बढ़ा है। हम लोग जब तक आतंकवादियों के हमले का प्रतिकार नहीं करेंगे, तब तक यह आतंकवाद चलता रहेगा। इसको रोकने का एक ही तरीका है कि हम लोग इसका प्रतिकार कैसे करें, इसका रास्ता ढूँढ़ें और पाकिस्तान को हिट-बैक करें।

माननीय अध्यक्ष : सर्वश्री भैरो प्रसाद मिश्र, जगदम्बिका पाल, कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल को श्री आर.के. सिंह द्वारा उठाये गये विषय से संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

SHRI K. ASHOK KUMAR (KRISHNAGIRI): Madam Speaker, I would like to bring to the notice of this august House the pitiable conditions being faced by the construction workers and their children across the country.

Madam Speaker, a lot of workers and labourers are working for the development of infrastructure facilities across the country by constructing buildings, houses, bridges, highways, railway lines, etc. both in urban and rural areas. During day time, parents leave their children unattended and no one is there to look after them. They play with other children in mud and unhygienic atmosphere. Further, these children also do not attend school because their parents are moving from one place to other, one city to other for work and earn their livelihood.

Madam Speaker, the Union Government has made arrangements for day care centres for children of the Government employees at their work place but such facilities are not extended to children of labour or construction workers. Further, the amount allotted for the welfare of the labour and construction workers remains unspent.

Hence, I urge upon the Union Government through this august House to take necessary steps immediately to set up day care centres in all construction sites to take care of these children. Thank you.

HON. SPEAKER: Shri Bhairon Prasad Mishra is permitted to associate with the issue raised by Shri K. Ashok Kumar.

13.00hours

SHRI M. MURLI MOHAN (RAJAHMUNDRY): Madam, the Government of Andhra Pradesh has sanctioned Rs. 274 crore for acquisition of 857 acres of land for expansion of Rajahmundry Airport to match international standards. The land will be handed over to the Airports Authority of India which will take up the expansion of the airport. The AAI plans to extend the runway to 3,165 metres from the existing 1,749 metres to enable landing of big or Code-D aircraft.

At present, the airport at Rajahmundry handles eight flights daily. The passenger traffic at the airport is about 2,000 per day. Due to non-expansion of airport and non-operational direct flights, either by Air India or any private entity, from Rajahmundry Airport to New Delhi and other metropolitan cities, the people of East and West Godavari districts of Andhra Pradesh are suffering a lot to travel.

Rajahmundry is a commercial hub. There are lot of industries located at Rajahmundry, including ONGC, GAIL. I would, therefore, request the Union Government and hon. Minister of Civil Aviation, Shri Ashok Gajapathi Raju *garu*, to allocate adequate funds for expansion of Rajahmundry Airport and also to issue necessary instructions to Air India to operate direct flights from Rajahmundry to New Delhi and other metropolitan cities.

SHRI K.C. VENUGOPAL (ALAPPUZHA): Madam Speaker, I would like to draw the attention of the Government, through you, to the problem faced by poor fishermen in the country.

The Government of India and State Governments are giving amounts for construction of houses by fishmen, but due to the CRZ norms, they are not in a position either to construct new houses or to alter their old houses.

Hon. Minister of Environment and Forests in the last Session had assured the House that there would be a change in the CRZ norms, but unfortunately, day before yesterday, I got a written answer from the hon. Minister that there is no such move. This is very disappointing. Therefore, I urge upon the Government to seriously look into the situation and amend the CRZ norms only for fishermen's dwelling houses. Thank you.

SHRIMATI MEENAKASHI LEKHI (NEW DELHI): Hon. Speaker, Madam, I wish to bring to the notice of the House and the Government that the medical students in Delhi under the Delhi University rules have completed their education one-and-a-half years ago and they have also finished their six-month internship. Yet, degrees have not been handed over to them.

The matter is of grave concern because these students need to apply for higher studies. Some of them have to apply to foreign universities also. If the applications are not completed by July, they lose one whole year. The Vice-Chancellor is directly responsible as he is not holding the convocation. Irrespective of whether he holds the convocation or not, the degrees should be handed over so that the students do not lose their one year. I think, this is a matter of grave concern. Thank you very much.

HON. SPEAKER: Shri Bhairon Prasad Mishra and Kunwar Pushendra Singh Chandel are permitted to associate with the issue raised by Shrimati Meenakashi Lekhi.

श्री जगदम्बिका पाल (डुमरियागंज): अध्यक्ष महोदया, मैं आपका अत्यंत आभारी हूँ कि आपने मुझे लोक महत्व के तात्कालिक विषय पर बोलने की मुझे अनुमति दी है।

महोदया, केवल इस वर्ष में उत्तर प्रदेश के गोरखपुर मेडिकल कॉलेज में जापानी इनसेफ्लाटिस और एक्यूट इनसेफ्लाइटिस सिंड्रोम के 349 बच्चे एडमिट हुए। बदकिस्मती है कि उस मेडिकल कॉलेज की छत के नीचे 88 बच्चों की मौत हो गयी और जो बच्चे बच गए, वह विकलांग हो गए हैं। उनके लिए जो फिजीकल-मैंटल रिहेब्लिटेशन सेंटर (पीएमआर) होना चाहिए, उसके लिए पांच करोड़ रुपये भारत सरकार की तरफ से गया भी है। लेकिन दो र्वा हो गए हैं, अभी तक उसका निर्माण नहीं हुआ है। वह बच्चे गरीब

मां-बाप पर बोझ हो रहे हैं, अभिशाप हो रहे हैं। आज तक एक्व्यूट इनसेफ्लाटिस का कारण पता नहीं चल सका है कि यह किस वायरस या वायरल से होता है। इसके लिए एक रीजनल मेडिकल रिसर्च सेंटर की स्थापना की जाए। मैं आपके माध्यम से केन्द्र सरकार से विनम्रतापूर्वक अनुरोध करना चाहता हूँ कि अब यह बीमारी केवल यूपी में ही नहीं है, बल्कि बिहार और बंगाल में भी है। मंत्री जी ने आज बड़े विस्तार से इस बीमारी से हुई मौतों का आंकड़ा दिया है। मैं आपके माध्यम से सरकार से चाहता हूँ कि इस बीमारी के कारणों का पता लगाने और इसकी रोकथाम के लिए एक मेडिकल रिसर्च सेंटर की स्थापना की जाए।

HON. SPEAKER: Shri Bhairon Prasad Mishra and Kunwar Pushpendra Singh Chandel are permitted to associate with the issue raised by Shri Jagdambika Pal.

SHRIMATI BUTTA RENUKA (KURNOOL): I would like to draw the attention of the hon. Minister of Finance with regard to the issue pertaining to Mudra loans. The Government has ambitiously launched the Scheme with a view to assist entrepreneurs taking up non-farm activities. This is, indeed, a good Scheme aimed at providing employment and livelihood to a large section of people.

However, in reality, the expected results are not forthcoming due to lack of active participation from the side of the bankers. Some banks, when approached by the official beneficiaries, are feigning ignorance of the Scheme and some are insisting on collateral as a pre-condition for extending assistance under the Scheme. It is reported that the Scheme has given scope for favouritism, nepotism and discrimination among the participants, even though this has been introduced to assist the needy and make them self-reliant. It is creating a negative feeling on account of the indifferent attitude of the banks.

In the light of the above, I strongly urge upon the hon. Minister of Finance to take immediate steps to rectify the deficiencies in the Scheme and to make it more process-driven, with less scope for discretion and discrimination, and ensure proper implementation of the Scheme so as to benefit the eligible sections of society. Thank you.

HON. SPEAKER: Kunwar Pushpendra Singh Chandel is permitted to associate with the issue raised by Shrimati Butta Renuka.

SHRI JITENDRA CHAUDHURY (TRIPURA EAST): Madam, I would like to raise one very unfortunate incident that has taken place in the Kandhamal District of Odisha. The House might have heard that on 8th July, five innocent Adivasis have been killed by the Police. This is not the first incident in Odisha. During the current financial year, this is the third incident, and everywhere these innocent people are being killed by the trigger-happy Police. The incident took place in Gungudmaha Village of the Kandhamal District. Seventeen Adivasi people, and most of them are women and children, were returning from a market after collecting their wages under MGNREGS. The Police, without challenging them, have fired at them and five people were killed, and eight people got seriously injured.

Madam, the point of my raising this issue is because I want to know why this is happening in Odisha. Almost one-fourth of the population of Odisha is tribals and their condition is very pitiable. Under the Forest Rights Act, only 0.5 acre forest land has been provided to them, whereas they were deserving 10 acres. Not only that, under MGNREGS, they never get work for 150 workdays in a year. This is happening. Also, there are no roads, no drinking water facilities and nothing is available in the tribal areas. These areas are now being targeted by the Police.

The hon. Tribal Affairs Minister of the country also hails from the Odisha State, where the state of tribals is like this. I would like to demand that the distressed families should be provided with Rs. 50 lakh compensation and jobs, and also other facilities. Thank you.

HON. SPEAKER: Shri Sankar Prasad Datta and Shri Md. Badaruddoza Khan are permitted to associate with the issue raised by Shri Jitendra Chaudhury.

श्री राजीव सातव (हिंगोली) : अध्यक्ष महोदया, मराठा साम्राज्य के होल्कर घराने की शासक पुयश्लोक अहिल्याबाई होल्कर देश के महानतम शासक में से एक है। उनका शासनकाल एक कल्याणकारी शासन के रूप में जाना जाता है। प्रजा उन्हें ईश्वर का अवतार मानती थी। उन्होंने न सिर्फ अपने राज्य में काम किया, बल्कि पूरे देश में उन्होंने काम किया। देश के कई सारे घाटों का निर्माण तथा कई सारे मंदिर जैसे अंधा

नागनाथ आदि मंदिरों का निर्माण अहिल्यादेवी ने किया है। अहिल्यादेवी की जयंती कई सारे राज्य मनाते हैं। लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर जयंती मनाने की दिशा में केन्द्र सरकार द्वारा दिशा-निर्देश जारी हों, यह मेरी आपके माध्यम से सरकार से विनती है।

श्रीमती अंजू बाला (मिश्रिख) : माननीय अध्यक्ष महोदया, हम सब अपने देश का सत्तरवां स्वतंत्रता दिवस मनाने जा रहे हैं। इस विशेष मौके पर मैं स्वतंत्रवीर विनायक दामोदर सावरकर के विषय में सरकार के संज्ञान में लाना चाहती हूँ कि सावरकर एक वीर स्वतंत्रता सेनानी, उत्साही, समाज सुधारक, समर्पित राष्ट्रवादी थे। उन्होंने अंग्रेजों को अपनी मातृभूमि से निकालकर भारत को आजाद कराने के लिए शहीदों के अधूरे लक्ष्य को पूरा करने का प्रण लिया था। महोदया 27 वीं की आयु में उन्हें दो बार कालेपानी की सजा सुनाई गई। वे ऐसे क्रांतिकारी वीर थे, जिनको पूरा हिंदुस्तान जानता है। हमारे अंडमान के सांसद भी काला पानी की बात करते हैं कि मुझे बोलने का मौका देना चाहिए। मैं खुद अंडमान निकोबार गई थी, जब मैंने उनकी कोठी में पांच मिनट हम लोगों ने बिताए, तब हमें महसूस हुआ कि वे ग्यारह साल उन्होंने वहां पर कैसे बिताए होंगे।

मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहती हूँ कि हमारे जो ऐसे क्रांतिवीर हैं, जिन्होंने हमारे भारत के लिए अपना बलिदान दिया उनको उचित सम्मान मिलना चाहिए। इस महान क्रांतिकारी के नाम से भी मार्गों का निर्माण, सरकारी प्रतिष्ठान, सरकारी योजनाओं के नाम होने चाहिए।

माननीय अध्यक्ष : कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल, श्री बिष्णु पद राय, श्रीमती नीलम सोनकर एवं साध्वी सावित्री बाई फूले को श्रीमती अंजू बाला द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

श्री नारणभाई काछड़िया (अमरेली) : अध्यक्ष महोदया, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान देश के कपास उत्पादन एवं उसके रेग्युलेट करने की प्रक्रिया की ओर ध्यान दिलाना चाहता हूँ।

सन् 1951-52 में भारत में 65 लाख हेक्टेयर भूमि पर कपास का उत्पादन होता था, जिससे 38 लाख कौटल बेल्स/गांठों का उत्पादन होता था। आज 2015-16 में भारत में कपास की खेती 118 लाख हेक्टेयर भूमि पर होती है और उससे कुल 352 लाख कौटन बेल्स का उत्पादन होता है।

जब कपास का मूल्य "न्यूनतम समर्थन मूल्य" से नीचे चला जाता है तो टैक्सटाइल मंत्रालय द्वारा एम.एस.पी. ऑपरेशन कंट्रोल किए जाते हैं, जो कि न्यायसंगत नहीं दिखता है। यदि कपास को अन्य कृषि उत्पादों की भांति कृषि मंत्रालय के अधीन लाया जाता है तो कपास के शुद्ध एवं सत्यापित बीज की

उपलब्धता से ले कर, कपास उत्पादकता को बढ़ाने हेतु प्रयास के साथ-साथ सभी पॉलिसी निर्णय कपास उत्पादकों के आर्थिक उत्थान एवं उनके उत्पादन, यानी कपास का बेहतर मूल्य दिलवाया जाना इत्यादि निर्णय कृषि मंत्रालय द्वारा लिए जा सकेंगे।

आज गुजरात पूरे देश में नंबर एक कपास उत्पादक राज्य है जो कि पूरे देश के कुल कपास उत्पादन का लगभग 30% उत्पादन करता है। अतः इस संबंध में लिया गया कोई भी निर्णय गुजरात के कपास उत्पादकों के हितों को प्रभावित करेगा। वर्तमान में कपास के उचित मूल्य के लिए किसानों को टैक्सटाइल मंत्रालय के पास गुहार लगानी पड़ती है, जबकि टैक्सटाइल मंत्रालय में प्रायः घरेलू टैक्सटाइल मिलों का ही ध्यान रख कर निर्णय लिए जाते हैं

आजादी के 65 वर्षों के बाद अब समय आ गया है कि जनहित में कपास को टैक्सटाइल मंत्रालय के कंट्रोल एवं रेग्युलेशन से हटा कर कृषि मंत्रालय के कार्यक्षेत्र के अंतर्गत लाया जाए, जिससे छोटे और सीमांत कपास उत्पादकों के हितों की रक्षा की जा सके तथा किसानों को कपास के शुद्ध एवं सत्यापित बीज उपलब्ध कराने के साथ साथ उनके उत्पादन यानी कपास के बदले उन्हें बेहतर मूल्य दिलवाया जाए।

अंत में, मैं आपके माध्यम से यह अनुरोध करना चाहूंगा कि जनहित में यथाशीघ्र कपास को टैक्सटाइल मंत्रालय के कंट्रोल एवं रेग्युलेशन से हटाकर कृषि मंत्रालय के कार्यक्षेत्र में लाया जाए।

माननीय अध्यक्ष : कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल को श्री नारणभाई काछड़िया द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

श्री दुष्यंत चौटाला (हिसार): अध्यक्ष महोदया, आपने शून्य काल में मुझे एक बड़ा ही महत्वपूर्ण विषय उठाने का अवसर दिया है। महोदया, एक ओर तो आप पार्लियामेंट को वाई-फाई इनेबल करने की बात करते हैं, देश के प्रधान मंत्री डिजीटल इंडिया की बात करते हैं, दूसरी ओर मेरे द्वारा अपने एमपीलैड से सवा सात लाख रुपये जुगलान ग्राम पंचायत को वाई-फाई करने के लिए दिए गए और बड़े दुख के साथ मैं आपको बताता हूँ कि प्लानिंग स्टैटिस्टिक्स मंत्रालय की ओर से चिट्ठी आई कि आप वाईफाइ इक्युपमेंट्स नहीं दे सकते हैं।

महोदया, मैं सरकार से आपके माध्यम से पूछना चाहूंगा कि इतनी बड़ी बात हम डिजीटल इंडिया की करते हैं, आज दिल्ली के अंदर मल्टी स्पॉट्स वाई-फाई इनेबल एरिया हमने बनाए हैं, मगर जहां एक गरीब किसान, मज़दूर के बच्चों को गांवों में हम वाई-फाई देने की बात करते हैं, वहां पर प्लानिंग स्टैटिस्टिक्स मंत्रालय की ओर से प्रतिबंध लगाए जाते हैं। बीएसएनएल भी सरकार की एक एजेंसी है, जिसके माध्यम से मैं यह कार्य पूरा करा रहा था।

मैं आपसे आग्रह करता हूँ कि माननीय प्लानिंग स्टैटिस्टिक्स मंत्री अधिकारियों को दिशा निर्देश दें कि यह प्रतिबंध हटा कर जल्द से जल्द जुगलान गांव के लोगों को भी वाई-फाई इनेबल कराने के लिए जो इक्युपमेंट हैं, उसकी मंजूरी देने का काम करें।

माननीय अध्यक्ष : कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल को श्री दुष्यंत चौटाला द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

SHRIMATI K. MARAGATHAM (KANCHEEPURAM): Madam Speaker, the Tamil Nadu Government on 15-7-2016 introduced a new crop insurance scheme for farmers fulfilling the promise made by Amma in her election manifesto. Under the scheme, Tamil Nadu will share the cost in Prime Minister's Crop Insurance Scheme along with the Union Government. Tamil Nadu under Amma's leadership is providing free quality seeds, giving 100 per cent subsidy to small and marginal farmers and 72 per cent subsidy to other farmers and implementing various other schemes for their livelihood. Soon after taking charge as Chief Minister, Amma announced waiver of cooperative loans taken by small and marginal farmers.

According to the new crop insurance scheme, the crop loss will be calculated at village level instead of block level and the loss due to natural calamities would be calculated right from cultivation till harvest stage benefiting farmers in nine delta districts. Such estimate will give actual loss suffered by farmers and they would get better relief from the insurance. Farmers will have to pay 1.5 per cent of the total insurance premium from October and March and those who calculate from April and September, two per cent of the total premium. The balance will be spent by the Central and the State Governments. Hence I request the Prime Minister and the Union Government to consider the demands of our hon. Chief Minister and allocate more funds for Tamil Nadu. Thank you.

PROF. RICHARD HAY (NOMINATED): Madam Speaker, I would like to bring to the notice of this House and the Government that in Kerala and other parts of the country youths are found missing. It is alleged that they have been radicalized and have joined the ISIS in Syria and Afghanistan. This is a very dangerous trend

and situation. It has been reported that the Syrian Deputy Prime Minister said that they have arrested Indian youths who went to Syria to fight alongside ISIS. As many as 23 Indians, six of whom are dead, were fighting for ISIS as per press reports. Who is motivating our educated youths to fight for ISIS? I would request the Government of India to investigate deeply into this matter. I also urge upon the Government of India to act tactfully and aggressively to deradicalise such misguided youths. The Government of India must take steps to monitor cyberspace through which recruitment to ISIS is taking place, and safeguard the interests of the citizens. Thank you.

HON. SPEAKER: Kunwar Pushpendra Singh Chandel is permitted to associate with the issue raised by Prof. Richard Hay.

श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय (गिरिडीह) : महोदया, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

महोदया, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि झारखंड प्रदेश के बोकारो जिले के अन्तर्गत दामोदर वैली कारपोरेशन के द्वारा बोकारो थर्मल में 184 करोड़ रूपए से फ्लाई ओवर का निर्माण करवाया जा रहा है। उसकी गुणवत्ता और करीब 39 परिवारों को इस बरसात के मौसम में वहाँ से विस्थापित किया गया। हमारा आपसे निवेदन है और दामोदर वैली कारपोरेशन से भी हमारा आग्रह होगा कि वे जो विस्थापित परिवार हैं, उनको प्रधान मंत्री आवास योजना के तहत, चाहे इन्दिरा आवास योजना के तहत आवास उपलब्ध कराए जाएं ताकि वे जो बीपीएल परिवार के लोग हैं, उनको राहत मिल सके और फ्लाई ओवर का जो निर्माण हो रहा है, उसकी क्वालिटी को भी मैनटेन किया जाए। आपने समय दिया, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

माननीय अध्यक्ष : श्री भैरो प्रसाद मिश्र को श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

श्री ताम्रध्वज साहू (दुर्ग) : महोदया, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

मेरा शून्य काल का विषय 'लोक कलाकारों को पेंशन व अन्य सुविधा' है। विश्व के नक्शे पर किसी देश की पहचान उस देश की संस्कृति के कारण होती है। भारतवा की संस्कृति आपसी समरसता-भाईचारा और सम्मान की रही है। इस कार्य को जन-जन तक पहुँचाने का काम कवि, लेखक, लोक-

कलाकार व साहित्यकार प्रारम्भ से करते आ रहे हैं। परन्तु केन्द्र व राज्य की सरकार इनकी ओर ध्यान नहीं देते। वे इन्हें सिर्फ प्रशस्ति-पत्र व पुरस्कार तक सीमित कर देते हैं।

आज छत्तीसगढ़ प्रदेश के आम लोक-कलाकार, कवि व लेखकों की माली हालत दयनीय है। कई पद्मश्री, पद्म विभूषण प्राप्त लोक-कलाकार भूखे मर रहे हैं। इलाज के लिए इनके पास पैसे नहीं हैं। राज्य शासन व केन्द्र शासन के पास ऐसे लोगों की सूची भी नहीं है। समाचार-पत्र में जब यह समाचार छपता है कि किसी पद्मश्री, पद्म विभूषण आदि सम्मान प्राप्त व्यक्ति के पास इलाज के लिए पैसे नहीं हैं तो देश का इससे बड़ा अपमान नहीं हो सकता।

अतः मैं सरकार से माँग करता हूँ कि केन्द्र सरकार, राज्य सरकारों के माध्यम से तत्काल निश्चित समय सीमा में सभी प्रकार के लोक-कलाकारों, लेखकों व कवियों को चिन्हांकित कर इनकी सूची बनाए तथा पात्र व्यक्तियों के लिए भोजन, निवास व इलाज की व्यवस्था करें साथ ही साथ इनके लिए पेंशन की व्यवस्था करने की भी कार्रवाई करें। धन्यवाद।

माननीय अध्यक्ष : कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल को श्री ताम्रध्वज साहू जी द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

SHRIMATI PRATIMA MONDAL (JAYANAGAR): Madam Speaker, my father had donated a room of his house to open a post office in his village with the intention to motivate and to encourage the poor villagers towards post office and at the same time to protect them from the private money lenders. Being a public representative of a rural constituency I have seen that most of the rural post offices are running either at the house of the post master or at other villagers' houses.

So, I would like to ask the hon. Minister whether the Ministry has conducted any survey to know the actual number of post offices running in such manner and what steps have been taken in this regard.

श्री ओम बिरला (कोटा) : माननीय अध्यक्ष महोदया, सरकार ने देश को हवाई सेवाओं से जोड़ने के लिए अंतर्राज्यीय हवाई सेवाओं की पॉलिसी बनाई है जिससे निश्चित रूप से पूरे देश को हवाई सेवाओं से जोड़ने का महत्वपूर्ण कार्य होगा।

माननीय अध्यक्ष महोदया, कोटा राजस्थान का महत्वपूर्ण शहर है जहाँ पूरे देश के एक लाख से ज्यादा विद्यार्थी पढ़ते हैं। उद्योग में भी कोटा स्टोन का बहुत बड़ा व्यापार है। मेरा आपके माध्यम से सरकार

से करबद्ध निवेदन है कि अंतर्राज्यीय हवाई सेवा पॉलिसी के अंतर्गत कोटा में हवाई सेवाएँ शुरू की जाएँ। यह कोटा की जनता की महत्वपूर्ण मांग है ताकि हम देश के प्रमुख शहरों से जुड़ सकें।

माननीय अध्यक्ष : कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चंदेल एवं श्री भैरों प्रसाद मिश्र को श्री ओम बिरला द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

SHRI MULLAPPALLY RAMACHANDRAN (VADAKARA): Hon. Speaker Madam, thank you for giving me this opportunity. The State of Kerala is having CGHS clinic and dispensary only in the Capital city of Thiruvananthapuram which is located in the southernmost part of the State. Thousands of Central Government employees are spread across the State and it is impossible for them to reach Thiruvananthapuram to avail of CGHS facilities. The requirement for CGHS facility arises when one is sick, especially in the advanced stage. There is long-pending demand to set up a CGHS clinic in northern part of Kerala that is Malabar region. Time and again, I have taken up the matter with the successive Ministers of Health. Unfortunately, nothing has been done. I request the Government that a CGHS centre be established anywhere in Kozhikode district of Kerala so that seven districts of Kerala are benefitted.

श्री राहुल शेवाले (मुम्बई दक्षिण मध्य) : माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ कि आपने शून्य काल में मुझे बोलने का मौका दिया।

मेरे संसदीय क्षेत्र मुम्बई साउथ सेंट्रल में भाभा एटॉमिक सेंटर स्थित है। सभी सरकारी संस्थाओं में सरकारी सेवा शर्तें लागू होती हैं, परंतु उन सेवा शर्तों का बीएआरसी में ठीक से पालन नहीं किया जाता है। किसी कर्मचारी की अचानक मृत्यु के बाद जब उनके परिवार से अनुकंपा के आधार पर नौकरी के लिए आवेदन किया जाता है तो कई तरह की शर्तें लगाकर उन्हें रिजैक्ट कर दिया जाता है। जैसे दिवंगत कर्मचारी को मिलने वाला पैसा, उनकी संपत्ति या परिवार में कोई नौकरी कर रहा हो, तो उसकी सैलेरी तथा परिवार पेंशन जोड़कर आधार बनाया जाता है और आवेदन को यह कहकर रद्द कर दिया जाता है कि उनको अनुकंपा के आधार पर नौकरी नहीं दी जा सकती। ऐसे बहुत सारे मामलों में प्रभावित लोग मेरे पास आते हैं और प्रार्थना करते हैं कि उन्हें नौकरी मिलनी चाहिए क्योंकि उनके परिवार का ठीक से पालन-पोषण नहीं हो पा रहा है जबकि कार्मिक विभाग के ऑर्डर नं. 14014/02/2102-Estt(D), दिनांक 26.1.16 के पैरा संख्या 11(ए) और 18(सी) में साफ कहा गया है कि परिवार के किसी भी योग्य व्यक्ति को उसी

सरकारी विभाग में नौकरी देनी चाहिए चाहे परिवार का कोई अन्य व्यक्ति नौकरी कर रहा हो। साथ ही परिवार की आमदनी में उन मदों को शामिल नहीं करना चाहिए जो कि दिवंगत कर्मचारी के परिवार को सरकार से ग्रेज्युटी पेंशन व अन्य वेलफेयर स्कीम्स के रूप में मिलते हैं।

अतः मेरा माननीय प्रधान मंत्री से अनुरोध है कि बीएआरसी के ऐसे पेंडिंग पड़े केसेज़ को निपटाने हेतु एक कमेटी गठित की जाए और बीएआरसी के ऐसे दिवंगत या रिटायर्ड कर्मचारियों के परिवार के किसी एक व्यक्ति को बीएआरसी में नौकरी हेतु सिफारिश करके उनके परिवार को रिलीफ दी जाए।

SHRI TATHAGATA SATPATHY (DHENKANAL): Hon. Speaker Madam, I want to draw your attention to a small issue. With the natural food chain getting destroyed because of जंगल नट हो रहे हैं। There are no tigers, no wild animals left. There is a problem that we also face. As a Hindu, I am also saying how our farmers who are very poor and at the lowest level, are not able to take care of cows and buffaloes when the animals are old and are not milching. It is our people, the Hindus only, who sell these off to *kasais*. So, what is happening is that there is a lot of disquiet all over the country. I will give a notice and I would request others to give a notice and I request you to kindly permit some time for a discussion on safety of cows and what can be done as a policy guideline for the whole country. It is the farmer who is suffering the most. When the bullock is not able to do farming, what will the farmer do? ... (*Interruptions*)

HON. SPEAKER: You give the notice. We will think about it.

SHRI TATHAGATA SATPATHY: Thank you.

HON. SPEAKER: I cannot promise it but we must think about it and do something.

... (*Interruptions*)

HON. SPEAKER: Shri Bhairon Prasad Mishra and Kunwar Pushendra Singh Chandel are permitted to associate with the issue raised by Shri Tathagata Satpathy.

मनोज तिवारी जी, आधे मिनट के लिए बोलिए।

श्री मनोज तिवारी (उत्तर पूर्व दिल्ली) : स्पीकर मैडम, बहुत-बहुत धन्यवाद। मैं आपका ध्यान देश के 22 करोड़ लोगों के दर्द की तरफ खींचना चाहता हूँ... (व्यवधान) भोजपुरी एक ऐसी भाषा है, जिसकी फिल्म इंडस्ट्री लगभग चार लाख लोगों को डायरेक्ट काम देती है। लेकिन, संसद में इस आश्वासन के बाद भी कि हम संविधान की आठवीं अनुसूची में आएं, हम अभी तक नहीं आ पाए हैं। जब हमारा विमान गायब होता है तो भी गांव की महिलाएं उसी भाषा में गीत गाकर ईश्वर को मनाती हैं।

हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि अब यह समय आ गया है। यह भाषा देश के बाहर बारह देशों में बोली जाती है। कोई भी भाषा, चाहे वह राजस्थानी हो, भोटी हो, कम से कम देश की भाषा, जो बाहर के देशों में बोली जाती है, उसको संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल करा दें। पूरे 22 करोड़ लोग आपके आभारी रहेंगे।

माननीय अध्यक्ष : श्री गजेन्द्र सिंह शेखावत, श्री शरद त्रिपाठी, श्री भैरों प्रसाद मिश्र और कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल को श्री मनोज तिवारी द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

श्री नागेन्द्र कुमार प्रधान।

SHRI NAGENDRA KUMAR PRADHAN (SAMBALPUR): Thank you.

HON. SPEAKER: You are not to read the whole thing.

SHRI NAGENDRA KUMAR PRADHAN : In the Union Budget 2016-17, the Clean India Cess has been increased from Rs. 200 per tonne to Rs. 400 per tonne. Now, the total amount of money that the Government of India is getting from Odisha through royalty is around Rs. 6,400 crore out of 160 million tonnes of coal. But the Government of India has decided that this money will be spent and kept for clean environment cess. This is earmarked for that purpose. So, Odisha and other States which are getting royalty from coal are not going to get a single paisa. Therefore, I request that this Rs. 6,400 per tonne which is fixed and earned by the Government of India is to be shared with the different States.

HON. SPEAKER: Kunwar Pushpendra Singh Chandel is permitted to associate with the issue raised by Shri Nagendra Kumar Pradhan.

श्री गजेन्द्र सिंह शेखावत (जोधपुर) : माननीय अध्यक्ष महोदया, माननीय प्रधान मंत्री जी ने देश के किसानों के लिए अद्वितीय योजना 'फसल बीमा योजना' लागू की है। उसके लिए जो प्रक्रिया निर्धारित की गयी है, उसके अनुरूप 31 जुलाई उसकी अंतिम तिथि है। राजस्थान और अन्य कई प्रदेशों में इस फसल बीमा

योजना को एडॉप्ट करते-करते जुलाई का महीना आ गया था। कल और परसों के अखबारों में पहली बार यह फसल बीमा योजना अनाउंस हुई है और उसके लिए अंतिम तिथि 31 जुलाई है। ऐसी समस्या बहुत सारे प्रदेशों में आ रही है।

महोदया, माननीय कृषि राज्य मंत्री जी यहां विराजमान हैं, आपके माध्यम से मैं उन से निवेदन करना चाहता हूं कि इस तिथि को 31 जुलाई से आगे एक महीने के लिए बढ़ा दिया जाए क्योंकि अभी मॉनसून भी देरी से चल रहा है और खेती में बुआई नहीं हुई है। इससे किसानों का बहुत भला हो जाएगा।

माननीय अध्यक्ष : कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल, श्री भैरों प्रसाद मिश्र और श्री शरद त्रिपाठी को श्री गजेन्द्र सिंह शेखावत द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

श्री गजानन कीर्तिकर (मुम्बई उत्तर पश्चिम): मैडम, मुम्बई शहर में डेढ़ करोड़ की आबादी है। वहां फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के माध्यम से फूड सप्लाई होता है। वहां पचास वा पुराना एक डिपो है। उस डिपो में 388 परमानेंट वर्कर्स, हम्माल लोग काम करते हैं। उनको ऑल-ऑफ-ए-सडेन ट्रांसफर करके ये सब काम को कॉन्ट्रैक्ट पर देना चाहिए, ऐसा प्रस्ताव वहां के एम.डी. ने रखा है। मैंने पासवान जी से इसके लिए दरखास्त की है। मैं आपके माध्यम से भी प्रार्थना करता हूं कि वहां परमानेंट लोगों को डिस्टर्ब न करें और पूरा काम जो ऑफिशियल लेबर्स हैं, उनके माध्यम से कराना चाहिए। यह मेरी मांग है।

माननीय अध्यक्ष : कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल को श्री गजानन कीर्तिकर द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

The House stands adjourned to meet again at 2.30 p.m.

13.29 hours

*The Lok Sabha then adjourned till Thirty Minutes
past Fourteen of the Clock.*

14.39 hours

The Lok Sabha re-assembled at Thirty-Nine Minutes past Fourteen of the Clock.

(Hon. Deputy Speaker *in the Chair*)

14.39 ½ hours**ANNOUNCEMENT BY THE CHAIR**

HON. DEPUTY SPEAKER: Hon. Members, a request has been made to the hon. Speaker that the Half-An-Hour Discussion included in today's List of Business at Serial No.19 which was to be taken up at 5.30 p.m. today may be postponed to 3rd August, 2016.

Hon. Speaker has acceded to the request. In view of this, the Half-An-Hour Discussion will be taken up on 3rd August, 2016.

HON. DEPUTY SPEAKER: After the discussion on the Railways, we will take up Private Members' Bills and Resolutions. We will take up Private Members Bills and Resolutions at three o'clock and it will go up to six o'clock. As scheduled, the Private Members' Bills and Resolutions will start at 3 o'clock.

Now, we will take up the Government Resolution on Railways.

Railway Minister may kindly move the Motion.

14.40 hours**RESOLUTION RE: APPROVAL OF FIRST REPORT OF RAILWAY
CONVENTION COMMITTEE**

THE MINISTER OF RAILWAYS (SHRI SURESH PRABHU): Sir, I beg to move:

“That this House approves the recommendations contained in Paras 5, 6, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 and 19 of the First Report of Railway Convention Committee (2014), appointed to review the rate of dividend payable by the Railway Undertaking to General Revenues and other ancillary matters, which was presented to both the Houses of Parliament on 22nd December, 2015.”

Mr. Deputy-Speaker, Sir, I thank the hon. Chairperson and the hon. Members of the Railway Convention Committee who have made a recommendation regarding how much dividend the Railways should pay to the Finance Ministry. This is a unanimous recommendation. Normally, on such matters there has never been a discussion. My distinguished predecessor Shri Dinesh Trivedi also will vouch for it that normally it is passed unanimously because this has already been recommended by the Committee. So, I would like to request the hon. Members that with a short discussion, before we take the Private Members' Bills and Resolutions, it can be passed unanimously and take it forward.

Sir, I would just like to make one point. This paying dividend to the Finance Ministry is one area which really needs to be looked into. Why should the Railway pay dividend? This has been a recommendation of the Standing Committee. There have been several unanimous recommendations on this by several Standing Committees that the Railways discharge very useful public functions. They are actually working on public service obligation. The burden on the Railways is as high as Rs. 30000 crore. This year the Railways are even more burdened with an additional burden Rs. 30000 crore on account of the

recommendations of the Pay Commission. There is already a Bonus Act which we passed in this very House and this has put another additional burden because Railways, as an organization, as India's largest employer has to bear the brunt of it. Now, this is a recommendation of the Committee. I respect it. But over a period of time we really need to look into why the Railways which is already suffering due to several other problems also be over-burdened with the responsibility of paying a dividend and also how the main Budget can actually subsidise or take care of the subsidies which are already there. So, I think, we need to look into this issue. I urge upon all the hon. Members of Parliament to allow this Resolution to be passed.

Thank you.

HON. DEPUTY SPEAKER: Motion moved:

“That this House approves the recommendations contained in Paras 5, 6, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 and 19 of the First Report of Railway Convention Committee (2014), appointed to review the rate of dividend payable by the Railway Undertaking to General Revenues and other ancillary matters, which was presented to both the Houses of Parliament on 22nd December, 2015.”

SHRI K.H. MUNIYAPPA (KOLAR): Mr. Deputy-Speaker, Sir, thank you for giving me this opportunity to take part in the discussion. I think, the Railway Committee has unanimously recommended regarding the issue of dividend. But the Railways are running in public interest and for the common people under certain obligations. So, they could not pay the dividend. At the same time, the Finance Ministry is unable to help the common people of this country. More than 2.5 crore people are using the services of the Railways almost everyday. But the Government is not supporting such a huge organization. Ultimately they have said that the Railways have to take all the obligations and risk to run the railways. This is the situation in the Ministry.

In the last two decades, there has been a 10 per cent increase in the number of passengers in the Railways. It has increased from 1.5 crore to 2.5 crore. There are no proper amenities, food and drinking water. But the surprising thing is that the Government is not coming forward to support the Railways. The projects which have been pending for the last two decades, there has been no thinking on this issue by the Government. The new Planning Commission called the NITI Ayog has not at all given any thought to this issue. For two decades the projects are pending and the Members of Parliament are requesting for these projects to be completed and want them to be developed and connected with Rail network. They want them completed. For all these things, they are not able to give the required financial assistance to complete the pending projects.

Coming to the most important area of corridors, North-East and North-South, the award is only for 78 to 80 per cent. In the last four to five years, Japan Government is financing it. Till today, they have not started the work properly. The problem is, Maharashtra Government is not willing for it because it is very difficult to give land. Even for Mumbai-Ahmedabad, the pending bullet train project would cost Rs. 1 lakh crore. The average cost for one kilometre is Rs. 200

crore. In spite of that, the Maharashtra Government and Gujarat Government have come to the conclusion that they have to launch this programme.

The common people of India are using trains. As I told, the number of daily passengers come to 2.4 crore. If a person is to use this train, the cost will be more than ten times. We have unanimously decided, under the Chairmanship of Shri Dinesh Trivedi, for it. What is the total length to be developed to reach the speed of 120 to 150 kilometres? The Board Chairman and its members told the Committee that with at least Rs. 3 to Rs. 4 crores per kilometre, we can complete the whole railway network of 65,000 to 66,000 kilometres. With this cost, we can increase the speed from 80 to 90 kilometres to 110-130-140 kilometres. The total expenditure only for this will be Rs. 3 to Rs. 4 lakhs crores upto a maximum of Rs. 5 lakhs crore.

Of course, we have to appreciate that we have to compete with international countries like China. I agree with this but what is the financial status of India? When you are spending Rs. 1 lakh crore to cover 500 kilometres from Mumbai to Ahmedabad, the total Indian railway network of 65,000 to 66,000 kilometres can be modernised by Rs. 5 lakh crores. This comparison was made. Then the Committee, under the Chairmanship of Shri Dinesh Trivedi, unanimously agreed to give priority for this project instead of bullet trains. It is all right that we are not entering the bullet train project, but at least India is capable to show its merit. But financial crunch is there. You are unable to give financial assistance to the Railways. We are in a bad position. We are not able to run the trains. We are not able to provide amenities and even drinking water.

In such a situation, will this dream be possible, will it be viable in India? I want to know it from the hon. Minister. I think Shri Suresh Prabhu has left. I do not know why he has left the House. Nobody from the Railways is present.

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF RAILWAYS (SHRI RAJEN GOHAIN): I am present here, Sir.

SHRI K.H. MUNIYAPPA: Thank you. Shri Suresh Prabhu was talking high about this issue. We appreciate it. He is very intelligent but there is no money available. What can we do and how to sustain the Railways? We will work together. We are surprised as to how to proceed.

So, the hon. Minister has to reply about the bullet train project. I think Shri Dinesh Trivedi will also participate in this debate.

I mentioned initially about the North-East Corridor. Even after a lapse of four to five years, no work has started. After the lapse of four or five years the award or work is also pending for Eastern Freight Corridor, which is of 222 kms; and Western Freight Corridor, which is of 237 kms. The progress with regard to the Freight Corridors, according to the records, is 30 per cent and 40 per cent and North-East and North-West Corridors respectively.

The Japan Bank have cooperated and supported it and they have entered into an agreement that they should be completed in stipulated time. But they could not complete these projects. This is the situation. I think the hon. Minister should say something as to how he will complete it.

He mentioned that the bullet train will be started by 2023. Even today, even two years after its announcement, neither the Maharashtra Government nor the Gujarat Government has given the land. The preliminary work has not started. But they are claiming that by 2023 the bullet train will start running. All right, we will see whether that comes true. Let the hon. Minister say what exactly they are doing, and how they are going to complete the project.

The total route kilometre is 66,000. The Board has decided that at least Shatabdi trains, Express trains and Mail trains, should start running at 130 or 140 kms. Now, they are running below 100 kms. In this regard, we have discussed and unanimously decided in the Standing Committee to recommend to the Government to take up this issue for which you have to spend Rs. 4 to Rs. 5 lakh crore. Then, the entire scenario of the Indian Railways will be changed and the common people of this country will get the benefit of this one. Now, the passenger

trains are running hardly at 50 kms. The Shatabdi trains are running at 100 kms. The speed of the passenger trains can be increased to 80 kms. and that of the Shatabdi trains to 140 to 150 kms. That is more than enough. If you spend Rs. 4 to Rs. 5 lakh crore on this project, which you plan to spend for running bullet train, the entire country will be benefited. The saving of time, movement of goods, the income, the profit etc. will result in 25 per cent economic growth. This kind of economic growth will take place by spending Rs. 5 lakh crore.

We in the Standing Committee, under the chairmanship of Shri Dinesh Trivedi, have unanimously come to this conclusion.

Another most important area to which I would like to draw the attention of the hon. Minister is with regard to the RoBs and level crossings. Even today more than 10,000 level crossings are pending in this country. Accidents take place due to this. So many casualties have occurred and innocent people have lost their lives.

The earlier Governments, including the NDA Government, led by Shri Vajpayee had given Rs. 30,000 crore to complete this project. This was to be given the top priority. The mandate was to see that the level crossings in this country are completed well in time. That should be the top priority. Even our Government was unable to complete this one. Till today, it is pending. When is the hon. Minister going to complete manning of 10,000 unmanned level crossings? This is one of the most important things rather than the Bullet Train or any new passenger train or any new express train because life is very precious.

The UPA Government had also allocated money for the said projects but we could not complete these projects. That is why, I would like to request the hon. Minister to address the matter of manning unmanned level crossings along with other projects like RoBs and RuBs. All the State Governments would share the cost of these projects. Sir, 50 per cent cost would be borne by the State Governments, and the rest would be borne by the Ministry of Railways. Hence, I would urge upon the hon. Minister to take care of this issue.

About the cost sharing projects, during the time of Shri Dinesh Trivedi and Kumari Mamata Banerjee, myself and Shri Dinesh Trivedi visited the undivided Andhra Pradesh (Telangana), Karnataka, Odisha, Jharkhand and Maharashtra. We entered into MoUs, with the provision of providing free land. In the case of Jharkhand, they have allocated two-third land meant for the project. The same is the case concerning my constituency also. We had 15 projects in Karnataka; we had 15 projects in Andhra Pradesh. Hon. Chief Ministers themselves have declared that they are ready to provide land free of cost, and also agreeing to the cost sharing. We together visited these States; States have agreed. Till today, there is no progress.

The Ministry of Railways should reach out to the States, have detailed discussions about the projects to be taken up. These projects have already been announced in the Railway Budget. These projects should be taken up. I think, the hon. Railway Minister, Shri Suresh Prabhu should visit States. I had already requested him in this regard. He should visit the States; sit with the Chief Ministers. By doing so, the burden of the Railway Ministry would be reduced. States are ready to bear the burden up to 60 per cent and the Railway Ministry has to bear only 40 per cent cost of the projects so that all the projects would get completed. These are the areas where the hon. Minister has to address. These areas are very important. The hon. Minister has announced many schemes concerning maintenance, cleaning, drinking water, etc. in the Budget but nothing has been done practically.

Shri Suresh Prabhu, you were not present in the House when I was raising the issues of manning unmanned level crossings. Special priority should be given to complete the manning of the entire unmanned level crossings in the country. This is all the more important than any other project which you want to execute with your vast knowledge. You are planning to reform the Railways. I think, reformation in Railways starts with manning the unmanned level crossings.

I would also like to request him to visit the States where they are ready to share the cost of the projects; make use of them, and ensure that there is progress in the Railways.

Finally, about the Rail Coach Factory in Kolar, an MoU has been signed by the Ministry of Railways when the hon. Chief Minister of the State was present. Till today, even after the lapse of two years, no progress could be seen. I had already made a request to the hon. Railway Minister to visit the place once; have a detailed discussion; review the said project, and start the work. The Government of Karnataka is ready to provide 50 per cent land for the project. The Ministry of Railways should come forward by visiting the place, discussion between the Railway officials and the State Government officials should take place to start the project. This is one of the most important events where Shri Dinesh Trivedi was present.

15.00hours

The MoU was also signed for this purpose. So, the hon. Minister should take it seriously and start the work.

Sir, passenger traffic is increasing by 10 per cent every year in Railways. The Railways have to be provided enough financial assistance from the Government. Without budgetary support from the Government, the Railways cannot improve the facilities to passengers and it will be difficult for them to even carry out normal maintenance work. Therefore, the Government has to give top priority to Railways and extend all the financial assistance required by them.

With these words, I conclude.

HON. DEPUTY SPEAKER: Now we will take up Private Members' Business.

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF AGRICULTURE AND FARMERS WELFARE AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (SHRI S.S. AHLUWALIA): Mr. Deputy Speaker, Sir, I want to make a submission. We were to take up Private Members' Business at 3 o'clock because earlier, in the List of Business the Half-an-Hour

Discussion was slated at 5.30 p.m. We have deferred it now. So, we can take up Private Members' Business at 3.30 p.m. because as per the Rules, the last 2 ½ hours on the last working day of the week is allotted for Private Members' Business. If we start it now, then by 5.30 p.m. we have to adjourn the House. Now it is up to the House to decide whether to continue this discussion till 3.30 p.m. and then take Private Members' Business or to take up Private Members' Business now and adjourn the House at 5.30 p.m.

HON. DEPUTY SPEAKER: Now, it is for the House to decide. I want to take sense of the House.

SHRI BHARTRUHARI MAHTAB (CUTTACK): Mr. Deputy Speaker, just now we heard a former Minister of State for Railways. We are also going to hear a former Minister of Railways on this Resolution and there is every possibility that some future Minister of Railways will also be speaking. So, let us continue this discussion till 3.30 p.m. and I hope that we can pass this Resolution by 3.30 p.m.

HON. DEPUTY SPEAKER: No, we cannot finish this item by 3.30 p.m. because many Members want to speak on this Resolution. The time allotted for this item is two hours. So, we can continue this discussion till 3.30 p.m. and then continue it on Monday.

SHRI S.S. AHLUWALIA: Sir, we cannot take it up on Monday. We have to take it up on Tuesday because on Monday both the Ministers will not be available here.

HON. DEPUTY SPEAKER: Alright. We can take it up some other day according to their convenience. Therefore, now we will continue this discussion till 3.30 p.m. and then take up Private Members' Business.

श्री गणेश सिंह (सतना) : उपाध्यक्ष महोदय, आज सदन में एक ऐसे संकल्प पर चर्चा हो रही है, जिसको रेलवे की अभिसमय समिति ने अपनी सिफारिशों के साथ दिया है। निश्चित तौर पर जैसा रेल मंत्री जी कह रहे थे, रेलवे को जो लाभांश देने की बात वित्त मंत्रालय में तय हुई है, इसकी क्या जरूरत है क्योंकि रेलवे एक ऐसा विभाग है, जो सचमुच लोक महत्व का काम कर रहा है और देश को एक सूत्र में जोड़ने का भी काम कर रहा है। रेलवे के कई ऐसे क्षेत्र हैं, जिनमें रेलवे को कोई आमदनी नहीं होती, बल्कि रेलवे की बड़ी धनराशि खर्च होती है। रेलवे में जितनी भी परियोजनाएं हैं, उनमें पांच लाख करोड़ रुपये से ज्यादा की जरूरत है। ऐसी स्थिति में रेलवे को लाभांश देने के बजाय, ज्यादा वित्तीय सपोर्ट मिलने की जरूरत है। एक रुपये कमाने के लिए रेलवे को 97 पैसे खर्च करने पड़ते हैं। आज रेलवे की यह स्थिति है। सामान्य राजस्व एवं अन्य आनुषांगिक मामलों पर रेल उपक्रम द्वारा देय लाभांश, जिसे संसद की दोनों सभाओं में 22 दिसम्बर, 2015 को प्रस्तुत किया गया था, की समीक्षा के लिए नियुक्त रेल अभिसमय समिति, 2014 के पहले प्रतिवेदन के पैराग्राफ्स 5, 6, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 और 19 में अंतर्विष्ट सिफारिशों के अनुमोदन प्राप्त करने संबंधी संकल्प पर अपनी सिफारिश की है। उन्होंने भी इस बात को पाया है कि रेलवे को और अतिरिक्त सहायता की जरूरत है। हमारे प्रधान मंत्री जी ने खुद कहा है कि देश में रेलवे को सदैव परिवहन का मात्र साधन माना गया है। हम रेलवे को देश के विकास में रीढ़ की हड्डी के रूप में देखना चाहते हैं और वाकई में रेलवे के विकास से देश का विकास बढ़ेगा। इसी वजह से श्री सुरेश प्रभु जी जब यहां पर रेल मंत्री के रूप में आए तब उन्होंने एक पूंजी खर्च करके इस महत्वाकांक्षी योजना को प्रारम्भ किया है जिसकी लागत लगभग 8.56 लाख करोड़ है, जो वर्ष 2015 से लेकर वर्ष 2020 के मध्य खर्च होगी। इसमें जो उनको वित्तीय सहायता की जरूरत पड़ेगी, वह लगभग 2.56 लाख करोड़ रुपये की है।

मुझे खुशी है कि हमारे वित्त मंत्रालय ने इस वर्ष अब तक 40000 करोड़ रुपये से ज्यादा की सहायता इस काम के लिए दी भी है। मैं बताना चाहता हूँ कि दुनिया के अंदर हमारे देश का ही सबसे बड़ा रेलवे नेटवर्क है। देश में करीब 65000 कि.मी. रेलवे लाइनें हैं, 8000 से अधिक रेलवे स्टेशंस हैं। 2.5 करोड़ यात्री हर रोज यात्रा कर रहे हैं। लगभग 19000 यात्री गाड़ियां चल रही हैं। 7721 माल गाड़ियां हैं जिनमें 3 मिलियन माल रोज ढुलाई होता है। 14 लाख कर्मचारी काम कर रहे हैं। इन कर्मचारियों के जो वेतन, भत्ते और अन्य सुविधाएं हैं, उन सबका बोझ कहीं न कहीं रेलवे को उठाना पड़ता है। अभी 6ठा वेतन आयोग का जो बोझ रेलवे पर पड़ा था, उससे ही रेलवे उबर नहीं पाई। अब 7वें वेतन आयोग की भी सिफारिशें जो स्वीकार की गई हैं, उनके चलते भी रेलवे को एक लम्बे नुकसान की ओर जाना पड़ेगा। रेलवे

ने कई ऐसे क्षेत्रों में जैसे-सामरिक क्षेत्र, सीमावर्ती इलाकों में रेलवे ने अपना नेटवर्क देश के हित में फैलाया है।

अब सेना के क्षेत्र में जो रेलवे लाइनें गई हैं जहां पर सैन्य सामान्य पहुंचाया जाता है, वहां से रेलवे को कुछ आमदनी नहीं होती है और उसमें यदि हम कहें कि लाभांश में पैसा दिया जाए तो रेलवे कहां से लाकर देगी? इसलिए ऐसी स्थिति में, जैसे यात्रियों की सुविधाओं का मामला है, यात्री किराया नहीं बढ़ा, माल भाड़े में भी वृद्धि नहीं हुई, ऐसी स्थिति में रेलवे अपने खर्च को जोड़े तो वह पूरी तरह से घाटे में है। मैं मानता हूं कि रेल मंत्री जी जब कहते हैं कि हमें लाभांश न देना पड़े, यह बात कहीं न कहीं ठीक लगती है और इस पर संसद को गंभीरता से विचार करने की जरूरत है।

मैं वर्ष 2011-12, 2012-13, 2013-14 और 2014-15 में सामरिक लाइनों और राष्ट्रीय परियोजनाओं पर जो प्रचालनक खर्च आता है, उसके अनुपात में पैसा वित्त मंत्रालय से नहीं मिला। वित्त मंत्रालय ने उसके एवज में 652 करोड़, 637 करोड़ और 640 करोड़ रुपये की धनराशि की प्रतिपूर्ति की थी, जिसको समिति ने भी माना है कि यह बहुत कम है। रेलवे को और सहायता की जरूरत है। इसी तरह से जो राष्ट्रीय कोरीडोर बनाया गया था, वह सामरिक कोरीडोर था लेकिन उसको वाणिज्यिक यानी राष्ट्रीय परियोजना के रूप में दे दिया गया, जैसे उधमपुर-श्रीनगर-बारामूला लाइन में रेलवे को कुछ भी आमदनी नहीं हो रही है, लेकिन राष्ट्रीय परियोजना में शामिल करके इस मार्ग को खोल दिया गया। रेलवे का जो पैसा लगा है, रेलवे को जो आमदनी होनी चाहिए, वह नहीं हो पा रही है। इसी स्थिति में जो हानि रेलवे उठा रहा है, समिति ने इस बात को गंभीरता से कहा है कि इसमें रेलवे को अतिरिक्त वित्तीय सहायता मिलनी चाहिए। इसी तरह से जो सामाजिक बाध्यतायें हैं, जिनका जिक्र अभी रेल मंत्री जी कर रहे थे, लगभग 30,000 करोड़ रुपये की राशि रेलवे को देना पड़ता है। प्रचालन में भी लगभग 90 प्रतिशत का जो खर्च है, उसको देखने के बाद लगता है कि रेलवे को सचमुच और सहायता मिले। समिति ने भी इस बात को माना है।

जिस तरह से सार्वजनिक सेवा ज्यादा परिणात्मक और गुणात्मक सटीकता लाने के लिए जिस तरह से अंतरमंत्रालयीन समिति बनती हैं, उसी तरह से एक स्वतंत्र निकाय रेलवे को भी बनाने की जरूरत है। समय-समय पर इस तरह के जो खर्च हैं और जिसमें उनको और सहायता की जरूरत है, उसका सही मूल्यांकन करके प्रस्तुत करे। मैं मानता हूं कि इसकी भी जरूरत है।

वित्त मंत्रालय ने सुझाव दिया था कि 14वें वित्त आयोग की सिफारिशों के जरिये रेलवे को राज्य विशिष्ट परियोजनाओं हेतु वित्त पोषण के संभावित स्रोत के रूप में राज्यों से अपेक्षा करनी चाहिए। यह बात

रेलवे ने भी मानी है कि हम लोगों ने राज्यों के सामने प्रस्ताव किया है और कई राज्यों ने उसमें सहयोग भी देने की बात की है, लेकिन उसका अंशदान रेलवे को अपनी धन राशि से देना पड़ेगा, उसकी भी रेलवे के पास पर्याप्त व्यवस्था नहीं है। हालांकि यह बात सही है कि पहले केन्द्र सरकार द्वारा करों में से राज्यों को 32 प्रतिशत हिस्सा मिलता था, उसे बढ़ा कर 42 प्रतिशत कर दिया गया है। इससे निश्चित तौर पर राज्यों की आय बढ़ी है और राज्यों को ऐसी परियोजनाओं के लिए, जो राज्य हित में है, लोक हित में है, उनमें उनको हिस्सेदारी करनी चाहिए। इस दिशा में समिति ने अपनी सिफारिश की है कि इस पर निश्चित तौर विचार होना चाहिए।

रेलवे की समग्र वित्तीय स्थिति तथा आधुनिकीकरण एवं सुरक्षा संबंधी कार्य सहित, रेलवे के आधारभूत ढांचे को तत्काल विकसित करने की जरूरत है और वर्ष 2014-15 के लिए लाभांश की जो दर पांच प्रतिशत तथा वर्ष 2015-16 हेतु सातवे वेतन आयोग के आसन्न प्रभाव को देखते हुए, सामान्य राजस्व से रेलवे में निवेश की गई समूची पूंजी पर लाभांश दर चार प्रतिशत निर्धारित की जानी चाहिए, ऐसा समिति का मानना है। मैं मानता हूँ कि इस पर सदन की पूरी सहमति होनी चाहिए। निवेश का वाँ कुछ भी हो, इसमें यह राशि भी शामिल होनी चाहिए, जिससे राज्य सरकारें रेलवे की सुरक्षा में योगदान दे सकें।

आर्थिक संसाधन सृजित करने के लिए प्रणाली की क्षमता में अनुरूप, मूलरूप, आरक्षित निधि, डी.आर.एफ. में योगदान करने की अनुमति दी जानी चाहिए, ऐसा समिति ने माना है और मैं समझता हूँ कि इसकी जरूरत है। पेंशनभोगियों की संख्या, महंगाई भत्ते की राहत दर इत्यादि में वृद्धि के विशेष संदर्भ में रेलवे द्वारा अनुमानों में दी गई आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए, पेंशन निधि में योगदान दिया जाये। अब बहुत बड़ी मात्रा में रेलवे को कर्मचारियों को पेंशन का भुगतान करना पड़ता है, लेकिन उसके अनुपात में उसके पास आमदनी नहीं है। आखिरकार, वित्त मंत्रालय की यह जिम्मेदारी बनती है कि जिस तरह से अन्य विभागों के कर्मचारियों की देय का भुगतान वित्त मंत्रालय करता है, उसी तरह से रेलवे के कर्मचारियों के लिए भी अतिरिक्त धन राशि उपलब्ध कराई जानी चाहिए।

समिति ने यह भी कहा है कि पूंजीगत निधि को रेलवे के आधारभूत ढांचे के निर्माण हेतु किया जाये। वर्ष 2014-2015 में पूंजीगत निधि के लिए बजट, विनियोजन 5662.74 करोड़ रुपये था। वर्ष 2014-15 हेतु संशोधित अनुमान में उक्त को संशोधित अनुमान स्तर बढ़ा कर 5919.3 करोड़ रुपये कर दिया गया। वर्ष 2015-16 में पूंजीगत निधि का विनियोजन 7,615.71 करोड़ रुपये अनुमानित है। इसमें सुझाव है कि योजनागत परिव्यय और समग्र संसाधन उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए, इसका आवंटन होना चाहिए, ताकि रेलवे अपने अन्य कार्य को विधिवत सुचारू रूप से चला सके।

अभी मुनियप्पा जी भी कह रहे थे कि लगभग दस हजार से ज्यादा ऐसे रेलवे फाटक हैं, जिन्हें बंद करना जरूरी है। वहां रोज़ दुर्घटनाएं हो रही है और उसके लिए जिन संसाधनों की जरूरत, वह संसाधन रेलवे अपने आप नहीं जुटा सकता है।

15.15 hours (Shri Anandrao Adsul *in the Chair.*)

ऐसी स्थिति में ब्रिजेज बनाने के लिए उन्हें अतिरिक्त धनराशि देनी चाहिए। चूंकि यह मामला आम आदमी की सुरक्षा से जुड़ा मामला है इसलिए आवश्यकता है कि रेलवे को मदद मिले। मेरा एक सुझाव है कि विकास निधि में शो पर ब्याज की दर विकास कार्य हेतु सामान्य राजस्व ऋण पर ब्याज की दर के सामान होनी चाहिए और रेलवे संरक्षा निधि में शेष राशियों को ब्याज रहित किया जाना चाहिए। चूंकि इस निधि को सामान्य राजस्व से अंशदान द्वारा बनाया गया है। इसे भी समिति ने स्वीकार किया है और यह मेरी भी मांग है। इसके अलावा रेलवे ने जिस तेज गति से वर्तमान में पिछले दो सालों से विकास किया है, मैं समझता हूं कि इतना विकास पहले नहीं हुआ है। आज रेलवे का जो विज़न है, क्योंकि आज में देखने को मिल रहा है कि रेलवे में कुछ न कुछ सुधार के काम चल रहे हैं।

अभी मुनियप्पा साहब कह रहे थे कि बुलेट ट्रेन की क्या आवश्यकता है। मैं कहना चाहता हूं कि बुलेट ट्रेन इसलिए जरूरी है कि क्या भारत दुनिया के मुकाबले में खड़ा नहीं होना चाहता है? क्या इस देश के यात्रियों को इस तरह की सुविधाओं की जरूरत नहीं है? यू.पी.ए. की सरकार में इस तरह की सोच तो नहीं बन पाई, लेकिन हमारी एन.डी.ए. की सरकार, हमारे प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी ने अगर इस तरह का सपना देखा है तो इस सपने को पूरा होना चाहिए।

हम लोग हमेशा सदन में चर्चा करते थे कि राष्ट्रीय राजमार्ग से जो रेलवे गुजरती है, वहां ब्रिज नहीं है। इसके लिए रेलवे हमेशा कहता था कि हमारे पास धन नहीं है। मैं अपने प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूं, जिन्होंने सेतु भारतम् के नाम से देश के सभी उन राष्ट्रीय राजमार्गों पर, जहां रेलवे को ब्रिज बनाना जरूरी था, उसके लिए 50 हजार करोड़ रुपए की धनराशि उन्होंने सैंक्शन की है और इससे रेलवे की बहुत बड़ी जरूरत पूरी हुई है। आज रेलवे के स्टेशनों में पहले से ज्यादा सुविधा बढ़ी है। यात्रियों को भी अच्छी सुविधाएं मिल रही हैं। साफ-सफाई की व्यवस्था पहले से बेहतर हुई है। रेलवे की खान-पान की व्यवस्था में भी बहुत सुधार हुआ है। मैं मानता हूं कि रेलवे को और ज्यादा वित्तीय सहायता की जरूरत है, कई प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, उन सभी प्रोजेक्ट्स में जितनी भी धनराशि खर्च हो रही है, मैं समझता हूं कि वह देश के विकास में बहुत लाभकारी होगी और वित्त मंत्रालय को लाभांश लेने की बजाय और वित्तीय सपोर्ट रेलवे को देना चाहिए, ऐसा मैं सदन के माध्यम से सरकार से मांग करता हूं और जो संकल्प आया है, उसका मैं पूरी तरह से समर्थन करता हूं।

*SHRI K. ASHOK KUMAR (KRISHNAGIRI) : Hon. Chairman Sir, Vanakkam. Thank you for this opportunity. I am very much grateful to Hon. Chief Minister of Tamil Nadu Dr. Puratchithalaivi Amma for this opportunity to take part in the discussion on the Report of the Railway Convention Committee for the years 2014-15 and 2015-16.

Sir, Railways are the backbone of our country leading to leading to overall development. It is very much necessary for passenger and freight traffic. Railways cater to different sections of people including poor, middle class, labourers, senior citizens, women and students. It will not be an exaggeration if I say Railways remain as a boon benefitting every citizen of this country.

The Railway Convention Committee came into existence in the year 1949. And since 1954 we have had one Railway Convention Committee in every Lok Sabha. The primary work of this Committee is to fix the rate of dividend to be paid by Railways to the Union Government. During the years 2007-08 and 2008-09, the rate of dividend was 7 per cent. During the years 2009-10 and 2010-11, it was reduced to 6 per cent. And in the year 2011-12 it got reduced by another 1 per cent and was fixed at 5 per cent. Further being reduced by 1 per cent, the rate of dividend was fixed at 4 per cent for the year 2012-13. But in the year 2013-14, it got increased by 1 per cent to become 5 per cent. It is now recommended by the Railway Convention Committee to fix the rate of dividend as 5 per cent and 4 per cent for the years 2014-15 and 2015-16, respectively.

During the year 1950-51, the investment made by the Union Government in Railways was to the tune of Rs. 827 Crore. During the year 2014-15 the same had increased to Rs. 1,98,009.84Crore and for the current year it is at Rs. 2,35,328.79 Crore. At the same time, the dividend amount was less than Rs.100 Crore during 1964. But it got increased manifold to reach Rs. 8,008 Crore during the year 2013-14. For the years 2014-15 and 2015-16, the dividend amount was Rs. 9174 Crore and Rs. 10,811 Crore respectively.

* English translation of the speech originally delivered in Tamil.

The Ministry of Railways, which is under the administrative control of the Union Government, should have a robust financial health with sufficient financial resources. At the same time, Railways generate more revenue to the Union Government by carrying passenger and freight traffic. Railways should never be seen as a commercial undertaking as it serves so many social and public service obligations.

During the year 2015-16, Railways would pay to IRFC in 2015-16, an amount of 8,500 Crore as interest component for lease charges. More over the Railways need to bear the additional burden due to the implementation of the recommendations of the Seventh Pay Commission. The Railways do not fix the fuel price. Similarly, a major portion of the revenues is spent on Ordinary Working Expenses, Salary and pension liabilities, Safety related work, etc. besides liabilities on health and education. Railways also provide concessions to 53 categories of people thereby sharing the burden of the Union Government. The dividend to be paid to the Union Government by Railways, if deferred, could be used for various developmental work including laying of new lines and construction of buildings. It would be therefore difficult on the part of Railways to pay dividend in high percentage.

Railways play a major role in leading to nation's development protecting the interests of the people. Both the Railways and Finance ministries should act in unison as the two eyes of our body. Only then there would be clarity on our vision on development.

An investment plan of Railways for the years 2015-2019, has been chalked out which envisages an investment of about Rs. 8.56 lakh Crore over next five years. The target is to increase daily passenger carrying capacity from 21 million to 30 million; increase track length by 20% from 1,14,000 km to 1,38,000 km; grow our annual freight carrying capacity from 1 billion to 1.5 billion tonnes. There are set targets for next five years, for commissioning of new lines for 4,000

kms, doubling of 7653 kms; broad gauge conversion of 5,500 kms; and electrification of 6500 kms of railways lines.

An amount of Rs. 5.19 lakh Crore has been approved by Union Government under the twelfth five year Plan. Out of which an amount of Rs. 1.94 lakh Crore is to be financed from Gross Budgetary Support, Rs. 1.05 lakh Crore from Internal Generation and 2.20 lakh Crore from Extra Budgetary Resources. It is targeted to garner an investment of 1lakh Cr. through Public Private Partnership (PPP).

Railways have provided an amount of Rs. 3,555 Crore to Konkan Railway Corporation Limited. Out of which Rs. 2,755 Cr. was borrowed from the market on the strength of letter of comfort issued by Ministry of Railways. Konkan Railway Corporation Limited has been able to generate revenue sufficient only to cover its operating expenses, which is inadequate to service interest and debt liabilities. Hence Ministry of Railways had to extend support to KRCL by way of loans. The Kolkata Metro Rail Corporation got, in the year 2008- 09, a sanction of Rs. 4875 Crore which was shared between Ministry of Railways (74%) and Ministry of Urban Development (26%). Kolkata Metro Railway, commissioned during the year 1984, even after more than 30 years of expansion and operations, is yet finding difficulty to earn more revenues.

Railways have been making up the gap in its capital investment requirement by resorting to market borrowings through Indian Railway Finance Corporation. In the year 2015-16, borrowing is fixed at 17,276 Crores. Out of which, Railways would pay to Indian Railway Finance Corporation, in the year 2015-16, an amount of 8,500 Cr. as interest component and Rs. 6,293 Crore as principal component. Railways constitute more than 40 per cent of the Union Government workforce. After the implementation of recommendations of Sixth Pay Commission, the expenses due to salary, insurance and pension liabilities had considerably increased. This will further increase due to the financial impact of recommendations of the Seventh Central Pay Commission. This would drastically

reduce the fiscal space of Railways and there would not be any excess money left with the Railways for sharing as dividend with the Union Government.

It is therefore urged to reduce the rate of dividend and to fix it at 4 per cent for the years 2014-15 and 2015-16. Moreover the operating losses incurred on the national projects as well as other projects are quite substantial which are being borne by the railways. All National Projects and Projects of National Importance including identified strategic and border area projects may be declared dividend free or eligible for subsidy relief on dividend liability.

The Dedicated Freight Corridors should be considered at par with new lines for relief in dividend payment. And I urge that all special or exclusive coaches provided in trains for physically handicapped and women may be added to list of assets exempt from dividend. Moreover, the dividend should not be computed on the taxation amount of a project cost and Ministry of Finance should reimburse the GRP cost to Railways.

The total support expected to be given to Railways in 2015–16 from Budget will be of the order of Rs.51,000Crore. This includes Rs.40,000 Crore through Gross Budgetary Support and Rs.11,000 Crore revenue foregone for the public service obligations of Railways. Clearly, any decision to reduce the rate of dividend will increase the Budget support to Railways through enhanced revenue foregone. If it earns profit in excess after meeting all expenses, it would help Railways in paying dividend to the Union Government. Indian Railways have to still extend its services in several parts of the country which may require additional financial support leading for its growth and development.

Hon. Chief Minister of Tamil Nadu Dr. Puratchithalaivi Amma has requested for speedy implementation of all the pending Railway projects in Tamil Nadu. I urge upon the Union Government to immediately ensure completion of all these pending Railway projects pertaining to Tamil Nadu.

Sir, in my Krishnagiri Parliamentary constituency, there is no railway line connecting Krishnagiri town. There was a railway line functioning via Krishnagiri

during the days of British Rule in India. I therefore urge that a new railway line be laid between Jolarpettai and Hosur *via* Krishnagiri which is a long pending demand of the people of my Constituency. I therefore urge upon the Minister for Railways to immediately consider the proposal of laying a new railway line between Jolarpettai and Hosur via Krishnagiri. Thank you.

15.30 hours**MOTION RE: 22nd to 24th REPORTS OF COMMITTEE ON PRIVATE MEMBERS' BILLS AND RESOLUTIONS**

HON. CHAIRPERSON: We shall now take up Item No. 14 – Shri Rattan Lal Kataria.

SHRI RATTAN LAL KATARIA (AMBALA): I beg to move:

“That this House do agree with the Twenty-second, Twenty-third and Twenty-fourth Reports of the Committee on Private Members’ Bills and Resolutions presented to the House on the 11th May, 20th and 27th July, 2016, respectively.”

Hon. Chairperson: The Question is:

“That this House do agree with the Twenty-second, Twenty-third and Twenty-fourth Reports of the Committee on Private Members’ Bills and Resolutions presented to the House on the 11th May, 20th and 27th July, 2016, respectively.”

The motion is adopted.

15.31 hours**PRIVATE MEMBERS' RESOLUTION****Steps to ensure welfare of Employees Provident Fund Pensioners ...Contd**

PROF. SAUGATA ROY (DUM DUM): Sir, I rise to support the Resolution on the Employees Provident Fund moved by Shri N. K. Premachandran. Shri Premachandran is a noted trade unionist from Kerala working in the cashew, coir and other big industries of Kerala. He has brought this Resolution after much consideration and deliberation for which I sincerely thank him.

The Employees Provident Fund Scheme, as you know, Sir, was introduced in 1951 and another scheme, the Employees Pension Scheme, was introduced in 1995. We are also connected with the trade unions. The contribution from the employer is 12 per cent and the same percentage of amount is contributed by an employee. Out of the employer contribution of 12 per cent, 8.33 per cent goes to the pension fund and 1.16 per cent comes from the Government of India to the Employees' Pension Fund. Up to now the Employees' Pension fund has a corpus of Rs.2,38,531 crore. This is a very big amount, which is there.

Shri Premachandran brings out a few defects in the Employees' Pension Scheme in a very proper manner. I suppose the hon. Labour Minister must be listening to it. First, our demand is that from 1971 the Government's contribution has remained the same at 1.16 per cent. The contribution of the Government of India must increase.

I agree that the organised workers, who will enjoy the benefits of Provident Fund, are relatively small compared to the unorganised workers. We also know that in many States they have introduced through State Governments some pension or some provident fund schemes for the unorganised workers. But as far as the organised workers are concerned, the EPF remains their main support.

Shri Premachandran also pointed out that after much difficulty the Government of India has introduced the minimum pension as Rs.1000. I thank the Government of India because Rs.1000 per month per pensioner is a good thing. Before that, it was Rs.300 or Rs.400 etc. There is a formula for calculating pension. It is: 'Pensionable Salary x Pensionable Service / 70'. That is the amount of pension. Formally, in many cases, it fell below Rs. 1,000. Now, pension of at least Rs. 1,000 has been ensured. Mr. Premachandran has made a demand that this minimum pension should be increased to Rs. 3,000. I fully support his demand of making the minimum pension Rs. 3,000.

Now, some big points are there. Formally, there is a provision for commutation from pension fund under which I could take certain amount of money from my pension fund and that would be deducted from the monthly pension payable. Now, even after the commuted amount is paid off by the worker from his pension, this will continue after his death. I think, this formula should be changed. People should be given the benefit of paying off their commutation amount and then enjoy the full amount of their pension.

The other thing is called the return of capital and that is to be restored. Earlier, the amount of pension was based on last 12 months' salary. Now, it is based on 60 months' salary. This reduces the amount of pension. We want the former system of computing pension based on last 12 months' salary to be restored in the interest of the working class.

Sir, you will realize that the pension of pensioners in the Government of India increases with the cost of living index. Also, at the time of every Pay Commission, they are receiving better pension benefits. Nobody should grudge that and they should get it. I would like that this pension amount should also be linked to the cost of living index. I would like to remind that in the year 1995, when Shri Sangma was the Labour Minister, he introduced this pension scheme. He had promised that this pension scheme would be revised after every ten years,

but it is 20 years now and there has been no revision of the pension scheme for the workers.

Now, the Labour Ministry of Government of India has the ESI Scheme. At present, if a worker retires and goes on EPF pension, he gets no medical benefit. I demand that the pensioners of Provident Fund under EPF Pension Scheme should also be entitled to ESI benefits.

Now, I come to the main important questions or controversies regarding the pension scheme of today. I find that the Labour Minister is absolutely helpless in the face of more powerful Finance Minister. Why? Rs. 27,000 crore is the unclaimed amount as far as pension is concerned. Why is this unclaimed amount there? According to rules, pension- EPF savings become inoperative when there is no fresh credit into the account for 36 months. Such deposits remaining unclaimed for over seven years, there is a proposal to divert it to Senior Citizens' Welfare Fund. Now, we are totally against that. Whatever amount is received from the workers, that amount should be spent for their medical benefit and on them. Do you agree, Mr. Premachandran?

SHRI N.K. PREMACHANDRAN (KOLLAM): Absolutely.

PROF. SAUGATA ROY : It is very good that you have set up a Senior Citizens' Welfare Fund. The Government has many sources of revenue, but they are targeting that unclaimed amount lying in the Employees' Provident Fund Organization and they are trying to divert these deposits. Now, according to law, it cannot be done. So, what did the Finance Minister do? He has brought the Finance Act of 2016, which was passed by the Parliament, and inserted an overriding provision that authorizes transfers from EPF account and making provisions in other laws ineffective. One branch of the Government is making the existing law inoperative.

You will be happy to know that all sections of working class have protested against this. The Bharatiya Mazdoor Sangh General Secretary, Shri Virjesh Upadhyay has said: "The Government has no right to encroach on workers'

money. We welcome the move to set up a Welfare Fund for Senior Citizens created out of budget and not from Provident Fund savings of employees.” Who says this? It is the General Secretary of Bharatiya Mazdoor Sangh.

Not only that, the other Central Trade Unions walked out of the meeting held on July 26 protesting against the agenda item informing the Board of the Government’s move. Now, AITUC General Secretary, Shri D.L. Sachdev said: “Even the provisions of the Finance Act or any other rule of law cannot take away the fundamental rights. Workers have the right to claim their deposits at any point of time.” This was said by AITUC General Secretary, Shri D.L. Sachdev. So, what the Finance Minister has done is against the wishes of the organized Trade Unions in this country. Hence, this move is totally anti-labour.

Shri Bandaru Dattatreya, the present Labour Minister, was a child worker in Hyderabad. Then, he was involved in trade union activities in the Allwyn Factory. Though age made him less sharp, he should protest publicly against this move of the Finance Ministry.

Sir, lastly, I want to emphasize that this Scheme has been so good and, over the years, the total corpus of the Employees Provident Fund has reached up to Rs. 9 lakh crore. It is a huge collection. Now, the Government is always looking for ways where they can get money from. They are setting their eyes on this. What we want is that total security has to be ensured. That is why, this money should be put in Government Bonds, Securities and, at most, in the public sector. There is a strong pressure from the corporate lobby and sections of the Government that you should invest a part of this in the share market with all the attendant risks. I am totally opposed to putting workers’ money in share market and stock exchanges. The benefits that workers have received after so many years of service should not be taken away from them.

It is true that in our country social security is not available for most of the people. This is most unfortunate thing that most of the people have no regular income. There are so many workers in the unorganized sector. There are a large

number of construction workers; those who move from place to place. There are small shop workers. In our State, we know there is a special scheme of provident fund for unorganized workers. There is also a special scheme of provident fund for construction workers. But this Employee's Provident Fund Scheme is a Central scheme.

Normally, the Employees Provident Fund Organization is headed by a senior IAS officer and the Government of India started thinking that this money collected with the Employees Provident Fund Organization is their own money. I would urge the hon. Minister Shri Bandaru Dattatreya, who is from Secunderabad, to take into consideration the workers' worries regarding commutation, return of capital, our demand for minimum pension of Rs. 3,000, our demand for reviewing the Employees' Pension Scheme, our demand for increasing the Government of India's share, our demand for ESI medical benefits and our demand for minimum Rs. 3,000 pension under the EPF scheme.

I hope that I have been able to put across the main intention of the mover of the Resolution Shri Premachandran. The hon. Minister Shri Bandaru Dattatreya is supposed to reply to this debate today. I hope that he will respond to some of the people.

Lastly, I would say that these are days when corporates are gaining upper hand. Ever since liberalization started in this country, workers are going with their backs to the wall. मजदूर श्रेणी के जो लोग हैं, वे रोज मार खा रहे हैं। लिब्रलाइजेशन, मॉडर्नाइजेशन के नाम पर कंपनियां बंद होती जा रही हैं। इसमें मजदूरों के रोजगार छीने जाते हैं। उनके लिए यह प्रोवीडेंट फण्ड स्कीम एक ही दीया है। इसे हम किसी भी तरह से बुझने नहीं देंगे। सारे देश के संगठित श्रमिक यह चाहते हैं कि इम्प्लॉइज़ प्रोवीडेंट फण्ड स्कीम को और मज़बूत बनाया जाए और इसमें जो क्रमज़ोरी है, इसे दूर किया जाए।

इसी बात के साथ मैं एन. के. प्रेमचन्द्रन साहब को बधाई देता हूँ और उनके पूरे प्रस्ताव का हार्दिक समर्थन करता हूँ। जय हिन्द।

HON. CHAIRPERSON: Hon. Members, I am to inform the House that the time of two hours allotted for the discussion on the Resolution is almost over. As there are five more Members to take part in the discussion, we have to extend the time for further discussion on the Resolution. If the House agrees, the time for discussion on the Resolution may be extended by one hour.

SEVERAL MEMBERS: We agree.

HON. CHAIRPERSON: Thank you. The time for this Resolution is extended by one hour.

श्री रमेश बिधूड़ी (दक्षिण दिल्ली) : सभापति महोदय, प्रेमचन्द्रन जी के द्वारा यह रिजॉल्यूशन, जो कर्मचारियों के भविष्य निधि के मद्देनज़र है और उनकी चिंता करने के लिए लाया गया है, मैं उनके इस रिजॉल्यूशन का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूँ। सरकार को मजदूरों के बारे में जो चिंता करनी चाहिए थी, सरकार ने वह की है। लेकिन, इसके बावजूद भी कुछ कर्मचारियों को ऐसा लगता है कि शायद उनका ज़मा किया हुआ पैसा सरकार के खाते में, जो करोड़ों में पड़ा हुआ है, सौगत राय जी भी पिछली सरकार में मंत्री रहे हैं, तो इसके बारे में कभी किसी ने सोचा भी नहीं, इसीलिए यह पड़ा हुआ है।

हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने लेबर क्लास के लिए, मजदूरों के लिए जो कदम उठाए हैं, वे लेबर क्लास के हित में उठाए गए हैं। माननीय श्रम मंत्री बंडारू जी के संपर्क में बराबर बने रहने के कारण से, जो उनको इस बात को बताते भी रहे हैं। साठ साल के इतिहास में देश में शासन करने वाले एक विशेष परिवार के लोग और एक पार्टी राज करती रही। ... (व्यवधान) सौगत राय जी, उसमें करेक्शन यह है कि एक जन-धन योजना लागू की गई। वह जन-धन योजना अगर लागू की गई है तो वही मजदूर वर्ग, जिसकी न सरकारी नौकरी है, न उसके घर में आमदनी है, वह कंस्ट्रक्शन में काम करता है, रिक्शा चलाता है, मजदूर है, कहीं भट्टे में काम करता है, सब्जी की दुकान लगाता है, उनकी साठ साल में कोई चिंता ही नहीं की गई थी और ठेकेदारी ली जाती रही कि गरीबों के हितैषी कोई हैं, तो केवल वही हैं, कोई और साठ साल में हितैषी है ही नहीं। गरीब बेचारा यह सोचता रहा, जब वे शासन कर रहे थे, तब उनको चाहिए था नौ, मिल गया एक, उनको लगा कि अगर नौ की जगह एक भी मिल गया, तो यह भी बहुत है। अगर यह भी न देते तो हम इनका क्या बिगाड़ लेते? वे बेचारे इस मानसिकता से ग्रस्त होकर सोचते रहे। लेकिन उनके बारे में इस जन-धन योजना के माध्यम से सोचा गया है। गरीब आदमी, मजदूर वर्ग, जिसको बैंकों की सीढ़ी पर चढ़ने ही दिया जाता था, बैंक उनके दर पर कैंप लगाकर पहुंचाये गए। उनसे कहा गया कि आप अपने पचास रुपए, सौ रुपए, दो सौ रुपए जो भी जमा हों, वे बैंक में डालिए। ये राष्ट्रीयकृत बैंक आपके लिए खोले गए हैं। वे डालेंगे और लगातार उस खाते को कंटीन्युअसली 6 महीने तक लगातार चालू रखेंगे तो उस मजदूर को किसी साहूकार के दरवाजे पर दस रुपए, बीस रुपए सैकड़े के लिए नहीं भागना पड़ेगा। बैंक उसे पांच हजार रुपए तक का कर्ज देगा, जिसको अंग्रेजी भाषा में सौगत राय जी की पार्टी समर्थन करते हुए, जो सरकार में मंत्री रहे थे, राजघरानों की पार्टी इस देश में साठ सालों तक रही है, उन साहूकारों के पास उनको कर्ज लेने के लिए न जाना पड़े और बैंक उनको पांच हजार रुपए वक्त आने पर जरूर देगा। उनके घर में बीमारी हो गई, घर में कोई मेंटीनेंस कराना है, रिश्तेदार आ गए तो उनको वह मिल जाएगा।

इसी प्रकार से सुरक्षा बीमा योजना है। केवल एक रूप में मजदूर को यह मिलेगा। पैसे वाले लोग तो बीमा कराते हैं, प्रीमियम आता है। जिस गरीब बेचारे के आमदनी नहीं है, वह प्रीमियम के लिए, बीमा कराने के लिए अपने मरणोपरान्त अपने परिवार की चिंता करने के लिए कहां सोचेगा? जीते जी उसका पेट भरने का उसके पास पैसा नहीं था। माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो सुरक्षा बीमा योजना लागू की है, यह भी उसी वर्ग के लिए है, जो बीपीएल कार्ड होल्डर है, गरीब आदमी है, मध्यम वर्ग परिवार का है। 1 रूपए प्रति महीने और 12 रूपए साल में, अगर वह अपने जन-धन खाते में भी लिखवा देगा तो उस जन-धन खाते से प्रीमियम आटोमैटिकली 12 रूपए कटता रहेगा। आकस्मिक दृष्टि से उसकी मौत हो सकती है। दिल्ली में इतनी बड़ी मेट्रो बन रही है। इस मेट्रो के अंदर कितने प्रकार की सिक््योरिटी है, मेट्रो का काम देश की राजधानी में चल रहा है और अन्य राज्यों में भी चल रहा है। यहां पर 70-80 फीट बेसमेंट खोदकर लाइन डाली गई है, लेकिन आज तक सुनने को नहीं मिला कि किसी मजदूर की मृत्यु हुई हो। आज तक सुनने को नहीं मिला कि कोई मिट्टी में दब गया। पता ही नहीं लगने देते थे, पता ही नहीं लगता था। वहीं कंप्रोमाइज ले-देकर कर, क्योंकि उन गरीब को पता ही नहीं होता था कि कहां जाना है, कहां मैं पहुंच पाऊंगा, लेकिन आज अगर उसकी मृत्यु हो गई तो उसके परिवार के लोग निश्चित रूप से उस एक्सीडेंटल बीमा के हकदार बन जाएंगे और गरीब आदमी को निश्चित रूप से हक मिलेगा।

प्रधानमंत्री जी ने जो योजनाएं बनाई हैं, ऐसा नहीं है कि केवल भारतीय जनता पार्टी की सरकार ही ऐसा कर रही है, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में भी इंटरनेशनल लेबर आर्गनाइजेशन ने भी इसकी सराहना की है। एसोचैम जैसी औद्योगिक इंडस्ट्रीज चलाने वाली जो एनजीओज और कंपनियां बनी हुई हैं, उन्होंने भी इन योजनाओं की निश्चित रूप से सराहना की है। ऐसा नहीं है कि प्रधानमंत्री जी ने काम नहीं किए हैं। हमारी एनडीए की सरकार में श्री बंडारू दत्तात्रेय, लेबर मिनिस्टर बैठे हुए हैं और जो चिंता करते रहे हैं। उसके बावजूद भी यह जो वर्ग है, इस वर्ग के परिवार में अगर बीमारी हो जाए या कहीं साइकल पर जाते वक्त उसका एक्सीडेंट हो जाए, पैर टूट जाए, तो उसको इंडस्ट्री उतनी ही दिहाड़ी देगी, जितने दिन वह मजदूरी करेगा। उसको मजदूरी नहीं मिलेगी। उसकी कौन चिंता करेगा? उसकी चिंता नहीं की गई थी।

अभी एक और योजना आ रही है। श्री मिनिस्टर कमेटी माननीय जेटली जी के नेतृत्व में बनी हुई है। इस सबको आधार कार्ड के साथ इसलिए जोड़ा गया है कि कोई भी व्यक्ति ढाई सौ रूपए का कार्ड बनवाएगा और ईएआई का कार्ड बनवाने के बाद किसी भी प्रकार की बीमारी में उसको सपोर्ट मिलेगी। मजदूर वर्ग के लिए सरकार की यह योजना है। मैं पहले कह रहा था कि अगर उसका एक्सीडेंट हो जाए या उसके परिवार में कोई बीमार हो जाए, अगर मजदूर बीमार हो गया तो समझ लीजिए कि पूरी फैमिली बीमार हो गई। उसकी खैरखाह करने वाला कोई नहीं होता। 60 साल में कभी इस बारे में चिन्ता नहीं की

गई। मोदी जी के नेतृत्व में जो एनडीए सरकार आई है, 68 वर्षों में पहली बार ऐसा हुआ है। हो सकता है कि अभी लोगों को इसकी जानकारी नहीं मिल रही हो। हमारे विरोधी मैदान छोड़कर भाग गए। वे गरीबों के हितों बनते हैं। लेकिन अभी बैंच में कोई नहीं है। एक को भी चिन्ता नहीं थी कि आज प्रॉविडेंट फंड के बारे में, मजदूरों के बारे में चर्चा होनी है। वे विपक्ष में बैठे हुए हैं। उनका धर्म बनता था कि वे सरकार पर कमियों के बारे में दबाव बनाकर मंत्री जी से कहते कि हम गरीबों के हितैषी हैं। प्रेमचन्द्रन जी द्वारा रैजोल्यूशन लाया गया है। हमारे सहयोगी पार्टी के मित्र रैजोल्यूशन लाए हैं और उसका समर्थन रूलिंग पार्टी के लोग कर रहे हैं, क्योंकि यह गरीबों से जुड़ा हुआ मामला है, गरीबों के हित का मामला है। गरीब के हित में जहां पॉज़िटिविटी लानी चाहिए, उस काम को करने वाली यह सरकार है।

मजदूर वर्ग को पता ही नहीं रहता था। मैं बंडारू जी की कनसल्टेटिव कमेटी का मैम्बर हूँ। सरकार जो मिनिमम वेजेस तय करती है, 70 सालों तक वह कागजों में तय होती रही। गरीब आदमी किसी फ़ैक्ट्री में काम करने जाता है तो राजधानी दिल्ली में अगर मिनिमम वेजेस 9,900 रुपये है, तो इंडस्ट्री के लोग गरीब आदमी से 6-6 हजार रुपये में मजदूरी करवाते हैं।

सुबह बहुत जोर-जोर से माननीय सदस्य कह रहे थे कि हत्या हो गई। गौ मांस पर चिल्ला रहे थे। मैंने कहा कि ये बेचारे बेरोजगार हो गए हैं, इन्हें सरकार स्लॉटर हाउस के लाइसेंस दे दे तो इनकी रोजी-रोटी चल जाएगी। इन्हें पाकिस्तान में रैजिडेंट का वीजा और दिलवा दें ताकि ये वहां बसने शुरू हो जाएं। ये केवल नौटंकी करके शोर मचाते रहे, लेकिन गरीबों, पिछड़े वर्ग, अनुसूचित जाति वर्ग के हित के लिए इन्होंने 60 सालों में क्या किया। उनके लिए इनके पास कोई योजना नहीं थी।

माननीय सौगत राय जी बहुत सीनियर मैम्बर हैं। अगर अभी वे हाउस में बैठे होते तो मुझे अच्छा लगता। वे बंगाल में मजदूरों के बहुत बड़े ठेकेदार हैं। उन्हें ठीक से गाइड नहीं करते। मेरा कहने का तात्पर्य केवल इतना है कि जो रैजोल्यूशन प्रेमचन्द्रन जी लाए हैं, प्रॉविडेंट फंड बैलेंस शायद 27 हजार करोड़ रुपये था, अगर गरीबों का वह पैसा इकट्ठा हो गया, उसके लिए अब चिन्ता की गई है। जो यूनिवर्सल एकाउंट कार्ड बनाया गया है, उसके माध्यम से अब गरीब मजदूर किसी उद्योग में काम कर सकेगा। वह दिल्ली में काम कर रहा है और उसे कोलकाता, चेन्नई में काम मिल गया। उसे आधार कार्ड से जोड़ दिया गया है। वह कार्ड लेने के बाद अगर उसने पहली कम्पनी में छः या आठ महीने काम किया, उसका प्रॉविडेंट फंड वहां कट गया। वह बेचारा मजदूर उसे लेने नहीं जाता। उसका वह पैसा डूब जाता था। सरकार के खाते में आज तक वह करोड़ों रुपया पड़ा हुआ है जिसकी चिन्ता ढाई सौ रुपये प्रिमियम पर कार्ड बनवाकर प्रधान मंत्री जी ने की। अब जो व्यक्ति अनआर्गनाइज़्ड संगठन में काम करते हैं, उनको ईएसआई के माध्यम से

केवल ढाई सौ रुपये के कार्ड से मेडिकल फैसिलिटी मिल सकती है, यह इस सरकार ने तय किया है। इस सरकार ने मजदूरों के हितों के लिए काम किया है।

उनके लिए प्रधान मंत्री अटल पेंशन योजना चलाई गई है। सरकारी कर्मचारी 60 साल की उम्र में रिटायर हो जाता है तो उसका जीवन सुरक्षित हो जाता है, क्योंकि उसे पेंशन मिलती है। लेकिन देश में जो 7-8 करोड़ मजदूर वर्ग हैं, अनआर्गनाइज़्ड एरिया में काम करते हैं, वह 60 साल के बाद क्या करेगा। बेटा नालायक निकल गया, बहु सेवा नहीं करना चाहती। वह गरीब क्या करेगा। वह मात्र 220 रुपये की स्कीम ले सकता है। जिस दिन वह 60 वर्ष का हो जाएगा, प्रेमचन्द्रन जी, सरकार उसे बैंकों के माध्यम से पांच हजार रुपये की पेंशन देगी। जिसके नाम से पेंशन है, अगर दुर्भाग्य से उसकी मृत्यु हो जाए और उस पर उसकी धर्म पत्नी आश्रित है या परिवार का कोई और सदस्य आश्रित है तो उसे भी पेंशन मिलती रहेगी। इस बारे में 68 साल में किसी ने चिन्ता नहीं की थी। ये नौटंकी करते हैं कि धनाढ्यों की सरकार है, सेठों की सरकार है।

सुकन्या योजना है। पैसे वाले व्यक्ति को चिन्ता नहीं होती कि उसकी बेटी जवान हो गई है, शादी कैसे करूंगा। यह चिन्ता कच्चे मकान, झोंपड़ी में रहने वाले लोगों को होती है। गांव में मजदूर वर्ग का गरीब आदमी, अनसूचित जाति से बिलॉग करता होगा, ओबीसी से बिलॉग करता होगा। अगर उसके घर में लड़की पैदा हो जाती थी तो वह उसे दुश्मन नजर आती थी।

16.00 hours

वह मजदूर अपनी लड़की को ऐसे देखता था कि जैसे बोझ हो गई हो, उसे एजुकेशन के लिए नहीं भेजता था। प्रधानमंत्री ने सुकन्या योजना शुरू किया, अगर मजदूरी की बेटी नौ साल की हो जाए और मात्र एक हजार रुपये प्रति महीने तक जब तक लड़की 18 वर्ष की हो जाए, उसके खाते में पैसा जमा कराना है। पैसे वाले की बीबीयों को या पैसे वालों को बेटी की चिन्ता नहीं सताती थी। यह चिन्ता गरीब की धर्मपत्नी को सताती है कि हमारी बेटी दस वर्ष की हो गई इसकी शादी कैसे करूंगी, उसके मामा और रिश्तेदार मिलने के लिए आए, उसे पांच सौ या दो सौ रुपये दिए, उस रुपये को लेने के बाद वह पैजेब खरीद लेती है, नाक का बून्दा खरीद लेती थी कि उसकी शादी में काम आएगा। बेटी के जवान होने पर उसकी मां चिन्ता करती है। वही मजदूर वर्ग अब चिन्ता करने की बजाए सुकन्या योजना में पैसा बैंक में जमा कराए तो शादी के समय बैंक से साढ़े छह लाख रुपये शादी करने के लिए मिलेगा। गरीब आदमी की चिन्ता मोदी सरकार आने के बाद खत्म हो गई। ये सारी समस्याएं मजदूरों की थीं, जो खेतिहर मजदूर था और खेतों में काम करता था, छोटा किसान जिसके पास एक-डेढ़ एकड़ जमीन थी। वह मुश्किल से भरण पोषण

कर पाता था। चार बेटों को रोजगार कैसे मिलेगा तो वे बूढ़े मां-बाप को गांव में छोड़ कर शहरों की तरफ पलायन कर जाते थे कि रोजी रोटी कमाएंगे तो ही पेट भरेगा। मैंने यूनिवर्सल एकाउंट के बारे में जानकारी दी है, अगर वह यहां से काम छोड़ कर किसी दूसरी कंपनी में भी काम करेगा तो आधार से जुड़ने के बाद उसका पिछला पैसे का वह मजदूर लाभार्थी होगा। पहले चिंता क्यों नहीं हुई थी। ये कहते हैं कि कम्प्यूटर को हमारे नेता राजीव गांधी जी लेकर आए थे। राजीव गांधी जी लेकर आए थे मैं इस बात से मना नहीं कर रहा हूं तो वह बड़े लोगों के लिए लेकर आए थे कि एक विशेष समुदाय ही उसका लाभ उठा सके। इस देश में 70 प्रतिशत किसान हैं, मजदूर है अगर गरीब मजदूर स्वालंबी बन गया, समझदार हो गया तो वह इनके हाथ से गद्दी छिन लेगा इसलिए गरीब को गरीब ही रहना चाहिए और वे अपना शासन करते रहेंगे। इस प्रकार की मानसिकता से सरकार काम करते रही हैं। मैं प्रेमचंदन जी के रिज्यूलेशन का समर्थन करते हुए कि वह माननीय मंत्री जी से बात करेंगे, नौकरी छूटने के बाद प्रोविडेंट फंड के माध्यम से सरकार विचार कर रही है। प्रेमचंदन जी अगर मंत्री जी से मिल कर बात करेंगे। प्रेमचन्द्रन जी के सारे पड़ोसी मैदान छोड़ कर भाग गए, वे गरीबों के हितैषी बनते थे। लेकिन प्रेमचंदन जी बैठे हुए हैं और गरीबों के हितों के लिए सोच रहे हैं। सरकार के अंदर कुछ कमियां हैं और कोई चीज छूट गई है तो उसे लाया जाना चाहिए। उसके लिए भी वह धन्यवाद के पात्र है।

श्री जगदम्बिका पाल (डुमरियागंज): उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका अत्यंत आभारी हूँ कि एक महत्वपूर्ण संकल्प के ऊपर बोलने के लिए खड़ा हुआ हूँ। देश के उन तमाम इम्प्लॉई जो अपना पूरा जीवन देश के निर्माण में अपना योगदान समाज को देता है और रिटायर होने के बाद जो वेल्फेयर की स्कीम है या पेंशनर्स की स्कीम है या प्रोविडेंट फंड्स की स्कीम है उसके संबंध में एक संकल्प लेकर आए हैं। रमेश बिधुड़ी ने जो बात कही है, मैं उनकी भावनाओं से अपने को संबद्ध करता हूँ। मैं एक बात प्रेमचन्द्रन जी से कहना चाहूँगा कि आप रोज कांग्रेस पार्टी के साथ खड़े हो जाते हैं और आज जब आपका संकल्प और प्रस्ताव आया है तो भारतीय जनता पार्टी के लोग आपके साथ खड़े हैं तो क्या भविष्य में यह आई ओपनर का काम होना चाहिए। अगर वह देश के मजदूरों के साथ खड़े नहीं हो सकते हैं तो आपको भी उनके साथ खड़ा नहीं होना चाहिए। आज नॉन-ऑफिसियल डे है गवर्नमेंट का कोई बिल नहीं आना है, गवर्नमेंट का कोई विधेयक पारित नहीं होना है। आज हम लोगों के लिए वक्त है कि हम अपने निर्वाचन क्षेत्र में चले जाएं।

माननीय अधिष्ठाता महोदय, इसके बावजूद यदि सत्ता पक्ष के सांसद इतनी बड़ी संख्या में बैठे हुए हैं और प्रेमचन्द्रन जी, जैसा बिधुड़ी जी ने कहा कि आप एक ऐसा प्रस्ताव लेकर आए हैं, जिसका आशय, जिसकी भावना, कहीं न कहीं देश के उन करोड़ों एम्प्लॉइज के वेल्फेयर के लिए है। इसलिए आज निश्चिततौर से हम उन्हें बधाई देते हैं और उनके इस प्रस्ताव का हम समर्थन करते हैं।

महोदय, हम माननीय मंत्री जी से कहना चाहेंगे कि जो संकल्प माननीय प्रेमचन्द्रन जी ने प्रस्तुत किया है, उसमें जिन आठ महत्वपूर्ण बिन्दुओं पर सरकार को विचार करने के लिए कहा है, मैं समझता हूँ कि सरकार को उन आठों बिन्दुओं पर एक-एक कर के विचार करना चाहिए। मैं बताना चाहता हूँ कि सरकार ने इन बिन्दुओं पर कुछ विचार किया भी है। मुझे लगता है कि जैसे आज एक मांग उठ रही है कि, **increase the minimum pension to Rs. 3000 per month under Employees' Pension Scheme, 1995.** मैं समझता हूँ कि आज जो इन्होंने मांग की है कि न्यूनतम पेंशन होनी चाहिए, वह रु.3000/- होनी चाहिए। इस सदन के माध्यम से पूरे देश की जनता इस बात को जानती है कि जो वर्तमान समय में रु.1000/- न्यूनतम पेंशन की गई है, वह इससे पहले, जब भारतीय जनता पार्टी एनडीए की सरकार मोदी जी के नेतृत्व में नहीं आई थी, तो इन एम्प्लॉइज की पेंशन की आप कल्पना नहीं कर सकते हैं, उस समय किसी को 50/- रुपए मिलती थी, किसी को 75/- रुपए मिलते थे और किसी को 100/- रुपए मिलते थे।

महोदय, आपको याद होगा, उस समय श्रम मंत्री के रूप में, माननीय नरेन्द्र सिंह जी तोमर थे और उन्होंने सरकार बनते ही दिनांक 26 मई, 2014 को सरकार बनी थी, उसके चार-पांच महीने के अंदर ही मोदी जी ने सबसे पहला फैसला हिन्दुस्तान के कश्मीर से कन्याकुमारी तक के उन एम्पलाइज के लिए किया और उन्होंने कहा कि हमारी सरकार कम से कम 1000/- रुपए पेंशन देगी। यह फैसला भारतीय जनता पार्टी, एनडीए की सरकार ने मोदी जी के नेतृत्व में इसी सदन में किया। हमने उस एक्ट में जो एम्पलाइज प्रॉविडेंट फंड की स्कीम थी, उसका सितम्बर, 2014 में एक नोटीफिकेशन निकाला और उस दिन इसी सदन में खड़े होकर आदरणीय नरेन्द्र सिंह तोमर जी ने इस बात की घोषणा की थी और कहा कि इस देश में बहुत सी कल्याणकारी सरकारें आईं, लेकिन हमारी सरकार आने से पहले तक किसी ने इन लोगों के लिए कुछ नहीं किया, किन्तु हमने आज उन्हें कम से कम रु.1000/- पेंशन देने का निश्चय किया है। इनके रिटायर होने के बाद, इनके पास मकान नहीं होता, उन्हें यदि बीमारी हो जाए, तो ईएसआई में सामान्य इलाज तो हो सकता है, लेकिन गंभीर बीमारी की स्थिति में इलाज कराने के लिए पैसा नहीं होता, बेटियों की शादी के लिए पैसा नहीं होता, बेटे की पढ़ाई के लिए पैसा नहीं होता है। उन्हें किस प्रकार से सहायता की जाए इस बारे में सोचते हुए इस सरकार ने आज स्वाभाविक है कि इस सरकार ने उनकी सहायता के लिए अच्छे काम किए हैं। मैं समझता हूँ कि प्रेमचन्द्रन जी, इस बात को स्वीकार करेंगे और वे अपेक्षा भी इसी सरकार से कर रहे हैं, क्योंकि इस सरकार ने उन एम्पलाइज के रिटायर होने के बाद जो न्यूनतम पेंशन की है, वह 1000/- रुपए की है। यह निश्चिततौर से एक स्वागत योग्य कदम है।

महोदय, हम इस संकल्प के माध्यम से माननीय मंत्री जी से अनुरोध करेंगे कि देश के उन एम्पलाइज की पेंशन में इस संकल्प के सापेक्ष वृद्धि करेंगे, तो निश्चिततौर पर वह अपने आप में एक स्वागत योग्य कदम होगा।

महोदय, जैसा अभी हमारे माननीय सदस्य, श्री रमेश बिधूड़ी जी ने कहा और उन्होंने भी कहा कि आज 27 हजार करोड़ रुपए का अनक्लेम्ड फंड है। इसके संबंध में उन्होंने लिखा है कि, **implement welfare schemes for pensioners benefits including housing scheme by utilising unclaimed Provident Fund amounting to Rs. 27000 crore.**

यह धन जो 27 हजार करोड़ रुपए का है, जिसके संबंध में कह रहे थे कि किसी एम्पलाई ने अगर आज कहीं काम किया और दो-चार महीने काम करने के बाद वह दूसरे प्रतिष्ठान में काम करने चला गया, परन्तु जिस दिन से उसने काम शुरू किया उसी दिन से उसका प्रॉविडेंट फंड कटना शुरू हो जाता है, लेकिन पहले इसमें इतनी कॉम्प्लीकेशन्स होती थीं कि दो महीने या चार महीने का प्रॉविडेंट फंड लेने के

लिए बहुत मशक्कत करनी पड़ती थी, क्योंकि तमाम एम्पलाई अनपढ़ हैं, अनस्किल्ड हैं या स्किल्ड हैं, वे उसे फौलो नहीं कर पाते थे और अपने प्रॉवीडेंट फंड को लेने का प्रयास नहीं करते हैं। इस तरह से जो जमा धनराशि है, वह बढ़कर 27 हजार करोड़ रुपए हो गई है। आज स्वाभाविक है कि ऑनलाइन प्रक्रिया शुरू हो गई है, इसलिए एम्पलाई ऑनलाइन भी अपने प्रॉवीडेंट फंड को निकाल सकते हैं। आज की तारीख में कोरपस 27,000 करोड़ का है, चाहे एम्पलाइज प्राविडेंट फंड का हो, इसमें अनक्लेम्ड 27,000 करोड़ है। तमाम पोस्ट आफिसेज़ में, बहुत से लोग ऐसे हैं जो एन.एस.सी. बनवाते हैं। तमाम ऐसे लोग हैं जो और तरीके से पैसा बचत के रूप में जमा करते हैं, चाहे किसान विकास पत्र हो या नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट हो। हमारी सरकार ने प्रस्ताव किया, निशिकान्त जी बैठे हैं, आपको याद होगा, पूरा सदन गवाह है, 2015-16 के बजट में श्री अरुण जेटली ने वित्त मंत्री के रूप में कहा था। चाहे पोस्ट आफिस में अनक्लेम्ड मनी हो, चाहे प्राविडेंट फंड में हो, देश में लगभग 45,000 करोड़ रुपया अनक्लेम्ड मनी के रूप में सरकार के पास पड़ा हुआ था, चाहे यू.पी.ए. की सरकार रही हो, यह पैसा सरकार के खजाने में पड़ा हुआ था। हमारी सरकार ने फैसला किया, वित्त मंत्री जी ने अपने बजट भाषण में कहा कि इस तरह का अनक्लेम्ड पैसा, चाहे वह प्राविडेंट फंड का हो, बैंक का हो, चाहे पोस्ट आफिस का अनक्लेम्ड मनी हो, इसे देश के सीनियर सिटीजन्स के लिए खर्च करेंगे। यह बहुत ऐतिहासिक फैसला है।

मैं सीनियर सिटीजन्स के बारे में कहना चाहता हूँ कि घरों में बुजुर्ग रहते हैं, गांवों में इनकी क्या स्थिति होती है, घर में बच्चों के होने के बावजूद इन्हें घर से बाहर कर दिया जाता है। उनके पास ओल्ड एज की कोई सिव्योरिटी नहीं रहती है और ये एक तरह से निराश्रित हो जाते हैं। इनके पास न तो दवा के लिए, न खाने के लिए और न रहने के लिए पैसा होता है। कभी काशी की बात होती है, जहां तमाम विडो महिलाएं रहती हैं। मथुरा की बात होती है, वृंदावन की बात होती है, देश के तमाम मंदिरों की बात होती है, जहां सीनियर सिटीजन्स रहते हैं। देश में इनके लिए न कोई सामाजिक सुरक्षा थी, ओल्ड एज होम की सही व्यवस्था नहीं थी। सीनियर सिटीजन्स महिलाएं अगर घर से बाहर हो गईं तो किस तरह मजबूर, लाचार और बेबस की तरह जिंदगी गुजारती थीं और शायद गुजारती हैं, यह कल्पना से परे है।

देश में सीनियर सिटीजन्स की गांवों में, शहरों में या तमाम इलाकों में जो स्थिति है, उस स्थिति को देखते हुए इस अनक्लेम्ड मनी को खर्च किया जाएगा। मैं समझता हूँ कि माननीय वित्त मंत्री जी ने यह सराहनीय कदम उठाया है। पोस्ट आफिस में किसानों का पैसा है, बचत पत्र का है या एन.एस.सी. का है, प्राविडेंट फंड का है। क्या इस पर श्रम मंत्री विचार कर सकते हैं कि इसमें प्राविडेंट के पैसे को अलग किया जा सकता है? उस प्राविडेंट फंड के पैसे से एम्पलाइज की मदद की जा सकती है। सरकार प्राविडेंट फंड में अनक्लेम्ड मनी एम्पलाइज के वेलफेयर के लिए, एम्पलाइज की हाउसिंग स्कीम के लिए, उन्हीं के

भविष्य को सुरक्षा प्रदान करने के लिए गंभीर प्रयास करके उत्तरदायी कदम उठाएगी, इस तरह का अनुरोध संकल्प के माध्यम से आया है। सरकार इस पर निश्चित तौर से विचार करेगी तो आने वाले दिनों में हिन्दुस्तान के तमाम एम्पलाइज़, जिनकी परिस्थितियों और कठिनाइयों के बारे में मुझ से पहले क्ताओं ने जिक्र किया है कि किस तरह से उनके जीवन के सामने चुनौतियां हैं, असुरक्षा की भावना है, हम उनकी मदद करने में कामयाब हो सकते हैं।

Shri Premachandran has told to restore the benefits of commutation and return of capital to the employees provident fund pensioners and to ensure payment of full pension to pensioners as per the Employees Pension Scheme, 1995 after realizing the full amount of commuted pension from pensioners. He also told to revise the whole Employees Pension Scheme, 1995 on the basis of past experience and extend Employees Pension Scheme, 1995 to various other Legislatures.

यह जो कम्प्यूटेशन की बात कही है, तो जिस दिन से पेंशन शुरू होती है, उस दिन से एक तिहाई पेंशन को कम्प्यूट करने का अधिकार हमारे इम्प्लायज को है। लेकिन ये एम्प्लायज अपनी पेंशन में से एक तिहाई को कम्प्यूट करते हैं, तो उन्हें उस तिहाई का अमाउंट लम-सम मिलता है। अगर कोई सरकारी कर्मचारी हो, वह चाहे राज्य सरकार का हो या केन्द्र सरकार का कर्मचारी है, वह रिटायरमेंट के बाद अपनी पेंशन की एक धनराशि में से कम्प्यूट करा के एक तिहाई पैसा लेना चाहता है तो उसे भी यह अधिकार है और हमारे एम्प्लायज को भी अधिकार है। लेकिन इसमें फर्क यह है कि अगर वह सरकारी कर्मचारी है और उसकी पेंशन तीन हजार रुपये है, तो वह एक हजार रुपया यानी एक तिहाई पेंशन कम्प्यूट कर सकता है। मान लें कि अगर वह एक तिहाई अपनी पेंशन को समायोजित करता है तो उसका सौ गुना दिया जाता है, यानी एक लाख रुपया उसे मिल जायेगा। अब एक लाख रुपया इस तरीके से हमारे एम्प्लायज को भी मिल जायेगा। लेकिन 15 वर्षों के बाद इम्प्लायज का पैसा नहीं जुड़ेगा, लेकिन सरकारी कर्मचारियों को गवर्नमेंट की तरफ से सुविधा है कि 15 वर्षों के बाद हजार रुपये की धनराशि उनकी पेंशन में जुड़ जायेगी। उन्हें फिर तीन हजार रुपये पेंशन मिलने लग जायेगी। सरकारी कर्मचारी जो रिटायरमेंट के बाद अपनी पेंशन को कम्प्यूट करते हैं, उन्हें 15 वर्षों बाद पूरी पेंशन मिलने लगती है, तो फिर इन एम्प्लायज को भी 15 वर्षों के बाद पूरी पेंशन क्यों नहीं देते? हम इस संकल्प के माध्यम से कोई नयी मांग नहीं कर रहे हैं। अगर हमारे एम्प्लायज रिटायर होने के बाद अपनी पेंशन में एक तिहाई कम्प्यूटेशन कराते हैं, तो 15 सालों के बाद भी

उसका एक हजार रुपया कटता रहेगा और उसे दो हजार रुपये मिलेंगे, लेकिन सरकारी कर्मचारी को उससे ज्यादा मिल जायेगा।

सभापति महोदय, इन्होंने इसमें कहा है कि -- **provide pension to the beneficiaries of Employees Provident Fund Scheme on the basis of the average salary of 12 months, immediately preceding retirement.** यह कोई नयी बात नहीं है।

माननीय मंत्री जी, आप इस पर विचार कर लें। प्रेमचन्द्रन जी ने कहा कि अगर कोई एम्प्लॉई रिटायर होता है, तो उसकी आखिरी साल के 12 महीने की सैलरी के एवरेज के आधार पर आप उसकी पेंशन की गणना कीजिए। मैं समझता हूँ कि यह उसके कंट्रीब्यूशन के आधार पर है। अभी वर्तमान में आपकी एम्प्लॉय प्रॉविडेंट फंड स्कीम, 1995 है, उसकी पेंशन की गणना सब्सक्राइबर की पूरी सर्विस में दिये गये कंट्रीब्यूशन के आधार पर होती है। उसने अपनी सर्विस में पी.एफ. के रूप में जो कंट्रीब्यूट किया है, उसके आधार पर की जाती है। स्वाभाविक है कि जब आदमी नौकरी शुरू करता है, तो उसका वेतन बहुत कम होता है। जब वह अपनी सर्विस 30-35 साल पूरी कर लेता है, तो उसकी सैलरी भी बढ़ती जाती है और उसका कंट्रीब्यूशन भी बढ़ता जाता है। उसकी आखिरी एक साल की सैलरी द्वारा दिये गये कंट्रीब्यूशन के आधार पर क्यों न उसकी पेंशन का आंकलन किया जाये। मैं समझता हूँ कि जब हम 'सबका साथ, सबके विकास' की बात कर रहे हैं, तो सरकारी कर्मचारियों के केस में यह गणना केवल उनके आखिरी साल के 12 महीने की होती है। मैं इस नाते इसका समर्थन कर रहा हूँ कि अगर हम गवर्नमेंट इम्प्लायज के रिटायरमेंट के आखिरी साल की हाईस्ट सैलरी है, उसमें जो वह पी.एफ. के लिए कंट्रीब्यूट कर रहा है, अगर उस 12 महीने के आधार पर तय की जाती है, तो एम्प्लायज प्रॉविडेंट फंड स्कीम के इस प्रावधान में सब्सक्राइबर को भी लाया जाये, तो निश्चित तौर से इस सरकार या इस देश के उन तमाम लोगों की जो अपेक्षाएं हैं, वे पूरी होंगी। उनको कहीं न कहीं लगता है कि उनके साथ डिसक्रिमिनेशन है। अगर आज हम गवर्नमेंट एम्प्लॉई नहीं बन सके, हमने एक एम्प्लॉई के रूप में किसी अन्य प्रतिष्ठान में अपना पूरा जीवन लगाया, अपनी पूरी मेहनत से उस प्रतिष्ठान में हम अपने देश के लिए, देश की जीडीपी के लिए जो कर सकते थे, किया है। देश की जीडीपी में एग्रीकल्चर सेक्टर से लेकर, इंडस्ट्रियल सेक्टर, सर्विस सेक्टर एवं अन्य सभी सेक्टर्स के लोगों का जीडीपी में योगदान होता है। उस योगदान के आधार पर हमारे इन एम्प्लॉयज के लिए भी उनकी सर्विस के अंतिम वर्षों की सैलरी और कंट्रीब्यूशन के आधार पर करेंगे तो निश्चित तौर से उसका लाभ मिलेगा। इन्होंने अपने प्वाइंट 6 में लिखा है: **Revive the Employees Pension Scheme, 1995 on the basis of past experience.** मैं समझता हूँ कि

इसका यह तात्पर्य होगा कि हमारे अतीत के जो अनुभव हैं और एम्प्लाइज के सामने जो चुनौतियां हैं, पेंशन पाने के बाद उनके समक्ष जो कठिनाइयां हैं और जो समाज में विसंगतियां हैं, उनको देखते हुए, उस डिसक्रिमिनेशन को देखते हुए, उन एम्प्लाइज के वेलफेयर के लिए एक कांप्रिहेंसिव एम्प्लाइज वेलफेयर स्कीम बनाएं। स्वाभाविक रूप से आज यह काम करने की आवश्यकता है।

आज उनकी पेंशन के लिए अलग स्कीम है, उनको मेडिकल फेसिलिटीज ईएसआई द्वारा दी जाती हैं, कम्पेंसेशन के लिए उनको लेबर कोर्ट जाना पड़ता है। इस तरह से एक एम्प्लाइ के लिए अलग-अलग व्यवस्थाएं हैं। **He has to move from pillar to post to avail medical facilities, pension, etc.** आखिर में, मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि इनके लिए चाहे मेडिकल फेसिलिटी हो, चाहे इनकी पेंशन की स्कीम हो या जो इनके ड्यूज हैं, इन सबके बारे में जो अलग-अलग व्यवस्थाएं हैं, उनके लिए हम एक कांप्रिहेंसिव स्कीम के तहत लाएं तो शायद वेलफेयर की सारी सुविधाएं एम्प्लाइज को दी जाती हैं, उनके लिए ज्यादा सुविधाजनक होंगी। अधिष्ठाता महोदय, आप इससे सहमत होंगे कि उनकी पेंशन हो या वेलफेयर स्कीम हों या मेडिकल स्कीम हो या अन्य स्कीम हों, यह उनके लिए काफी सुविधाजनक होगा।

इसी तरीके से प्वाइंट 7 में कहा गया है कि **extend the Employees Pension Scheme, 1995 to various sectors.** स्वाभाविक है कि इन्होंने इसका विस्तार करने की बात कही है, उन्होंने अपने भाषण में उल्लेख किया होगा, लेकिन जहां तक मैं समझता हूं कि एम्प्लाइज पेंशन स्कीम, 1995 को अन्य सेक्टर्स में भी लागू किया जाए। स्वाभाविक है कि इस सदन में जहां हम आर्गेनाइज्ड सेक्टर की चिन्ता करते हैं, वहीं तमाम माननीय सदस्य अन-आर्गेनाइज्ड सेक्टर की भी चिन्ता करते हैं। आज देश में जिस तरह से आउटसोर्सिंग हो रही है, जिस तरीके से कांट्रैक्ट पर लेबर ली जा रही है, चाहे खेत के मजदूर हों, चाहे सिक्योरिटी के मजदूर हों, आज देश में इसकी बहुत बड़ी इंडस्ट्री बन गयी है। इस तरह से देश के तमाम सेक्टर्स, जो अन-आर्गेनाइज्ड सेक्टर्स हैं, उनमें एम्प्लाइज को उनके वेलफेयर के लिए जो सुविधाएं मिलनी चाहिए, वे आर्गेनाइज्ड सेक्टर की तरह नहीं मिल रही हैं। मुझे लगता है कि अपने देश में एक बहुत बड़ा सेक्टर है, जो आर्गेनाइज्ड से ज्यादा अन-आर्गेनाइज्ड सेक्टर में है। अगर इसी देश के नौजवान, इसी देश के एम्प्लाइज किन्हीं परिस्थितियों में आर्गेनाइज्ड सेक्टर में काम नहीं कर रहे हैं, अन-आर्गेनाइज्ड सेक्टर में काम कर रहे हैं तो उस अन-आर्गेनाइज्ड सेक्टर के लोग अगर अभी तक उन स्कीम के बेनीफिट से वंचित हैं, जिनको अभी तक इस स्कीम का बेनीफिट नहीं मिल रहा है।

अभी हमारी सरकार ने जो एक नयी पेंशन स्कीम शुरू की है, क्योंकि एक बहुत बड़ा वर्ग सैल्फ एम्प्लॉयड है और उस रूप में काम भी करता है, उसके पास अभी तक कोई सोशल सिव्योरिटी नामक कवच नहीं है। आज देश के सभी वर्गों को, चाहे हमारी महिलाएं हों या बेटियां हों, मोदी जी का फोकस ही इस तरफ है। मैं विय से हटकर कहीं जाना नहीं चाहता हूं। जन-धन योजना में सबसे बड़ी सुरक्षा का ही प्रावधान है कि इसमें किसी भी वक्त ज़ीरो बैलेंस पर खाता खुल सकता है और कभी कभार उसमें 50-100 रुपये बीच बीच में यदि वह व्यक्ति डालता रहे तो कुछ राशि जमा हो जाएगी। इससे कभी भी किसी भी परिस्थिति का वह सामना कर सकता है।

गांव में जैसे हम देखते हैं कि जब कभी किसी को जरूरत पड़ जाती है, जैसे महिलाएं हैं, उनका आदमी बीमार हो गया या घर में बच्चा बीमार हो गया, उनको यदि हजार-दो हजार या तीन-चार हजार रुपये की जरूरत पड़ती है तो उनको अपनी पायलें, चेन, मंगलसूत्र या चांदी-सोने को सुनार के यहां गिरवी रखकर पैसा लेना पड़ता है, यह एक वास्तविकता है। इसी वास्तविकता को समझकर लोगों को एक सोशल सिव्योरिटी मिले और देश के हर व्यक्ति को, जो भारत का नागरिक है, उसको भी सुरक्षा का अधिकार हो। यह न केवल संविधान के अनुच्छेद तक सीमित रहे, बल्कि वास्तविकता के धरातल पर उसको कुछ अधिकार मिले, यह काम भी मोदी जी की सरकार ने किया है। इस योजना का करोड़ों लोगों को फायदा मिला है। हमारी सरकार ने आज देश के करोड़ों लोगों को बैंकिंग सुरक्षा दी है। कई लोगों ने कभी कल्पना भी नहीं की होगी कि हमारे पास बैंक की पास बुक होगी, बैंक में खाता होगा। उस खाते के आधार पर हम कभी भी कठिन परिस्थिति में मजबूर होंगे तो हमें ज़ीरो बैलेंस पर कुछ पैसा मिल सकता है, यह भी एक स्कीम है।

आज मुद्रा योजना की भी स्कीम है कि लोगों को बिना गारंटी के 50,000 रुपये से लेकर 5 लाख रुपये तक का लोन मिल सकता है। यह भी एक बहुत बड़ी बात है। हमारी सरकार बड़ी से बड़ी स्कीम शुरू कर सकती है और हर नागरिक को उस अधिकार से युक्त कर सकती है कि वह अपने पैरों पर खड़ा हो सके। अगर वह केवल एक नागरिक है तो वह लाचार नागरिक के रूप में नहीं है, बल्कि वह सशक्त, सक्षम नागरिक के रूप में भारत के भविष्य में अपना योगदान कर सकता है। इसके लिए हमने न्यू पेंशन योजना बनाई है। इसे देश का कोई भी व्यक्ति ले सकता है।

इसी सदन में इस स्कीम का उल्लेख वित्त मंत्री जी ने किया था। इस न्यू पेंशन स्कीम में यह व्यवस्था है कि कोई भी व्यक्ति इस स्कीम में भागीदार हो सकता है, वह चाहे तो वह एक साथ कंट्रीब्यूट कर सकता है, 70,000 रुपये तक मैक्सिमम कांट्रीब्यूशन कर सकता है। जो प्राइवेट आदमी है, वह 70 हजार रुपये अधिक से अधिक कर सकता है और वह चाहे तो मंथली भी दे सकता है, जिसमें इंकम टैक्स से छूट भी मिलती है। आम आदमी को हमने इस न्यू पेंशन स्कीम से जोड़ा है। मैं माननीय मंत्री जी से

अनुरोध करूंगा कि यदि इसको काम्प्रीहेंसिव बनाएंगे, संगठित से असंगठित में करेंगे, तो असंगठित क्षेत्र में हमारे गरीब मजदूर भाइयों को भी एक सुरक्षा मिलेगी और भारत सरकार का भी एक कांट्रीब्यूशन हो सकता है कि वे जितना कांट्रीब्यूट करेंगे, उतना ही सरकार भी करेगी।

माननीय मंत्री जी को इस पर विचार करना चाहिए। मैं उनका ध्यान वर्ष 1971 की फ़ैमिली पेंशन स्कीम की ओर आकृष्ट करना चाहूंगा कि वह वर्ष 1971 में इसी हाउस में ऐक्ट बना था। उस कानून के तहत गवर्नमेंट ऑफ़ इंडिया का कांट्रीब्यूशन 1.16 प्रतिशत है। फ़ैमिली पेंशन स्कीम में जितना आप कांट्रीब्यूट करेंगे, उसके सापेक्ष गवर्नमेंट ऑफ़ इंडिया भी 1.16 प्रतिशत कांट्रीब्यूट करेगी। वह वर्ष 1971 था, लेकिन आज हम वर्ष 2016 में हैं। आज भी गवर्नमेंट ऑफ़ इंडिया 1.16 प्रतिशत ही फ़ैमिली पेंशन स्कीम में कांट्रीब्यूट कर रही है। जहां एम्प्लॉइज की वेतन ढाई गुणा बढ़ गया, आज इम्प्लॉइज के प्रोविडेंट फंड का रेट ऑफ़ इंटरैस्ट 8.33 प्रतिशत हो गया है। माननीय मंत्री जी इस पर विचार करें कि अगर आप पेंशन बढ़ा सकते हैं तो वर्ष 1971 में फ़ैमिली पेंशन स्कीम में गवर्नमेंट ऑफ़ इंडिया के कांट्रीब्यूशन को भी बढ़ाने पर विचार कर लें, तो निश्चित तौर पर आने वाले दिनों में हमारे मजदूरों और एम्प्लॉइज को इसका लाभ मिलेगा।

ई.पी.एफ या प्रोविडेंट फंड का जो पैसा है, आज एम्प्लॉइज की सबसे बड़ी समस्या यह है कि वे रिटायर हो जाते हैं, लेकिन उनके पास रहने के लिए अपनी छत नहीं होती है। मैं आभारी हूँ कि मोदी जी ने प्रधानमंत्री बनने के बाद हिन्दुस्तान के हर परिवार को, जिनके पास आज भी घर नहीं है, हमारी सरकार कटिबद्ध है कि आने वाले दिनों में वर्ष 2022 तक, देश के हर व्यक्ति, हर परिवार को मकान देंगे, यह बहुत बड़ा कदम है। इस सरकार ने यह संकल्प कर लिया है, यह सरकार का निर्णय है, आदरणीय मोदी जी और हमारी केन्द्र सरकार का निर्णय है कि हमारा हिन्दुस्तान दुनिया में एक ऐसा मुल्क होगा, जहां अगर किसी भी व्यक्ति के पास उसका अपना मकान नहीं है, जिसके पास अपना घर नहीं है या उसके पास रहने के लिए छत नहीं है और आज भी वह कहीं रैन बसेरे में रहते हैं, सड़कों पर आज बहुत परिवार रहते हैं, आप बड़े शहरों में चले जाएं, वे अपने पूरे परिवार के साथ, कहीं एक पन्नी तान कर सड़कों के किनारे झुग्गी-झोपड़ी में रहते हैं। चाहे मुंबई हो, दिल्ली हो, लखनऊ हो, गोरखपुर हो या पटना हो, आज सभी लोगों को आवास की उपलब्धता नहीं है, उसके कारण उस परिवार को लगता है कि हमारे पास अपना एक घर नहीं है, अपना एक बसेरा नहीं है, हमारी सरकार ने फैसला किया है कि हम हर परिवार को घर देंगे। मंत्री जी, जब भी आप इस पर अपना उत्तर दें तो आप निश्चित तौर पर कह सकते हैं कि जो अनक्लेम्ड 27,000 करोड़ रुपये का प्रॉविडेंट फंड है, हम एक तरह से सरकार को सहयोग करेंगे। अपने उन एम्प्लॉइज को, जिनके पास अभी भी छत नहीं है, उनके पास रहने के लिए बसेरा नहीं है तो इस अनक्लेम्ड फंड से

हाउसिंग स्कीम में खर्च करेंगे, यही तो इस संकल्प में मांग है। आने वाले दिनों में सरकार अपने संसाधन से या बजटरी प्रोवीजन करके देश के उन तमाम गृहविहीन परिवारों को, जिनके पास घर नहीं है, उनके लिए कई स्कीम्स चला रहे हैं। हम इस स्कीम के तहत भी अगर इस संकल्प को स्वीकार करते हैं तो इस संकल्प को स्वीकार करने के बाद, इस स्कीम में हमारे पास जो 27,000 करोड़ रुपये बचे हुए हैं, हम बड़ी धनराशि चाहें तो उनकी हाउसिंग स्कीम पर खर्च कर सकते हैं।

आज यह विषय कोई राजनैतिक सवाल नहीं है। आज जो विषय सदन के सामने आया है, इस देश में लाखों एम्प्लॉइज हैं, जिनके वेलफेयर के लिए, सुरक्षा के लिए, भविष्य के लिए, मैं तो यहां तक कहूंगा कि उनके अस्तित्व के लिए, जहां तक उनके अस्तित्व का प्रश्न है तो उनके अस्तित्व के लिए सरकार निश्चित तौर से कारगर कदम उठा रही है। उन कारगर कदमों के बारे में हम सोचेंगे तो उन इम्प्लॉइज के लिए हाउसिंग स्कीम भी लागू होगी और वेलफेयर का भी काम होगा। इससे आने वाले दिनों में निश्चित तौर पर फायदा होगा। माननीय मंत्री जी ने अपने उत्तर में भी कहा था कि सेंट्रल गवर्नमेंट के कितने सब्सक्राइबर्स हैं, स्टेट गवर्नमेंट के कितने सब्सक्राइबर्स हैं, कोरपोरेट्स के कितने सब्सक्राइबर्स हैं और ऑल सिटीजन्स के कितने सब्सक्राइबर्स हैं और टोटल 99 लाख सब्सक्राइबर्स हैं। इनके संबंध में एक डिफाइन्ड कंट्रीब्यूशन सिस्टम है, जिसमें नए लोगों को शामिल करने की बात है, उस संबंध में भी मैं आपसे चाहुंगा कि आप विचार करेंगे, तो निश्चित तौर से पेंशन फंड को रेग्युलेट कर सकते हैं, वह कर्मचारियों की डेवलपमेंट के लिए होगा। पिछले दिनों सरकार ने फैसला किया था कि हम आने वाले दिनों में ई.पी.एफ.ओ. को मिनिस्ट्री ऑफ लेबर से कंट्रोल करते हैं, उससे कर्मचारियों को रिफंड मिलने की जो अपेक्षा है, उस रिटर्न के लिए हम चाहते हैं कि 5 से 15 प्रतिशत तक अप्रूव्ड है, कहीं न कहीं उसका इनवेस्टमेंट करके दिया जाए। यह संकल्प ऐसा है कि देश के कर्मचारियों के भविय से जुड़ा हुआ सवाल है।

महोदय, इस संकल्प की भावना यही है कि उनकी सुरक्षा हो, उनके लिए हाउसिंग की व्यवस्था हो। पेंशन से वे अपने परिवार की जीविका चला सकें। अपने बच्चों की फीस दे सकें और अपने परिवार की सुरक्षा कर सकें। 1 सितम्बर, 2014 को हमारी सरकार ने कुछ अमेंडमेंट्स किए हैं। प्रेमचन्द्रन जी, आप इस बात को महसूस करेंगे। सभी अमेंडमेंट्स सारे एम्प्लॉइज के इंटरैस्ट को देखते हुए किए हैं। **The Ministry of Labour and Employment, Government of India has, with effect from 1st September 2014, brought into force several important amendments to the schemes framed under the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952.** हमने यह अमेंडमेंट ई.पी.एफ. एक्ट, 1952 में किया है। हमने दूसरा अमेंडमेंट किया। **The Employees' Provident Funds Scheme, 1952 ("PF Scheme").** फिर तीसरा अमेंडमेंट किया,

The Employees' Pension Scheme, 1995 ("Pension Scheme"). फिर चौथा अमेंडमेंट किया, The Employees' Deposit-linked Insurance Scheme, 1976 ("Insurance Scheme"). हमारी सरकार ने ये अमेंडमेंट्स किए हैं। आप सोचिए वर्ष 1952 का ई.पी.एफ. एक्ट था। वर्ष 1952 के एक्ट में हमने एक सितम्बर, 2014 को अमेंडमेंट किया। इसी तरह से एम्प्लाइज पेंशन स्कीम थी, वह वर्ष 1955 की थी। उसमें हमने अमेंडमेंट किया। इंश्योरेंस के विधाय में अमेंडमेंट किया। The definition of 'excluded employee' has been amended whereby the members drawing wages exceeding Rs. 15,000 per month are excluded from the provisions of the PF Scheme. Accordingly, the wage ceiling for an employee to be eligible for the PF Scheme has been increased from Rs. 6,500 per month to Rs. 15,000 per month. यह अमेंडमेंट हमने पी.एफ. स्कीम में किया और स्वाभाविक है कि इस अमेंडमेंट से आज देश के लाखों कर्मचारियों को फायदा मिल रहा है। इसी तरह से हमने पेंशन स्कीम में भी अमेंडमेंट किया है। हमारी सरकार ने 1 सितम्बर, 2014 को जिस दिन हमने एक्ट को अमेंड किया, उस दिन से हमने कहा। New members (joining on or after 1 September 2014) drawing wages exceeding INR 15,000 per month shall not be eligible to voluntarily contribute to the Pension Scheme.

Similarly, the maximum pensionable salary for the purpose of determining the monthly pension has been revised from Rs. 6,500 to Rs. 15,000 per month.

The third amendment is, the pensionable salary shall be calculated on the average monthly pay for the contribution period of the last 60 months (earlier 12 months) preceding the date of exit from the membership.

The fourth amendment is, the monthly pension for any existing or future member shall not be less than Rs. 1,000 for the financial year 2014-15, जैसा कि मैंने जिक्र किया। इस पेंशन स्कीम में भी हमने चार अमेंडमेंट किये, जिसमें यह किया गया कि मिनिमम एक हजार रुपये किसी भी लेबर को पेंशन मिलेगी। जहाँ यह होता था कि पेंशन कोई लेने नहीं आता था, इसी तरीके से 12 महीने में जो उसका डेट ऑफ एग्जिट होगा, ज्यादा से ज्यादा 60 मंथ्स का होगा।

इसी तरह से हमने इंश्योरेंस स्कीम में भी अमेंडमेंट किया। The contribution payable under the Insurance Scheme shall now be calculated on a monthly pay of Rs. 15,000, instead of Rs. 6,500.

अधिष्ठाता महोदय, यह महत्वपूर्ण है। आप तो उसी इलाके से आते हैं, जहाँ पर आप एम्प्लॉइज के लिए लड़ते हैं, उनके हक-हकूक के लिए लड़ते हैं। यदि आज इस सदन में मेरी यह आवाज़ उठ रही है, आज सत्तारूढ़ दल के लोग देश के उन लाखों इम्प्लॉइज़, जो पेंशनर्स हैं, उनके हक-हकूक की हिफाज़त की बात कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से इस देश में इसका संदेश जाएगा। आज भी देश के उन पेंशनर्स और इम्प्लॉइज़ की अगर चिन्ता है, तो श्री नरेन्द्र मोदी जी की सरकार को है। हमारी सरकार को चिन्ता है। श्री प्रेमचन्द्रन जी को छोड़कर पूरा बेंच खाली है, चाहे वे कम्युनिस्ट पार्टी के लोग हों या कांग्रेस पार्टी के लोग हों। वे केवल घड़ियाली आँसू बहाने का काम करते हैं, अपने एम्प्लॉइज के हितों के लिए काम नहीं करते हैं।

आपने मुझे बोलने का समय दिया, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

HON. CHAIRPERSON : Hon. Members, I have to inform that the time allotted to the discussion on the Resolution is over. As there are three more Members to take part in the discussion, we have to extend the time for further discussion on the Resolution. If the House agrees, the time for the discussion of the Resolution may be extended by one hour.

SEVERAL HON. MEMBERS: Yes, Sir.

HON. CHAIRPERSON: The time is extended by one hour.

17.00 hours(Shri Hukmdeo Narayan Yadav *in the Chair*)

*SHRI SANKAR PRASAD DATTA (TRIPURA WEST): Sir, if your sagacity permits, I would like to speak in my mother tongue Bengali.

Respected Chairman Sir, today a very important private members' resolution is being discussed in this House. Hon. Member Shri N.K. Premchandran has brought this resolution i.e. steps to ensure welfare of Employees Provident Fund Pensioners, and for us those who want overall welfare of the common people, it is a very significant matter. Our brothers and sisters, who are workers or employees, deposit money in their Provident Fund. The main objective behind it is that at the time of superannuation or after retirement, they can run their families without much problem. In an estimate of 2014-15, it can be seen that 3 crore 49 lakh persons have their PF accounts through 3 lakh 60 thousand organization. And the quantum of deposit is also not very less sir, it is to the tune of rupees 3 lakh 79 thousand 485 crores. Now, who is the beneficiary of this fund? It is for those people who have deposited the money, for their welfare and subsistence after retirement. They also expect that in case, the earning member dies, the members of his / her family, should not face any problem and do not starve. But in reality that is not happening. Shri Premchandran has brought this resolution to 'Restore the benefits of commutation and return of capital to the Employees' Provident Fund Pensioners' and our party Communist Party of India (Marxist) entirely supports this resolution. We hope that Government of India will accept this. Our Hon. Minister of Labour is present here. He is very considerate, he thinks about the welfare of the workers so we expect that he will put forth a clear view of the Government on this issue.

The resolution to 'provide pension to the beneficiaries of EPF Pension on the basis of average salary of 12 months immediately preceding retirement moved by our Hon.Member Shri Premchandran, is a very justified demand. Sir if this is accepted then the employees will get a lump sum amount when they retire, from

* English translation of the speech originally delivered in Bangla.

their own fund, which they had created while they were working. This will mitigate the problems which people generally face after retirement. I hope respected minister will keep this in mind.

The third demand i.e. 'Ensure payment of full pension to the pensioners as per the Employees Pension Scheme 1995 after realization of full amount of commuted pension from pensioners is also highly justified and I fully endorse this demand. I hope that Hon. Minister will look into this aspect as well.

Hon. Chairman Sir, the fourth proposal which he has placed i.e. to increase minimum pension to Rs.3000 per month under EP Scheme 1995, is also a very reasonable demand. It does not merely affect the pensioners. People are raising a slogan saying that the sum of Rs.1000 which is being paid now is not adequate. Sir, kindly think, we are Members of Parliament, sitting here and discussing issues. If we go out and try to return home, Rs.1000 will be spent on transport by the time we reach the airport. Therefore how can a pensioner or his family survive the whole month on this sum of Rs.1000? Employees of the organized sector may be getting a little more amount, but what about the unorganized sector? Remember, today is July 29, bank employees of the entire country are on strike. Why? Earlier in my state, and I don't know about Maharashtra, the IAS – IFS officers were first considered to be well – off, thereafter, the doctors and engineers used to earn well and next in line were the employees of the banking sector. But today, see their plight. Right from the top officials down to the group D employees had to resort to strike. What are their demands? They are not merely fighting for themselves. They are not only asking for enhancement of their own salaries and perks; they are fighting for everybody. Chairman Sir, you are associated with labour movements, you are better aware of these issues. In our country about 40 to 42 crores workers belong to the unorganized sector. When these workers grow old, they do not have anyone to look after them. The person who has worked as a daily wage labourer, as a farm labourer, as a construction worker, as a carpenter, as a blacksmith, as a clay modeler, as a handloom weaver,

when he becomes old do you think sir, that his family members or children have enough means to look after that person properly? They do not have money to even have two square meals a day. Therefore minimum pension should also be paid, not only to the people linked with Provident Fund or EPF Scheme but also to these poor, hapless people of the unorganized sector. This is a very justified demand of Mr.Premchandran. As a primary step; at least Rs.3000 should be paid to them. You are conducting the business of the House today and you would also appreciate the intention of this resolution. The Government should pay a minimum amount of Rs.3000 in order to help the poor labourers run their family. This is a reasonable demand which should be met. I hope that Hon. Labour Minister who is a sensitive person will offer his considered opinion in this regard and will ensure that the money is disbursed as early as possible.

It has been observed that after opening the PF accounts, everybody does not deposit money regularly, sometimes due to financial constraints they are not able to deposit. Moreover the problem arises when the account holder dies. The family members are then not always capable of claiming the money as they may not be aware of the procedure and rules. The paper work may be cumbersome and they have to run from pillar to post to get the claim cleared.

They write letters, once, twice or thrice but when they still don't get the deposit back, they give up. As a result the fund lies idle in the account. The amount of such unspent, unclaimed fund has touched about Rs.27,000 crores. Thus we should try to utilize this huge unclaimed sum for the welfare of the families of the pensioners. As Shri Premchandran has proposed, that a housing scheme can be started for these people, so that they get roofs over their heads. No one else can use this money, no other department is allowed to touch this fund. The sum of Rs.27,000 crores should be utilized for the benefit of the pensioners only, those who do not own a house, those who have no proper shelter. I wholeheartedly support this proposal of my fellow member.

In the year 1971, there was a provision in this scheme that 'Government of India will provide 1.16% of those amount which are being given by the persons inclined with the Provident Fund' which means Government would contribute 1.16% of the money being deposited. In the present scenario, employees' share of 1.16%, employer's share of 1.16% and Government's share of 1.16%, in total 3.48% is a meager amount Sir. So the share of the Government must be enhanced. Much water has flown through the Ganges since 1971. 29 years of the 20th century have passed. We are in the 16th year of the 21st century. So about 45 years have elapsed. But the old rate of 1.16% still continues. I think it will be increased and our Hon. Labour Minister will look into the matter and Government of India will look into the matter and it would be a very good decision from the side of the Government. The Government must take some steps in this regard.

Sir we have a good scheme in place, the Employees' State Insurance Scheme. The workers covered under this scheme get a health benefit which helps numerous workers. Sir can't we link this ESI Scheme with the persons covered by Provident Fund? I would request Hon. Labour Minister to consider this proposal so that the health facilities are extended to the PF beneficiaries. It is true that when people are young, they do not easily fall ill, but with old age, come various diseases. Thus the persons who sacrifice themselves for the country, who contribute to nation building should get health care benefits when they are not able to work anymore. The state should be a welfare state and if the common people get some assistance from the Government the dream of welfare state, in the true sense of the term, can be realized.

Now, I would like to say that we are pained to see the people of Ahmedabad purchasing tomatoes at Rs.80 per kg, people of Surat Purchasing tomatoes at Rs.100 per kg. we are pained because we can recall that in the year 2011, our Hon. Prime Minister Shri Narendra Modi, the then Chief Minister of Gujarat was the Chairman of a Committee. UPA Government was in power at

that time. People of the country were very annoyed with UPA Government because prices of essential commodities were sky-rocketing.

To pacify the people, very intelligently, the UPA Government constituted a committee comprising 4 Chief Ministers of 4 states. Who were the members? The CM of Maharashtra Shri Prithwiraj Chauhan, CM of Andhra Pradesh Shri Kiran Reddy, CM of Tamil Nadu Shri Karunaidhi were the members of that Committee which was headed by our Hon. Prime Minister, the then CM of Gujarat, Shri Narendra Modi. The UPA Government gave them the responsibility to look into the reasons behind price rise. They did their job well and came out with 63 proposals to deal with price rise and to check escalating price. If I go on explaining those 63 proposals, this day will pass. So I will not go into the details. But one of the proposals highlighted the fact that the price of oil was one major cause of inflation. Only 20-30% of petrol, diesel, kerosene etc. which we require can be extracted from our indigenous sources, rest 70-80% have to be imported from outside. Price of oil in the international market fluctuates. Sometimes it rises to 135 to 140 dollar per barrel, sometimes it come down to 26 dollars per barrel. Naturally when international oil price goes up, India has to purchase it paying a steep price and when price comes down, India has to spend less. Therefore the chairman of the said committee Hon. Modiji had proposed that a static fund should be created so that the Government could contribute to it. At the time of oil price hike in the global market, that fund could be utilized for payment of bills and in the case of lower oil price, the fund would increase and in turn would act as a cushioning mechanism; the burden would not be on the common people. This was the contention. It was a very good proposal. Such a proposal was given to both UPA Government and the present Government by our party CPIM. But unfortunately, now after assuming the highest office of the state, Hon. Prime Minister of India, seems to have forgotten his own ideas. When he took oath on 26 May 2014, the global crude oil price was 126 dollar per barrel and in January 2016, oil price was 26 dollar per barrel. At present, the crude oil price is a

low as 35 to 40 dollar a barrel. So sir, please think, when the global price was 126 dollars, what was the local oil price? And now when the oil price hovers around 26-40 dollars, oil price is almost the same as before in our country. Then how can the price of essential commodities be reduced? We had hoped that the proposals which our Hon. Prime Minister gave as Chief Minister of Gujarat would be implemented but that has not happened.

Sir, now let us read the election manifesto of BJP, Page No.4 of the manifesto contains very significant views of BJP. The first two pages contain a preface by Dr.Murli Manohar Joshi, the third page contains the contents and the fourth page enumerates the vision of the party. BJP had understood before election that price rise was an extremely sensitive and touchy issue. They knew that if they could promise to arrest price rise in the very beginning people would be impressed. Thus they tried to make people believe through their manifesto that the Congress Government had failed in every aspect. They had failed to check escalation of cost of essential commodities and family budgets had gone haywire.

If someone reads the BJP manifesto today, it would seem as if the present Congress Party is saying all these things. We have seen that not even a single promise has been fulfilled so far. Prices are shooting through the roof and the Government is not taking any steps whatsoever in this regard. Today we are talking about the welfare of the workers. But if the prices go on increasing, then you can very well imagine the plight of these poor people. As you know, their salaries are meager. The 7th Pay Commission, constituted for the Central Government Employees has proposed that the minimum salary would be Rs.18,000. The salary of our Cabinet Secretary will be Rs.2,50,000. But who will think about the hapless labourers, daily wagers? Sir, you have worked for the benefit of the common man, you have a socialist bend of mind, you think about the society. Do you know sir, how much do these labourers earn? Not more than 3000 or 4000 rupees. I was going through an estimate which showed that 90% of the population earn less than Rs.10,000 a month. The number of millionaires or

billionaires must have increased in our country. But the gap between the rich and the poorest of the poor is widening day by day. Several schemes are being announced by the Central Government as well as the State Governments but the ground reality is not changing. People are agitating against price rise. Labourers, farmers, students, women, SCs, STs, OBCs minorities – people from every strata of society are contemplating major mass movements. What is the condition of the jobless persons in our country? Population is increasing by 2% every year. Keeping this in view, the employment opportunities should be increased. Government data show that there are 8 sectors which provide the majority of employment in the country like construction sector etc. I don't want to waste time by naming all the sectors. In last one year, only 1,30,000 people have got employment in these 8 sectors whereas more than one crore people have come to the job market in search of work. Just imagine the crisis. The deficit is increasing by leaps and bounds. The number of educated youth is increasing, numbers of semi – educated and uneducated youths are also increasing. There are crores of people who do not have any job. Sir, this situation is leading to unrest in various parts of the country like in Jammu & Kashmir. Our party CPIM is in favour of the unity and integrity of the nation. We want to fight against any disruptive and divisive forces along with the countrymen. But sir, if we delve deep into the issue, we will find that a boy called Burhan, who was involved in anti-national activities became a cohesive force for the outlaws. When he was killed, a procession was organized in his native village and about 1.5 lakh youth participated in the procession. I don't support the ideology of Burhan because unity of the country is supreme for Marxists. But can you imagine the impact of divisive forces on the young minds? How could so many people gather to mourn for a terrorist? This is not only an issue of Kashmir. I hail from a tiny State of North-East viz Tripura. Only 40 lakh people stay in Tripura. Kindly listen to what I say. I am from a small state, allow me speak. Have patience sir, there were insurgency problems in our state earlier. There was an acute problem of terrorism. There used to be a

time when everyday people were murdered, abducted and looted. But gradually, through a joint coordination of the Left Front Government, common people, the paramilitary forces, the menace of insurgency was successfully tackled. The Government on one hand had undertaken developmental works, has created employment opportunities for young boys and girls, tried to create infrastructure. A small part of the Scheduled Tribe community was involved in the anti-national activities. The Government has addressed their issues and, I am not claiming that there is zero problem in Tripura now, but mostly the issues have been solved. It is a matter of pride for us that when our Hon. Prime Minister Modiji visited Tirpura recently, he held a meeting with our cabinet ministers and wanted to know how Tripura could tackle the problem of insurgency so effectively. It was possible only because of a sincere effort and intention on the part of the Government.

Sir, I am concluding in a few minutes. In field of social security, Tripura has been able to bring the working class together. When today we are humbly requesting the Government of India to enhance the pension amount from Rs.1000 to Rs.3000, what steps has the Tripura Government taken? We are trying to go to each household to find out if any poor family, family of labourer, farmer, weaver, artisan, factory worker is still deprived of the pension or allowances paid by the Government of Tripura. If any family is left out, we are including it in our scheme of assistance. Can you imagine? Allowances are paid to carpenters, motor mechanics, beedi workers, handloom weavers, physically handicapped, cancer patients, leprosy patients and all other categories of poor people from the State Government fund. In Tripura we are observing that the Left Front Government is working hard to safeguard the interests of the common, poor working class, for the ordinary people. When Tripura Government can do so much for the people, why can't the Government of India take some steps for uplift of the poor by paying them minimum pension? The interest rates of small savings are being reduced by the Government instead. There is onslaught on the labour laws. Under such circumstances, you must be aware sir, that on September 2, cutting across party

lines, workers and common people will stage massive protest and observe all India strike.

I just hope that Central Government will take some measures and accept their demands so that the strike can be stopped. I request Hon. Labour Minister to look into the demands and as early as possible try to find an amicable solution in the interest of the general public. With these words, I thank you and conclude my speech.

श्री निशिकान्त दुबे (गोड्डा) : महोदय, मैं श्री एन.के.प्रेमचन्द्रन जी द्वारा जो संकल्प सदन में लाया गया है उसके सभी मुद्दों के समर्थन के साथ साथ उसमें कुछ मेरी आशंकाएं भी हैं उसके ऊपर बोलने के लिए खड़ा हुआ हूँ। प्रेमचन्द्रन साहब का संकल्प कहता है कि कर्मचारी भविष्य निधि पेंशन भोगियों को सारांशीकरण और पूंजी लौटाने के लाभ पुनःस्थापित कराना, कर्मचारी भविष्य निधि पेंशन के लाभार्थी को सेवानिवृत्ति से ठीक पहले बारह माह के औसत वेतन के आधार पर पेंशन प्रदान करना, कर्मचारी पेंशन स्कीम 1995 के अनुसार पेंशनभोगियों से सारांशीकृत पेंशन की पूरी राशि के कार्यान्वयन के बाद पेंशनभोगियों को पूरी पेंशन का भुगतान सुनिश्चित करना, कर्मचारी पेंशन स्कीम 1995 के अधीन तीन हजार रुपये प्रति माह तक न्यूनतम पेंशन बढ़ाना, लगभग सत्ताइस हजार रुपये की अदावाकृत भविष्य निधि राशि का उपयोग करके पेंशनभोगियों के लिए आवास योजना सहित कल्याण योजना लागू करना, विगत अनुभव के आधार पर संपूर्ण कर्मचारी पेंशन स्कीम 1995 का संशोधन करना।

सभापति महोदय, अगला पाइंट है- कर्मचारी पेंशन स्कीम, 1995 के अधीन रु.3000/- प्रति माह न्यूनतम पेंशन बढ़ाना, लगभग 27 हजार करोड़ की अदावाकृत भविष्य निधि राशि का उपयोग कर के पेंशन भोगियों के लिए आवास योजना सहित कल्याण योजनाएं लागू करना, विगत अनुभव के आधार पर संपूर्ण कर्मचारी पेंशन स्कीम, 1995 का संशोधन करना और कर्मचारी पेंशन स्कीम, 1995 का विभिन्न अन्य क्षेत्रों तक विस्तार करना, ये सात पाइंट हैं।

महोदय, जब यह संकल्प आया और जब मैं यहां सदन में था, तो मुझे लग रहा था कि इस पर बड़ी अच्छी चर्चा होगी और भारतीय जनता पार्टी की जो सीरियसनेस है, वह दिखाई दी। माननीय जगदम्बिका पाल जी यहां बैठे हुए हैं। जब मैं उनके भाषण को सुन रहा था, तब मैं शरद त्रिपाठी जी को कह रहा था कि श्री पाल साहब इतनी तैयारी और इतनी जानकारी के साथ आए हैं कि माननीय प्रधान मंत्री जी क्या कर रहे हैं, इस देश के लिए, गांव, गरीब, किसान और मजदूर के लिए, वह सब दिखाई दे रहा है और भारतीय जनता पार्टी का कमिटमेंट दिखाई दे रहा है।

महोदय, नेताओं के बारे में आपको पता है कि धीरे-धीरे जब आप लोग राजनीति करते थे, तब नेता समाज का एक आइना होता था और वह नेतृत्व करता था। उसके बारे में लोग अच्छी-अच्छी बातें कहते थे, लेकिन आज जब हम खादी के कपड़े पहन कर घूमते हैं तो लोगों को लगता है कि कोई काम नहीं है, इसलिए ये नेता बन गए हैं। लोगों को लगता है कि ये चोरी-चकारी करने के लिए नेता बन गए हैं। आज जब इस लोक सभा में देखा, जहां आज कांग्रेस का एक भी सांसद उपस्थित नहीं है, जिसके बारे में माननीय पाल साहब लगातार बातें कर रहे थे, तो मुझे आज लगा कि जनता गलत नहीं कहती है।

महोदय, अभी श्री शंकर प्रसाद दत्ता जी ने बड़ा अच्छा भाण दिया और वह इसलिए दिया कि सीपीएम में बड़े-बड़े नेता हैं और वे जहां से आते हैं, वहां के मुख्य मंत्री ही लगातार मानिक सरकार साहब, किसी को कुर्सी ही नहीं दे रहे हैं। वे 15-20 साल से कुर्सी को पकड़े हुए हैं। उसी तरह से यहां अभी पश्चिम बंगाल के श्री मोहम्मद सलीम साहब और श्री पी. करुणाकरण यहां बैठे हुए थे। मैं लगातार दो साल से देख रहा हूं कि शंकर दत्ता साहब को बोलने का न मंच पर मौका देते हैं और न लोक सभा में मौका देते हैं, तो आज उन्होंने पेंशन के संकल्प पर बोलते हुए पेंशन से ज्यादा सीपीएम का एजेंडा ही लागू कर दिया। अच्छी बात है और अच्छा लगा कि कम से कम जो सीपीएम का पूरा कांडर है, उसे पता चल गया कि शंकर दत्ता साहब सीपीएम के इतने जुझारू और प्रभावशील नेता हैं कि यदि सीपीएम में कभी नेतृत्व की कमी हो या कभी श्री येचुरी साहब को हटाना पड़े, तो शायद शंकर दत्ता साहब को मौका मिल जाएगा। हमारी शुभकामनाएं उनके साथ हैं।

महोदय, जब से मॉनसून सेशन प्रारम्भ हुआ है, तब से कांग्रेस, गांव, गरीब, किसान और दलितों के बारे में बात करती आ रही है। तब से कांग्रेस यदि किसी चीज की बात कांग्रेस कर रही है तो वह प्राइस राइज की बात कर रही है। वह कभी दलितों की बात करती है। रोज मुद्दा लेकर आती है कि गुजरात में यह हो गया, मध्य प्रदेश में यह हो गया और महाराष्ट्र में यह हो गया। लगता है कि यदि कांग्रेस नहीं रहेगी, तो दलितों की रक्षा ही नहीं होगी, लेकिन आज जब श्री एन.के. प्रेमचन्द्रन साहब इतना बढ़िया संकल्प लेकर आए हैं, तब एक भी कांग्रेस का सांसद यहां नजर नहीं आ रहा है।

सभापति महोदय, कल आपने एक बड़ी अच्छी बात कही कि 'कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना' यदि यह सरकार ब्लैक-मनी बनाने के लिए सारे उल्टे-सीधे काम करने वाले बिजनेसमैन को रोक रही है, यदि कमीशन को इसने बन्द कर दिया है, यदि विकास के कामों को आगे बढ़ा रही है तो इन कामों को रोकने के लिए कांग्रेस की सरकार क्या कर रही है कि कभी वह जीएसटी रोक रही है, कभी प्राइस राइज की बात करती है, कभी दलितों की बात करनी है और कांग्रेस किस तरह से अनसीरियस है, आज इस लोक सभा के सदन का नजारा देखकर खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं। मेरी शुभकामना है यदि कांग्रेस पार्टी इसी तरह से करती रही है। जनता इसका फैसला करेगी कि कौन अच्छा काम कर रहा है और कौन बुरा काम कर रहा है।

सभापति महोदय, संयोग बढ़िया है कि आप चेयर पर बैठे हुए हैं। आपको ध्यान होगा कि श्री एन.के. प्रेमचन्द्रन साहब, जो संकल्प लेकर आए हैं, उससे एक बड़ा बिल लेकर मैं इसी 16वीं लोक सभा में आया था। दिनांक 14 जुलाई, 2014 को उसके ऊपर चर्चा हुई, लगातार चर्चा हुई, बहुत लम्बी चर्चा हुई। उस

चर्चा में आपने भी भाग लिया था। वह चर्चा यह थी कि हमें एम्पलाई को यह देना चाहिए, यह आनऑर्गेनाइज्ड सैक्टर को देना चाहिए और यह ऑर्गेनाइज्ड सैक्टर को देना चाहिए। इससे अलग हटकर एक युनिवर्सल पेंशन स्कीम की तरफ क्यों नहीं बढ़ते हैं? हमने कहा था कि 50,000 करोड़ का नेशनल पेंशन फंड बनाना चाहिए। जिस तरह से पीडीएस सिस्टम है, जैसे फूड सिक्योरिटी एक्ट में 67,68,70 परसेंट लोगों को लेते हैं, उसी तरह से जिसे पेंशन लेनी है वह पेंशन ले। इस तरह से मिनिमम 5,000 रुपए का पेंशन इस देश में प्रत्येक व्यक्ति को मिलनी चाहिए, क्योंकि गरीबी और अमीरी की रेखा बढ़ रही है, गरीब हमेशा और गरीब होता रहा है।

अब देश में ज्वाइंट फैमिली का कन्सेप्ट कहीं दरकता हुआ नजर आ रहा है। यह पूरे देश में हो नहीं हो रहा है, पूरी दुनिया में हो रहा है। आपको पता है कि शहरीकरण बढ़ रहा है। सरकार भी 100 स्मार्ट सिटी बना रही है, 500 अमृत सिटी बना रही है, इसके पीछे कारण यह है कि गांवों में यदि सुख-सुविधा कम मिल रही है, रोजगार के साधन कम हैं और यही कारण है कि लोग शहरों की तरफ जाते हैं। शहरों में किराया इतना ज्यादा देना पड़ता है, पैसा इतना कम मिलता है कि कोई भी व्यक्ति, अपना, अपनी पत्नी का, अपने बच्चे का खर्चा यानी पढ़ाई, दवा-दारु, स्कूल में ही इतना व्यस्त हो जाता है कि अपने मां-बाप को रखने में सक्षम नहीं हो पाता है। यही कारण है कि उसके मां-बाप गांव में छूट जाते हैं और उनका इलाज नहीं हो पाता है। मैं इसी वजह से बिल लेकर आया था, यहां जितने लोग हैं, उनको फिक्स कर लिया जाए कि इस इनकम के आधार पर यह होगा और उनको युनिवर्सल पेंशन स्कीम देनी चाहिए, भारत सरकार को 5,000 रुपए प्रत्येक महीना देना चाहिए। अब ब्रिटेन में ज्वाइंट फैमिली का कन्सेप्ट डैवलप हो रहा है, क्योंकि ब्रिटेन में भी बेरोजगारी बढ़ रही है। मैं देखता हूं कि यहां लगातार चर्चा होती है कि 'मेक इन इंडिया' में क्या रोजगार दे दिया, रोजगार क्या बढ़ाया, इन्फ्लेशन हो गया, प्राइस राइज़ हो गया। माननीय प्रधानमंत्री जी मेक इन इंडिया में प्रयास कर रहे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि केवल बेरोजगारी यहां ही नहीं है, दुनिया के कोने-कोने में है। चाहे यूरोप हो, अमेरिका हो, ब्रिटेन हो या हमारे पड़ोसी मुल्क हैं, सभी बेरोजगारी, भ्रदास्फीति से, मार्किट में जो हालात हैं, में डूबे पड़े हैं। यही कारण है कि ब्रिटेन जैसे राज्य में पेंशन सिस्टम लागू हुआ कि 60 साल से ऊपर होंगे तो पेंशन दी जाएगी। यह कनाडा में भी हुआ। यही कारण है कि वहां बेरोजगार बच्चे, जिनको रोजगार नहीं मिल रहा है, वे सब अपने मां-बाप के पास वापस जा रहे हैं, चाहे प्यार से जाएं, अपने आप को बचाने के लिए जाएं या दाल-रोटी के लिए जाएं। इसी तरह से अगर भारत सरकार करती है तो निश्चित तौर पर मुझे लगता है कि भारत जो ज्वाइंट फैमिली कन्सेप्ट का सिरमौर हुआ करता था, फिर से कामयाब हो जाएगा।

सभापति जी, आपने पेंशन स्कीम पर बात करते हुए बहुत अच्छी बात कही थी। मैं आप ही कविता को दोहराना चाहूंगा जिसे आप लगातार समाजवाद में दोहराते रहते हैं -

धूप ताप में मेहनत करते, बच्चे तड़प-तड़प कर मरते,
फिर भी पेट नहीं भरता है, जीवन कटता रो-रो कर,
हम चलें बसाएं नया नगर, चलो बसाएं नया नगर।
जहां न हो छोट-बड़ाई, गले मिलें सब भाई-भाई,
ऊंच-नीच का भेद न होवे, सुख की होवे डगर-डगर,
चलो बसाएं नया नगर, चलो बसाएं नया नगर।

2014 में माननीय मोदी जी इस देश के प्रधानमंत्री बने थे। अनआर्गनाइज्ड सैक्टर, गांव-गरीब किसान की बात करें, कांग्रेस की बात करें। रमेश बिधूड़ी जी और जगदम्बिका पाल जी ने बहुत स्कीम्स के बारे में बताया, 'दीन दयाल ज्योति' योजना क्या है, पेंशन योजना क्या है, अटल पेंशन योजना क्या है, हम किस तरह से स्वच्छता की ओर बढ़ रहे हैं, रोजगार की ओर बढ़ रहे हैं। आपकी कविता इस सरकार पर क्यों लागू है?

सभापति महोदय, लोगों ने वर्ष 2014 में मोदी जी को क्यों वोट दिया? उसका कारण यह है कि जिस पेंशन स्कीम, जिस गांव, गरीब किसान की बात करते हैं, जिस अनआर्गनाइज्ड सैक्टर की बात करते हैं, जिस चाइल्ड लेबर की बात करते हैं, उस देश का प्रधान मंत्री चाय बेचते हुए आज यहां तक पहुंच गया है। उनको पता है कि पेंशन से क्या फायदा होने वाला है? उनको पता है कि इस देश में गरीबी का क्या मतलब है? यहां लेबर मिनिस्टर बैठे हुए हैं। उस दिन वे खुद ही बोल गये कि इन्होंने पढ़ाई भी की और काम भी किया। यदि वे काम नहीं करते तो परिवार सस्टेन नहीं कर सकता था। आज वे यहां तक पहुंच गये।

मंत्री जी, आपने ही उस दिन भाषण देते हुए कहा कि हमने पंचायत से शुरू किया और वहां से उठते-उठते पार्लियामेंट तक पहुंच गये। जब इस तरह के लोग शासन व्यवस्था में आते हैं, चीजें आती हैं, तो निश्चित तौर पर कैसे विकास होगा, इस बारे में अपने आपको पता चलता है।

सभापति महोदय, पेंशन के बारे में हम यहां चर्चा कर रहे हैं। भारत में पेंशन का इतिहास बहुत पुराना है। ऐसा नहीं है कि दुनिया में पेंशन की स्कीम लागू हो गयी और हमने लागू नहीं की। रॉयल कमीशन, सिविल ऐस्टेब्लिशमेंट वर्ष 1881 में आया। गवर्नमेंट इम्प्लायज को क्या बेनीफिट दिया जायेगा, यह हमने वर्ष 1881 से शुरू किया। वर्ष 1881 के बाद आज हम 2016 में यहां हैं, तो इसका मतलब है कि इसे डेढ़ सौ साल होने को है। लेकिन आज क्या स्थिति है? आप चाहे पब्लिक सैक्टर की बात कर लीजिए, चाहे सरकारी सैक्टर की बात कर लीजिए, किसी की भी बात कर लीजिए, हम केवल दस परसेंट व्यक्तियों को

ही आज पेंशन देने की स्थिति में है। उनको आज पेंशन मिल रही है या वे किसी न किसी पेंशन स्कीम से जुड़े हुए हैं। इस देश के 90 परसेंट व्यक्ति इस पेंशन से वंचित हैं। यह किसका दोष है?

सभापति महोदय, वर्ष 2014 में इंटरिम बजट था, लेकिन यदि आप वर्ष 2015 और 2016 का बजट देखेंगे, तो माननीय मोदी जी की सरकार और हमारे वित्त मंत्री माननीय जेटली साहब हमेशा यही कह रहे हैं कि भारत युवाओं का देश है। हम हमेशा क्लेम करते हैं कि हमारी यह ताकत है कि हमारे पास 35 साल के युवाओं की संख्या सबसे ज्यादा है। वह जो हमारा पापुलेशन डिविडेंट है, जो युवाओं का डिविडेंट है, उस कारण से हम दुनिया पर राज करने की स्थिति में हैं। लेकिन रूल करने वाले एक चीज लगातार भूल गये कि यदि किसी देश में युवा बढ़ेगा, तो स्वाभाविक है कि वहां वृद्धों की भी संख्या बढ़ेगी। यदि हम सबसे ज्यादा युवा वाले देश होने वाले हैं, तो वर्ष 2035 तक यह सिचुएशन हो जायेगी कि दुनिया का सबसे ज्यादा बूढ़ा आदमी, यानी 60 साल से ऊपर के जो लोग हैं, वे भी इसी हिन्दुस्तान में होंगे। उसके लिए क्या हो रहा है?

सभापति महोदय, हम स्किल इंडिया की बात करते हैं, तो उसमें केवल युवाओं की बात नहीं करते। हम उनकी बात करते हैं। इसीलिए मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आजादी के इतने वर्षों के बाद कौन से लोग दोषी हैं, यह समझने की आवश्यकता है कि डेढ़ सौ साल पहले, यानी वर्ष 1881 में जिस देश में पेंशन स्कीम लागू हुई, वहां आज भी 90 परसेंट लोगों के पास पेंशन नहीं है, तो उसका दोषी कौन है? यही कारण है कि माननीय मोदी जी की सरकार वित्त मंत्री जी के नेतृत्व में यूनीवर्सल पेंशन स्कीम की ओर बढ़ रही है। हमारी जितनी भी योजनाएं हैं, मैं उन सबमें नहीं जाना चाहता। हम इसी तरफ जाना चाहते हैं कि हमने गांव, गरीबी, दलित, मजदूर, किसान, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति को देखा है और उसके लिए क्या व्यवस्था होनी चाहिए? यह सरकार उनकी व्यवस्था के लिए जागरूक है। यही कारण है कि जब हमारी सरकार आयी, उस वक्त हम जब यह बिल लेकर आये, उस वक्त पब्लिक सैक्टर अंडरटेकिंग्स से छोटे-छोटे लोग कहते थे कि हमें दस रुपये, बीस रुपये, पच्चीस रुपये पेंशन मिल रही है। पब्लिक सैक्टर अंडरटेकिंग में कई लोगों के साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। एक ही पद पर लोग रिटायर हुए हैं जैसे 'वन रैंक वन पेंशन है।' यह बहुत बड़ा सवाल था, इसे हमारी सरकार ने लागू किया। यही कारण है कि हमारी सरकार उस तरफ आगे बढ़ रही है। जिनको दस रुपये, 20 रुपये, 25 रुपये या 50 रुपये पेंशन मिलती थी, उसको हमारी सरकार ने कहा कि अब मिनिमम पेंशन 1000 रुपये मिलेगी। मुझे लगता है कि अब वह दिन दूर नहीं है, जिसकी बात मैं कहा रहा था - यूनिवर्सल पेंशन स्कीम, वह लागू हो सकेगी। इस देश में जो 90 प्रतिशत लोग पिछड़े हुए हैं, जो आज भी किसी भी योजना से अछूते हैं, जिनके

लिए बुढ़ापे में दाल-रोटी की प्रॉपर व्यवस्था कर पाने अपने को कमजोर पाते हैं, उनके लिए भारत सरकार 5000 रुपये ही नहीं, उससे भी ज्यादा पेंशन की व्यवस्था करेगी। यह हमारी सरकार का कमिटमेंट है, माननीय प्रधानमंत्री जी का कमिटमेंट है।

पेंशन के लिए इस देश में बहुत से कानून आए, लगातार कानून आते हैं, इसीलिए मुझे कभी-कभी इससे परेशानी भी हो जाती है। वर्ष 1881 के बाद, वर्ष 1921 और 1935 में कानून आए। आजादी के पहले का यह सारा इतिहास है। वर्ष 1881 में एक कानून आया, फिर 1921 में कानून आया और फिर 1935 में कानून आया और ये सभी कानून पेंशन की तरफ ही बढ़ रहे थे। हमारे यहां पेंशन का कानून वर्ष 1881 में लागू हुआ और जर्मनी में हमसे बाद में, वर्ष 1889 में सोशल सिक्योरिटी कानून लागू हुआ। आज जर्मनी सोशल सिक्योरिटी का सबसे बड़ा उदाहरण है। यह विल पावर की बात है। यहां बैठे हम सभी लोगों को अंदर झांकने की आवश्यकता है कि कानून तो हम बना देते हैं, दिशा तो हम बना देते हैं, लेकिन उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर कहां से आएगा, पैसा कहां से आएगा, अन्य चीजें कहां से आएंगी, रोजगार के साथ कहां बढ़ेंगे, इन चीजों को हम नहीं देखते हैं। शंकर प्रसाद दत्ता जी ने बोलते हुए एक कमेटी की बात कह गए। वह बड़ी लम्बी-चौड़ी बात है, उसका इस पेंशन स्कीम से कोई बहुत मतलब नहीं है। उन्होंने कहा कि प्राइस राइज हो रही थी, उसके लिए एक कमेटी बन गयी, उस कमेटी की अध्यक्षता गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री साहब कर रहे थे। उनके अपने विचार हैं कि पेट्रोलियम पदार्थों के दाम कैसे निर्धारित होने चाहिए, अन्य चीजें कैसे होनी चाहिए। मुझे लगता है कि जो नई-नई हॉबनॉबिंग सीपीएम और कांग्रेस के बीच चल रही है, उससे वे बड़े प्रभावित हैं। आप यह समझिए कि कोई भी सरकार होती है, मैं विाय से थोड़ा डिविएट कर रहा हूं क्योंकि ऐसी बात आई है और वे प्रधानमंत्री जी की बात कर रहे थे, टू-जी और कोलगेट बहुत बड़े विाय आए। टू-जी में क्या हुआ? टू-जी में स्पेक्ट्रम का ऑक्शन नहीं हुआ, फर्स्ट कम-फर्स्ट गेट बेसिस पर दिया गया। उसके लिए कांग्रेस ने यह तर्क दिया कि हम कन्ज्यूमर को कम पैसे में टेलीफोन मुहैया कराना चाहते हैं, इसी कारण से हम इसका ऑक्शन नहीं करेंगे। यदि हम उसका ऑक्शन करेंगे तो उसका प्राइस बढ़ जाएगा और प्राइस बढ़ जाएगा तो नाक इधर से पकड़िए या उधर से पकड़िए बात बराबर हो जाएगी। आपको पता है कि इसमें कितना बड़ा स्कैम हुआ। फिर इस देश के लोगों ने कितना बड़ा मॅंडेट माननीय मोदी जी को दिया। जब हमारी सरकार आई तो हमने स्पेक्ट्रम का ऑक्शन किया। आपको पता है कि स्पेक्ट्रम का ऑक्शन हुआ और अभी फिर से लम्बा-चौड़ा ऑक्शन होने वाला है। छः लाख से सात लाख करोड़ रुपये का बड़ा टारगेट हमने फिक्स कर रखा है। हम-आप मोबाइल यूज करते हैं, क्या ऑक्शन के बाद भी आपको लगता है कि मोबाइल का टैरिफ बढ़ गया है? नहीं बढ़ा है। इसका मतलब क्या है? यही हाल कोलगेट में हुआ। कोलगेट में अभी केवल छोटे से ब्लॉक की नीलामी हुई है, उसमें ढाई से तीन लाख

करोड़ रुपये मिले हैं। इससे आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा स्कैम हुआ था। आज इस देश में सरप्लस बिजली मौजूद है। बिजली के खरीदार नहीं हैं और बिजली का टैरिफ नहीं बढ़ा है। बिजली का टैरिफ घट रहा है, क्योंकि जब बिजली का कोई खरीदार ही नहीं है, तो टैरिफ नहीं बढ़ रहा है। इसलिए जिन लोगों ने कैंप्टिव कोल के नाम पर कोल ब्लॉक लिया था, उसी तरह से आप कहते हैं कि पेट्रोलियम पदार्थों के दाम कंज्यूमर्स को पास-ऑन होने दीजिए। आप यह बताइए कि आज कितने लोग गाड़ियों में चलते हैं। हम मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट हैं, दत्ता साहब आप लोक सभा का पब्लिक ट्रांसपोर्ट ही यूज करते हैं। आप इतने सीनियर मैम्बर ऑफ पार्लियामेंट हैं। कितने लोग होंगे, 5 या 7 प्रतिशत सांसद होंगे जिनके पास गाड़ियां होंगी। पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम का लोग आज भी उपयोग करते हैं। इसलिए पेट्रोल और डीजल किस कंज्यूमर को देना चाहते हैं? आप एफ्लुएंट क्लास को देना चाहते हैं।

दूसरे, यदि आपको लगता है कि टैरिफ डीजल से बढ़ जाएगा, किसानों की उत्पादन कॉस्ट यदि बढ़ जाएगी, तो उसके लिए रास्ते हैं। रास्ता यह है कि आप उनको सब्सिडी दीजिए। कोई ऐसा राज्य नहीं है जैसे किसानों को 300-400 प्रतिशत सब्सिडी अमेरिका जैसा देश दे रहा है। आप किसी चीज को भटकाऊ मत करिए। यह पैसा भी जमा हो रहा है। सैस में, टैक्स में पैसा जमा हो रहा है। यदि टैक्स हम ले रहे हैं तो कल वित्त मंत्री जी ने भी जवाब देते हुए कहा कि 42 प्रतिशत पैसा हम राज्यों को दे रहे हैं और केवल 58 प्रतिशत पैसा हम रख रहे हैं। इसके बाद जो सैस ले रहे हैं, उस सैस में हम पूरा नेशनल हाईवे बना रहे हैं। हम रेल बना रहे हैं। 160 जगहों पर छोटे-छोटे एयरपोर्ट हम बनाने वाले हैं। स्वच्छ भारत की तरफ हम बढ़ रहे हैं। 100 स्मार्ट शहर हम बनाना चाहते हैं। यदि पैसा नहीं लेंगे तो फिर कहां से यह पैसा आएगा? या तो हम चोरी करें या कमीशन लें नहीं तो विश्व बैंक या आई.एम.एफ. से हम पैसा लाकर अपने देश की जनता को दें। या तो कुछ लोग पेट्रोल या डीजल की गाड़ी का उपयोग करते हैं, उसको हम पास-ऑन नहीं करें नहीं तो हम विश्व बैंक या आई.एम.एफ. से पैसा लेकर आएंगे। यहां के जो बच्चे पैदा होंगे, उनके ऊपर लाखों लाख करोड़ रुपये का कर्जा हम उनके पैदा होने से पहले ही उन पर छोड़ दें। रास्ता क्या है? इसीलिए जो यह थ्योरी है, हमें नहीं लगता है कि यह इसके लिए उचित है।

आई.एल.ओ. का रिजोल्यूशन पेंशन स्कीम में है। आई.एल.ओ. का कंवेन्शन का जो 102 नम्बर है, वह पूरी दुनिया के लोगों को कहता है:-

- Covering minimum standards of social security like medical care, sickness benefit, unemployment benefit, old-age benefit, invalidity benefit, employment injury benefit, family benefit, maternity benefit and survivor's benefit is very

much important . आईएलओ में 1950 में यह एडॉप्ट हुआ और पूरी दुनिया के लोगों ने इसके ऊपर सहमति दी। आज 67 साल बाद हम इसमें से कितनी चीजें कर पाएं? जब आप वर्कर्स को बेंनेफिट्स देने की बात करते हैं, ... (व्यवधान)

माननीय सभापति : माननीय सदस्यगण, मुझे यह सूचित करना है कि सरकारी संकल्प पर चर्चा के लिए समय लगभग पूरा हो चुका है। चूंकि चर्चा में भाग लेने के लिए दो माननीय सदस्य और बचे हैं, इसलिए हमें संकल्प पर चर्चा के लिए समय बढ़ाना पड़ेगा। यदि सभा सहमत हो तो संकल्प पर चर्चा के लिए एक घंटे का समय बढ़ाया जा सकता है। समय बढ़ाया गया। इस संकल्प का निर्धारित समय खत्म हो गया। इसलिए संकल्प पर चर्चा का समय बढ़ाया गया।

श्री निशिकान्त दुबे (गोड्डा) : सभापति जी, समझने वाली बात यह है कि हम कितना लागू कर पाए हैं और सारे राजनीतिक दलों को सोचना चाहिए। मैं यह कह रहा हूँ कि ठीक है, सरकार में हम हैं और मैंने बताया कि दो साल से माननीय मोदी जी के नेतृत्व में किस तरह से हम नेशनल पेंशन स्कीम की तरफ बढ़ रहे हैं। वॉ 1950 का जो हमने रिजोल्यूशन आई.एल.ओ. में पास किया, जिसके हम सिग्नेटरी हैं, 67 साल बाद हम इसकी आधी चीजों को भी लागू नहीं कर पाए हैं। संविधान बना। आर्टिकल 14 क्या कहता है? इसके ऊपर बहुत चर्चा होती है। आपको पता है कि आर्टिकल 14 और 21 के आधार पर किस तरह से इस देश में आरक्षण की व्यवस्था लागू की गई और आरक्षण की व्यवस्था कितनी जरूरी थी, यह बात सभापति जी, आपसे ज्यादा अच्छी तरह से कोई नहीं समझ सकता है।

आर्टिकल 14 कह रहा है कि

“The State shall not deny to any person equality before the law or the equal protection of the laws within the territory of India.”

यह आर्टिकल 14 है। हमारे फोरफादर्स ने वर्ष 1950 में संविधान बनाया है। 67 साल बाद आप यह चर्चा कर रहे हैं कि दलित को वहां मार दिया, यह कर दिया, वह कर दिया, तो आज तक जो सामाजिक समरसता बिगड़ी हुई है, इसमें सबसे ज्यादा दिनों तक जिसने शासन किया, सभापति महोदय वह दोषी होगा, न कि हमें आप दोषी ठहरायेंगे कि दो साल में हम ने सब चीज बिगाड़ दिया। जन्म का बिगड़ी अब क्या सुधरी, वाली हालत है। आपने जो बिगाड़ कर रखा है, उसको सुधारने में भी वक्त लगेगा।

सभापति महोदय, आप बताइए। सी.पी.एम. के लोग यहां पर बैठे हुए हैं, इन्होंने वर्ष 1977 से लगातार वहां शासन करते रहे। आपने वहां क्या किया? आज बंगाल की हालत क्या है? मैं झारखंड राज्य से आता हूँ, इसलिए मैं उसे समझता हूँ। वर्द्धमान में ब्लास्ट हो जाये, कलियाचक में हो जाये और संधाल

परगना का पूरा का पूरा एरिया इससे परेशान होता है। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर स्कीम जो बहुत बढ़िया स्कीम है, यह गरीबों तक जायेगा। यदि पेंशन स्कीम भी लागू करेंगे तो उसमें डी.बी.टी. का सबसे बड़ा रोल होगा, कल राज्य सभा उसके लिए बंद रहा। यदि उसमें एकाध समस्या है तो उस समस्या के समाधान के लिए बैठा जा सकता है, लेकिन इसमें कारण क्या है कि जो लोग विरोध कर रहे हैं, विरोध यह कर रहे हैं कि पूरा का पूरा नॉर्थ-ईस्ट, बिहार, झारखंड, जिसका पूरा डेमोग्राफी बंध गया, जिसके कारण असम में हमारी सरकार आई, त्रिपुरा जो भोग रहा है, बांग्लादेश से बॉर्डर सटा हुआ है, जिसका कोई अता-पता नहीं है कि हमारे देश का नागरिक है या नहीं है और जब भारतीय जनता पार्टी के सदस्य होने के नाते जब यह बात हम बोलने जाते हैं तो लोगों को यह हिन्दू-मुस्लिम समझ में आता है। यह हिन्दू-मुस्लिम का सवाल नहीं है। इस देश में रहने वाले सभी धर्म के लोग चाहे वे हिन्दू हैं, सिख हैं, मुस्लिम हैं, ईसाई हैं, सभी इस देश के नागरिक हैं। इस देश को बनाने में सभी का योगदान है। लेकिन यदि वे बांग्लादेश के लोग हैं तो धर्म के आधार पर आप बांग्लादेश के लोगों को कहेंगे कि आप आ जाओ। वोट बैंक की राजनीति के आधार पर आप कहेंगे कि आप आ जाओ। डायरेक्ट बेनिफिट स्कीम के कारण लाखों-लाख करोड़ रुपये बचे, जिसके कारण पता चला कि कितने लोगों हम फेक किरासन तेल दे रहे थे, कितने लोगों को गलत गैस का कनेक्शन दे रहे थे।

इसी तरह से वृद्धा पेंशन और विधवा पेंशन के जो स्कीम्स हैं। हम पैसा बचाने का प्रयास कर रहे हैं और जेनुइन लोगों को यदि सीधा यह ट्रांसफर करने की बात कर रहे हैं और यदि यह पेंशन स्कीम भी लागू हो जायेगा तो वे उसका विरोध करते हैं। मेरा यह कहना है कि यदि इसी तरह से राजनीति होती रहेगी, तो आपके परपस कहीं न कहीं टूट जायेंगे, खत्म हो जायेंगे और इसके लिए अपने-आप को सोचने की आवश्यकता है। इसके लिए त्रिपुरा की सरकार, बंगाल की सरकार और नॉर्थ-ईस्ट की सरकार को ज्यादा सोचने की आवश्यकता है और ब्लेम उसको देने की आवश्यकता है, जो 67 साल में कुछ नहीं कर पाये।

आजादी के 70 सालों के बाद हम इस तरह की बातें कह रहे हैं कि आप हजार रुपया नहीं बल्कि तीन हजार रुपया दीजिए, तीन हजार रुपया नहीं पांच हजार रुपया दीजिए। हमारे देश के नागरिक जिनके वोट के आधार पर हम यहां माननीय सांसद बन कर आये हैं, उनको हम गिड़गिड़ा रहे हैं, हम भारत सरकार से उनके लिए भीख मांग रहे हैं, क्योंकि आपने कोई बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं क्रिएट किया। सिंगापुर जैसा छोटा-सा देश, जहां कोई माइन्स नहीं है, मिनरल्स नहीं है, चीजें नहीं है, वहां कुछ नहीं था, वह हमारे बाद स्वतंत्र हुआ, लेकिन आज वह इंफ्रास्ट्रक्चर में हम से सबसे ज्यादा आगे है। सभी सिंगापुर में बचना चाहते हैं, साफ-सफाई देखना चाहते हैं, रोजगार करना चाहते हैं। वहां इस तरह के मकान के स्कीम है, यहां पेंशन की स्कीम है, वह पूरे एशिया के लिए देखने वाली बात है। इसका कारण है कि हमने इतने वर्षों

में नहीं किया। उसी तरह से आर्टिकल 41 है। यह जो पूरा पेंशन स्कीम है, यह यदि आप देखेंगे, संविधान में सब कुछ लिखा हुआ था। पहले था कि शिकारी आयेगा, जाल बिझायेगा, दाना डालेगा, लेकिन आप उसमें फंसना नहीं, ठीक उसी तरह की बात है। सब कुछ लिखा हुआ है, लेकिन हम उसको पढ़ना नहीं चाहते हैं। हमने उस तरह से कोई काम नहीं किया है। संविधान का आर्टिकल 41 कह रहा है कि

“The State shall, within the limits of its economic capacity and development, make effective provision for securing the right to work, to education and to public assistance in cases of unemployment, old age, sickness and disablement, and in other cases of undeserved want.”

आर्टिकल 41 के ऊपर आज तक हमने क्या काम किया है? बेरोजगारी दूर करने के लिए मेक इन इंडिया तो हमारी सरकार लेकर आयी है, स्टैंड-अप योजना, स्टार्ट-अप और मुद्रा योजना हम कर रहे हैं ताकि अनइम्प्लायमेंट खत्म हो। आपको यह समझना होगा कि सरकार पूरी की पूरी पेंशन नहीं दे सकती है। उसके लिए इम्प्लायी कंट्रीब्यूशन की आवश्यकता है। इम्प्लायी कंट्रीब्यूशन के लिए इंडस्ट्रलाइजेशन की आवश्यकता है, इंडस्ट्री की आवश्यकता है। हमने क्या किया है? उसी तरह से आर्टिकल 42 है।

Article 42 says:

“Provision for just and humane conditions of work and maternity relief -- The State shall make provision for securing just and humane conditions of work and for maternity relief. ”

उसके बाद आर्टिकल-41, 42 और 43 है। आर्टिकल-43 कहता है-

Article 43 says about the living wage, etc., for workers जिसके आधार पर पूरा का पूरा संकल्प लेकर प्रेमचंद्रन जी आए हैं।

Article 43 says:

“Living wage, etc, for workers -- The State shall endeavour to secure, by suitable legislation or economic organization or in any other way, to all workers, agricultural, industrial or otherwise, work, a living wage, conditions of work ensuring a decent standard of life and full enjoyment of leisure and social and cultural opportunities and, in particular, the State shall endeavour to promote cottage industries on an individual or cooperative basis in rural areas.”

सब कुछ किताब में लिखा हुआ है। संविधान की बात करते हैं। यहां सभी लोगों ने लंबे-लंबे भाषण दिए हैं, जब प्रधानमंत्री जी संविधान को फिर से दोहराना चाहते थे। अम्बेडकर जयंती पर लगातार बातें कही गयीं कि हम यह करेंगे, हम वह करेंगे। आज तक संविधान के आर्टिकल-42,42 और 43 क्यों नहीं लागू किए गए? आर्टिकल-14 की बात है तो कितनी लड़ाई लड़नी पड़ी है। आप यह देखें कि यदि ओबीसी को सरकारी सेवाओं में आरक्षण मिला है तो वह कब मिला है? वह वर्ष 1990 में मिला, इसका मतलब यह है कि हम वर्ष 1947 में आजाद हुए और हमें 43 साल तक संघर्ष करना पड़ा। मंडल कमीशन की रिपोर्ट कब और किसके सामने आयी थी? सवाल यह है कि आप यदि विकास नहीं करना चाहते हैं, यह देश विकसित नहीं होगा, यदि देश में इंडस्ट्री नहीं होगी तो किस तरह से यह सारी चीजें हम लागू करेंगे। आज किसी भी स्कीम के लिए दो चीजों की आवश्यकता है। सबसे पहले इंश्योरेंस की आवश्यकता है। प्राइवेट सैक्टर के अस्पताल हैं, लोग बीमार होते जा रहे हैं। तरह-तरह की बीमारियां होती जा रही हैं। दुर्घटनाएं होती हैं। यदि किसी परिवार का एक व्यक्ति कमाता है और दुर्घटना में उसकी मृत्यु हो जाती है तो उसके पास कोई चारा नहीं रहता है। हम लड़कर ज्यादा से ज्यादा केवल दस हजार रुपए तक ही तो दिला सकते हैं। इतने पैसों में एक विधवा कैसे अपना जीवन-यापन कर सकती है? वह कैसे अपने बच्चों को लिखा-पढ़ा सकती है? अभी दो लेजिस्लेशंस की आवश्यकता है। यदि इलाज भी कराना है, दुर्घटना का पैसा भी देना है और शिक्षा के लिए भी पैसा देना है तो इंश्योरेंस सैक्टर को बढ़ाना है। इंश्योरेंस सैक्टर में हमारी निर्भरता सरकारी इंश्योरेंस कम्पनी में थी, उसे किसने खत्म किया है। उसे माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार ने समाप्त किया। यदि इंश्योरेंस में कोई संशोधन लेकर आया कि 26 प्रतिशत यदि प्राइवेट सैक्टर के लोग इंश्योरेंस में आए तो यह काम माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने किया। दूसरा संशोधन यह था कि यदि 26 परसेंट से काम नहीं निकल रहा है तो इंश्योरेंस में 49 प्रतिशत एफडीआई की आवश्यकता है। इसे माननीय मोदी जी लेकर आए। इस बीच में आप बताएं कि अटल जी से लेकर मोदी जी तक गांव, गरीब, किसान की इंश्योरेंस की बात, उनके लोगों की बात किसने की है?

महोदय, दूसरी बात पेंशन की है। पेंशन के लिए यह बात तय हो गई है और पूरी दुनिया में ऐसा है कि कोई भी सरकार सभी लोगों को पेंशन नहीं दे सकती है। पेंशन देने के लिए एम्प्लाइज़ डेवलपमेंट की आवश्यकता होती है। आपको पता होगा कि पेंशन के लिए जो लेजिस्लेशन लेकर आया, वह माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार में आया। आठ-नौ साल तक कांग्रेस की सरकार पीएफआरडीओ को कानूनी दर्जा नहीं दे पाई, केवल एग्जिक्यूटिव आर्डर से होता था। एक दिन तो आश्चर्य हो गया कि जब इसे कानून बनाने के लिए संसद में पेश किया गया तो कांग्रेस की बेंच में लोग नहीं थे, उनके पास कोरम नहीं था।

माननीय सभापति: श्री निशिकांत दुबे जी, आप अपने भाषण को आगे जारी रखेंगे। समय पूरा हो गया है।

माननीय सदस्यगण, सदन की कार्यवाही सोमवार, दिनांक 1 अगस्त, 2016 को पूर्वाह्न 1100 बजे तक स्थगित की जाती है।

18.00 hours

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the clock on Monday, 1st August, 2016, Shravana 10, 1938 (saka)
